Monday, 21 August, 1961

लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५७, १९६१/१८८३ (शक)

[२१ अगस्त से १ सितम्बर १९६१/२० श्रावण से १० भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation 14-5-99
Fumigated On 3.11.83
Parliament Library

चौदहवां खण्ड, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५७ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अंक ११--सोमवार, २१ अगस्त, १९६१/३० श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३० से ७४२, ७४४ से ७४६, ७४९ और ७५१ . १७९९--१८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७२७, ७२९, ७४३, ७४७, ७४८, ७५० और ७५२ से ७८२ . . . . . १८२३--३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७२५ से १७३२, १७३४ से १७३७ १८३९--१९२९

स्थगन प्रस्ताव--

(१) स्वामी रामेश्वरानन्द जी पर बम फकने की कथित घटना १९२९-३०

(२) भारतीय गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित धावा . १९३०-३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १९३१-३२

राज्य सभा से सन्देश १९३२-३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में १९३३

समिति के लिये निर्वाचन--

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् १९३३-३४

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . १९३४---५६

ब्लिट्स के सम्पादक के नाम समन जारी करने के बारे में . १९५३

दैनिक संक्षेपिका १९५७---६८

अंक १२--मंगलवार, २२ अगस्त १९६१/३१ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८३ से ७८६, ७९८, ७८७, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९७, ७९९ और ८०० १९६९--९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७९१, ७९५, ८०१ से ८५५ . १९९४--२०१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३८ से २०८८ २०१६--७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में--

यमुना के बांध का टूटना . . . २०७८-७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

खम्भात और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल का उत्पादन २०७९-८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८०-८१

प्राक्कलन समिति--

एक सौ उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . २०८१

विषय	पृष्ठ
मार्टिन एस० लाइट रेलवे यात्री संघ की शिकायतों के बारे में याचिका .	२०८१
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	२०८१—२११३
दैनिक संक्षेपिका	२११४—२३

अंक १३—बुधवार, २३ अगस्त, १९६१/१ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८५८, ८६० से ८६५, ८६७, ८६८, ८७३, ८७५ और ८७६	२१२५—४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५९, ८६६, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७४ और ८७७ से ८९३ . . .	२१४८—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २२०० . .	२१५९—२२०८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. यमुना के बांध का टूटना . . .	२२०८–०९
२. नागालैंड में दुर्घटना	२२०९–१०
३. जम्मू में नन्दपुर पर पाकिस्तानियों का कथित आक्रमण . .	२२१०–११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२११–१२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पुनर्वास मंत्रालय को जारी रखना . . .	२२१२—१५
प्राक्कलन समिति के कार्यवाही सारांश . . .	२२१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ चालीसवां प्रतिवेदन . .	२२१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तास्सीवां प्रतिवेदन . . .	२२१६
तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर में शुद्धि . . .	२२१६–१७
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२२१७
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	२२१७—५०
दैनिक संक्षेपिका . . .	२२५१—५८

अंक १४—गुरुवार, २४ अगस्त, १९६१/२ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९७, ८९८, ८९९, ९०१, ९०४, ९०५, ९०७, ९१०, ९१२, ९१४, ९१६, ९१८, ९२१, ९२३ और ९०० .	२२५९—८१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९६, ९०१, ९०३, ९०६, ९०८, ९०९, ९११, ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२० और ९२२	२२८१--८६
अतारांकित प्रश्न संख्या २२०१ से २३१४, २३१६ से २३५६ .	२२८७--२३४९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
भारी वर्षा के कारण दिल्ली की कुछ बस्तियों में पानी भर जाना	२३५०-५१
सभा का कार्य .	२३५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३५१-५२
इन्डियन एयर लाइन्स कोरपोरेशन द्वारा वायुयान में राष्ट्रपति के डाक्टरों को स्थान न देने के बारे में वक्तव्य .	२३५२-५३
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव .	२३५३--६३
आय कर विधेयक--	
प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	२३६३--८०
श्री करांजिया द्वारा भेजा गया तार	२३८०-८१
कार्य मंत्रणा समिति--	
छियासठवां प्रतिवेदन .	२३८१
कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा .	२३८१--८६
दैनिक संक्षेपिका .	२३८७--९५
अंक १५--शुक्रवार, २५ अगस्त, १९६१/३ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से ९३५ . .	२३९७--२४२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९३६ से ९७९ . . .	२४२०--३९
अतारांकित प्रश्न संख्या २३५७ से २५०२, और २५०४ से २५१२ .	२४३९--२५०२
निधन संबंधी उल्लेख . . .	२५०३-०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	२५०४-०५
उत्तर प्रदेश में बाढ़ .	२५०५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२५०५
सभा का कार्य	२५०६
श्री करांजिया को जारी किये गये समन के बारे में . .	२५०६,४०--४३
कार्य मंत्रणा समिति--	
छियासठवां प्रतिवेदन	२५०६-०७

1210 (Ai) LSD—10

विषय	पृष्ठ
आय कर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२५०७—१५
खंड २ से १२ .	२५१५—२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तासीवां प्रतिवेदन	२५२१
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प . .	२५२१—२५
पटसन का मूल्य निर्धारण करने के बारे में संकल्प तथा	
कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा .	२५२५—४०
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प .	२५४०
दैनिक संक्षेपिका	२५४४—५३
अंक १६—सोमवार, २८ अगस्त, १९६१/६ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८२, ९८४, ९८६, ९८७, ९८९, ९९१, ९९३, ९९५ से ९९९ और १००४ से १००८ .	२५५५—८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८५, ९८८, ९९०, ९९२, ९९४, १००० से १००३ और १००९ से १०१६ .	२५८४—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या २५१३ से २६२३ .	२५९१—२६४०
संत फतह सिंह के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य .	२६४०—४३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	२६४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	२६४४
दिल्ली में मकानों के गिरने से कथित मृत्यु	२६४४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६४४
राज्य सभा से संदेश .	२६४४
विशेषाधिकार	२६४५, ७२—७३
धार्मिक न्यास विधेयक .	२६४५
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना .	२६४५
विधेयक पुरस्थापित—	
१. समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक	२६४५
२. उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . .	२६४६

आय कर विधेयक . . . . २६४६—६६

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

खंड १३ से २६८ और अनुसूची १ से ५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १६६१-६२ . . २६६६—७२

बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . २६७३—८४

दैनिक संक्षेपिका . . . २६८५—६१

अंक १७—मंगलवार, २६ अगस्त, १६६१/७ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१६क, १०१७ से १०२४, १०२६, १०२७, १०२६, १०३१ और १०३५ से १०३७ . . २६६३—२७१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०२५, १०२८, १०३०, १०३२ से १०३४ और १०३८ से १०४४ . . . . २७१४—२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६५० और २६५२ से २७५१ . २७२१—७५

स्थगन प्रस्ताव—

प्रसाद नगर के निवासियों की झोंपड़ियों के गिराने के बारे में नोटिसों का दियाजाना २७७६—७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७७७

तेल परियोजनाओं के बारे में ई० एन० आई० से बातचीत के बारे में वक्तव्य २७७७—७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में २७७८

श्री करांजिया की भर्त्सना २७७८—७६

धार्मिक न्यास विधेयक . . . २७७६

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १६६१—

पुरःस्थापित . . . २७७६

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १६६१-६२ . २७८०—६४

पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा २७६४—२७२६

दैनिक संक्षेपिका . २८३०—३६

अंक १८—बुधवार, ३० अगस्त, १६६१/८ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०४६, १०४८ से १०५२, १०५५, १०५६, १०६२, १०६३ और १०६८ २८३७—६१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०५३, १०५४, १०५७ से १०६०, १०६४ से १०६७ और १०६९ से १०९७ . .	२८६१--७८
अतारांकित प्रश्न संख्या २७५२ से २७६५ और २७६७ से २९११ .	२८७८--२९४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मास्टर तारासिंह और योगिराज सूर्य देव की गिरफ्तारी के वारंटों का जारी किया जाना	२९४१-४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२९४२-४३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अठासीवां प्रतिवेदन	२९४३
सदस्य द्वारा त्यागपत्र . . .	२९४३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ .	२९४३--४८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव .	२९४८--७३
बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२९७३--९३
दैनिक संक्षेपिका	२९९४--३००३
अंक १९--गुरुवार, ३१ अगस्त, १९६१/९ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९८, ११०१, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ और १११५ से १११७	३००५--२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०९९, ११००, ११०२ से ११०५, ११०७, १११०, ११११, १११३, १११४ और १११८ से ११२७	३०२६--३६
अतारांकित प्रश्न संख्या २९१२ से ३००० और ३००३ से ३००८ .	३०३६--७६
अविश्वास का प्रस्ताव	३०७६--७८
पटल पर रखे गये पत्र . .	३०७८-७९
कुछ अंशों का निकाल दिया जाना	३०७९
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	३०८०
विधेयक पुरस्थापित--	
(१) जमा धन बीमा निगम विधेयक .	३०८०
(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक	३०८०

विषय | पृष्ठ

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३०८०—९३

खंड २ से ४ और १ . . . . . . ३०९८

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ३०९८—३१०६

समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक—

विचार करने के प्रस्ताव . . . ३०९४—९७

खंड १ और २ . . . . . ३०९७

पारित करने का प्रस्ताव ३०९८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . . ३१०६–०७

प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३१०६–०७

भारत के खेतिहर मजदूरों के बारेमें दूसरी जांच के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव ३१०७—१९

मदुरै में बस और रेलगाड़ी की टक्कर के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३११९—२२

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३१२३—२९

अंक २०—शुक्रवार, १ सितम्बर, १९६१/१० भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ से ११३०, ११३४ से ११३८, ११४१ से ११४४, ११४६, ११४८, ११४७ . . . . ३१३१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३१ से ११३३, ११३९, ११४०, ११४५ और ११४९ से ११५७ . . . . . ३१५४—६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३००९ से ३१३४, ३१३६ से ३१४४ और ३१४६ से ३१४९ . . . . . ३१६०—३२१७

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ३२१७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम से कुछ मुसलमानों का कथित निकाला जाना . . ३२१७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२१८

सभा का कार्य ३२१९–२०

गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक—पुरस्थापित . . . ३२२०

विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६१—पारित . . . ३२२१

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३२२१—३४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अठ्ठासीवा प्रतिवेदन ३२३४

विषय	पृष्ठ
सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन)--(श्री ले० अचौ० सिंह का)--पुर:स्थापित	३२३४
खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)--वापस लिया गया--	
विचार करने का प्रस्ताव	३२३४--३६
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन् का)--परिचालित करने का प्रस्ताव	३२३६--४१
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)--विचार करने का प्रस्ताव . .	३२४१--६२
दैनिक संक्षेपिका	३२६३--७०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1210 (Ai) LS—10-10-61—125.

लोक सभा

सोमवार, २१ अगस्त, १९६१
३० श्रावण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यालय को मैथान ले जाना

+

†*७२८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री चुनी लाल :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम का मुख्य कार्यालय बिहार में मैथान कब तक ले जाया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी)** : भाग लेने वाली सरकारों के परामर्श से मामले पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या निवास स्थान के आवश्यक प्रबन्ध कर लिये गये हैं ?

†**श्री हाथी** : कुछ निवास स्थान तो अवश्य हैं परन्तु यदि मुख्य कार्यालय हटाना पड़ा तो अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था करनी पड़ेगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि यदि मुख्य कार्यालय को न हटाया जाये तो बहुत सी धनराशि बचाई जा सकती है ?

†**श्री हाथी :** नये भवन आदि बनाने मे १९५ लाख रुपया अथवा १९८ लाख रुपया व्यय किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1165A|LSD—1

†**श्री तंगामणि :** किन कारणों से मुख्य कार्यालय को कलकत्ते से हटा कर मैथान ले जाया जा रहा है ?

†**श्री हाथी :** १९५२ में प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर इस मामले को उठाया गया था । १९५९ में यह निर्णय किया गया था कि इसको रांची ले जाया जाये । पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका विरोध किया । इसके बाद यह निर्णय किया गया कि इसको मैथान ले जाया जाये क्योंकि यह दामोदर घाटी निगम के कार्य के क्षेत्र में ही है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि जब इस कार्यालय को कलकत्ते से मैथान ले जाने की अत्यन्त आवश्यकता थी, इसको उस समय वहां नहीं ले जाया गया था और मैं जानना चाहता हूं कि इसको उस स्थान से हटाने की अब क्या आवश्यकता आ पड़ी ?

†**श्री हाथी :** कभी भी ऐसा नहीं हुआ । प्रश्न पर विचार हो रहा है परन्तु भाग लेने वाली सरकारें सहमत नहीं हुई हैं ।

प्लास्टिक का बना रेल डिब्बा

+

†*७३०. **श्री नाथ पाई :**
श्री कालिका सिंह :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मई, १९६१ के पहले सप्ताह में सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजिनियरों की संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से लन्दन में आयोजित सम्मेलन में धातु के बजाय प्लास्टिक का रेल डिब्बा बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी है;

(ख) क्या प्लास्टिक का रेल डिब्बा बनाने की संभावना के बारे में प्रयोग करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्या योजनायें हैं ?

†**रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) सरकार को मई में ब्रिटेन की असैनिक, मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों की संस्थाओं की संयुक्त बैठक में हुई सभी चर्चाओं की जानकारी है ।

(ख) और (ग). प्लास्टिक के डिब्बे बनाने का प्रयोग करने की कोई योजना नहीं है ।

†**श्री नाथ पाई :** ब्रिटिश परिवहन आयोग के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ने बताया है कि ऐसे डिब्बे के निर्माण का व्यय अधिक होने पर भी, इसकी मरम्मत आदि का व्यय तथा ईंधन का व्यय पुराने डिब्बों से कम होगा और दीर्घकाल में इससे मितव्ययता होगी । क्या सरकार इस आधार पर इनको बनाने की योजना बनाने के बारे में विचार करती रहेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** जब तक ब्रिटेन प्लास्टिक का डिब्बा नहीं बना लेगा तब तक हम प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद इस पर विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाक जलडमरूमध्य को गहरा बनाना

+

†*७३१. { **श्री यादव नारायण जाधव :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री सुब्बय्या अम्बलम : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आजकल श्रीलंका का चक्कर लगाकर जहाजों का आना जाना रोकने के लिए पाक जलडमरूमध्य को गहरा करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का उसका क्या विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (ग). पाक जलडमरूमध्य से मन्नार की खाड़ी में जाने के लिए एक जहाज़रानी की नहर खोदने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस क्षेत्र का जलवर्णना सर्वेक्षण तथा अन्य जांच करना आवश्यक है और तभी परियोजना की लागत का पता लग सकेगा। इस जांच के लिए तीसरी योजना में १६ लाख रुपये की राशि शामिल की गई है।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** काम कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** जलवर्णना सर्वेक्षकों की व्यवस्था नौसेना को करनी है। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही वह यह काम शुरू कर देंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** रामास्वामी मुदालियर समिति के प्रतिवेदन के बाद १९५६ से जलवर्णना सर्वेक्षण किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सर्वेक्षण में कितनी प्रगति हुई है ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जानते हैं कि मुझे पुनः कैप्टेन डेविस से पूछना पड़ेगा कि उनका प्राक्कलन बाद में प्राक्कलन बनाने वालों से किस प्रकार कम हुआ था। उन्होंने बताया था कि इसकी जांच करनी होगी कि चट्टानें मूंगे की हैं अथवा पत्थर की हैं और संभव है इसके बाद लागत बढ़ जाये। इस बात की अभी जांच होनी बाकी है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** मेरा प्रश्न यह था कि जलवर्णना सर्वेक्षण भारतीय नौसेना ने आरम्भ किया था और यह किया जा रहा है। इस में कितनी प्रगति हुई है। क्या मैं यह समझूं कि जलवर्णना सर्वेक्षण किया ही नहीं गया ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** उस समय सर्वेक्षण किया गया था परन्तु नया सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच नहीं है कि रामास्वामी मुदालियर समिति द्वारा सेतुसमुद्रम योजना की जांच की गई थी और उसने यह भी बताया था कि किस प्रकार से दूरी कम की जा सकेगी और श्रीलंका का चक्कर नहीं काटा जा सकेगा ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसने जलवर्णना सर्वेक्षण के व्यौरे दिये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन :** इसका पता लगाना है कि चट्टानें किस प्रकार की हैं और यह पता लगने पर कि यह चट्टानें मूंगे की हैं अथवा पत्थर की हैं, व्यय का प्राक्कलन किया जायेगा ।

दामोदर घाटी निगम का सिंचाई राजस्व

+

†*७३२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम के सिंचाई राजस्व के भुगतान के बारे मे पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है । इसके अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** कितनी धनराशि वसूल की जायेगी ? क्या इसमें से कुछ धनराशि वसूल की जा चुकी है ?

†**श्री हाथी :** धनराशि १.६७ करोड़ रुपये थी । यद्यपि पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ दावों को स्वीकार कर लिया है परन्तु भुगतान कुछ भी नहीं किया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि १९५९ में अत्यधिक वर्षा तथा बाढ़ के कारण रगूलेटर्स टूट गये थे ? क्या यह सच है कि दोनों सरकारों के बीच विवाद उठने के कारण यह हैं कि राज्य सरकार नहरों तथा पानी लेने को तैयार नहीं है क्योंकि उनका विचार है कि न तो पानी का ही संभरण पर्याप्त है तथा न ही नहरों के 'लाक्स' में रेगूलेटर ठीक तरह से लगाये गये हैं ?

†**श्री हाथी :** दामोदर घाटी निगम के दावों का भुगतान न करने का पश्चिम बंगाल सरकार ने एक कारण यह बताया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री यहां आये थे और उन्होंने केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया था कि समस्त प्रश्न को अटौरनी जनरल द्वारा तय किया जाना चाहिए कि कितनी धन राशि का भुगतान हो ।

†**श्री हाथी :** भुगतान की राशि का निर्णय अटौरनी जनरल को नहीं करना था। उन्होंने यह निर्णय करना था कि जल संभरण के बारे में इस संसद द्वारा पारित दामोदर घाटी निगम अधिनियम लागू होगा अथवा पश्चिम बंगाल अधिनियम लागू होगा । इस पर अभी भी विचार किया जा रहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अब क्या स्थिति है । क्या प्रश्न पर बातचीत हो रही है अथवा इसको अटौरनी जनरल को सौंपा जा रहा है ?

†**श्री हाथी :** प्रश्न के दो भाग हैं । एक तो वह दर हैं जिन पर दामोदर घाटी निगम ने दावा किया है । दूसरा भाग यह है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार को पानी न मिलने वाले क्षेत्र के लिए भी किसी वर्ष में भुगतान किया जाना चाहिए । एक प्रश्न तथ्य का है तथा दूसरा विधि का दोनों विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : जैसा कि उप मंत्री ने अभी बताया विधि तथा तथ्य के प्रश्न के अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार के कुछ तर्क ठीक हैं और इसीलिए राजस्व के बकाया को बट्टे खाते डाला जायेगा ।

†श्री हाथी : वह प्रश्न भी विचाराधीन है ।

दिल्ली के लिये नेत्र बैंक

+

†*७३३. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री ६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के लिए एक नेत्र बैंक की योजना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन दिल्ली के एक नेत्र बैंक खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : इस संबंध में दिल्ली प्रशासन को केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की तथा कितनी सहायता दी जायेगी ?

†श्री करमरकर : तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह एक योजना नहीं है । परन्तु हम हमेशा राज्यों की तथा संघ क्षेत्रों के प्रशासनों की उत्तम कामों में सहायता करने को तैयार रहते हैं ।

†श्री नंजप्पा : क्योंकि इस देश में 'कार्निया' को एक व्यक्ति की आंख में से निकाल कर दूसरे व्यक्ति की आंख में लगाने का काम होता है इसलिए क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई केन्द्रीय विधान बनाने का है जिससे नेत्रदान में कानूनी कठिनाइयां सामने न आ जायें ?

†श्री करमरकर : हमने हाल में ही राज्य सरकारों से सिफारिश की है कि ऐसा विधान बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें ।

†श्री स० चं० सामन्त : कुछ राज्य सरकारों ने काफी समय से नेत्र बैंक खोल रखे हैं । क्या इन राज्य सरकारों ने कोई सहायता मांगी है और यदि हां, तो क्या इनको कोई सहायता दी गई है ?

†श्री करमरकर : तारांकित प्रश्न संख्या ५८७ के उत्तर में बताया जा चुका है कि ऐसी संस्थायें हैं जिनमें अब भी नेत्र बैंक हैं । सात की सूची बना ली गई हैं । एक उड़ीसा में, तीन मद्रास में, एक राजस्थान में, एक आसाम में, तथा एक अलीगढ़ में । मुझे याद नहीं कि किसी राज्य सरकार ने नेत्र बैंक के सहायतार्थ कोई मांग प्रस्तुत की है । नेत्र बैंकों को नेत्रदान करने वालों से नेत्र चाहिए ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के नेत्र लगाने के सम्बन्ध में क्या भारतवर्ष में कहीं कोई परीक्षण हुए हैं ? यदि हां, तो किस अंश तक वे सफल रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करमरकर : परीक्षण की कोई जरूरत नहीं है। यह सिद्धान्त तो मान लिया गया है कि जो प्राइज होती हैं वे किन्हीं केसेज में सब्सिट्यूट हो सकती हैं और अंधा आदमी दोबारा देखने लगता है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में ठेकेदारों को किया गया अधिक भुगतान

†*७३४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में राजखरसवां-बरजमदा लाइन को दोहरी करने का काम करने वाले ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान के बारे में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की जांच रिपोर्ट सरकार को इस बीच मिल गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) उस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट में बताया गया है कि परियोजना में लगे हुए कुछ अफसरों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के सबूत थे।

(ग) रिपोर्ट की जांच की गई है। संबंधित डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर की ग़लतियों के लिए कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** रिपोर्ट के उपपत्तियों के आधार पर संबंधित अफसर के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गई है ?

† **श्री सें० वें० रामस्वामी :** जी हां। संबंधित इंजीनियर के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

† **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** कितनी राशि का अधिक भुगतान किया गया है तथा अधिक भुगतान की जिम्मेदारी किस पर है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह वास्तव में अधिक भुगतान नहीं है। यह लेखा संबंधी भुगतान था। सभा को याद होगा कि यह मामला विशेष पुलिस स्थापना को जनवरी १९६० में सौंप दिया गया था। उनको पता लगा कि १·६ लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ था उसका समायोजन अन्तिम भुगतान में किया जा रहा है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** एक प्रश्न के उत्तर में मूलतः बताया गया था कि १२ लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ था। बाद में इसको ९ लाख रुपये बताया गया। अब विशेष पुलिस स्थापना के अनुसार यह केवल १·६ लाख रुपये रह गया है। क्या रेलवे बोर्ड में किसी ऊंचे अधिकारी ने इस उत्तर की ठीक प्रकार से जांच की है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं समझता हूं कि कहीं कोई ग़लती है। २४ लाख रुपये की राशि का ब्योरा इस प्रकार है: १६ $^{1}/_{2}$ लाख रुपये नोआमंडी-बांसपानी लाइन के लिए तथा साढ़े सात लाख रुपये बरजमदा लाइन को दोहरा बनाने के लिए। यह अनुमान मात्र था। जैसा कि मैंने बताया बाद में मामला विशेष पुलिस स्थापना को सौंप दिया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस राशि को १·६ लाख रुपये बताया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** डिप्टी चीफ इंजीनियर को भी मुअत्तिल किया गया था। क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह प्रश्न राजखरसवां–बरजमदा लाइन को दोहरा बनाने के बारे में है। इसलिए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** इस लाइन को दोहरा करने के बारे में अधिक भुगतान कर दिए जाने के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के साथ साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर को भी मुअत्तिल किया गया था परन्तु अब उत्तर से मालूम होता है कि केवल डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह मुक्त कर दिया गया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** दो बातें हैं। एक तो यह कि यह प्रश्न बरजमदा–राजखरसवां को दोहरा बनाने के बारे में है। डिप्टी चीफ़ इंजीनियर मनोहरपुर–रूरकेला लाइन से संबंधित था। जहां तक इस मामले का संबंध है, रिपोर्ट है कि डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर तथा तीन अन्य सहायक इंजीनियरों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। पुनरीक्षण करने पर हमें पता लगा कि सहायक इंजीनियरों के विरुद्ध मामला नहीं बनता है अपितु डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के विरुद्ध मामला बनता है। हमने उनके विरुद्ध कार्यवाही कर दी है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्योंकि इसका संबंध इतनी अधिक धनराशि से है इसलिए क्या मंत्री महोदय विशेष पुलिस स्थापना की रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** एक करोड़ रुपये का ठेका था तथा अधिक भुगतान १.६ लाख रुपये अर्थात् $१^{१}/_{२}$ प्रतिशत का हुआ था। जिन कठिन परिस्थितियों में काम किया जा रहा था, उन में इतना थोड़ा सा अधिक भुगतान हो जाना अवश्यंभावी था ?

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** हम इसीलिए यह चाहते हैं कि इस रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या कार्यवाही की गई ? क्या मामला लम्बित है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मामला लम्बित नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सेवा निवृत्ति हो गये हैं। उनके उपदान की राशि का एक भाग उनको नहीं किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह एक विभागीय जांच है। मैं आपका निर्णय मानूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। सभासदों को सरकार के उन कार्यों को, जो गोपनीय हों, के अतिरिक्त, सभी कार्यों की जानकारी होनी चाहिए। जब भी किसी सदस्य को कोई शंका हो तभी वह इसको देख सकता है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मेरा निवेदन है कि सामान्यत. ऐसा नहीं होता है क्योंकि यह विभागीय रिपोर्ट है

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** मांग होने पर इसको सभा पटल पर रखा जाना चाहिए जिससे सभी संदेहों का निवारण हो जाये । कोई संदेह क्यों बाकी रह जाये । माननीय सदस्य का कहना है कि पहले राशि १२ लाख रुपये थी; फिर यह ६ लाख रुपये रह गये और अब केवल एक लाख रुपये हो गये । इसलिए मैं समझता हूं कि प्रशासन के हित में यह ठीक होगा कि माननीय सदस्य उन कागजातों को देख लें ।

डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारी

+

*७३५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति की शेष सिफारिशें की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया ?

सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). मैं डा० प० सुब्बरायन की ओर से बताना चाहता हूं कि चार सिफारिशों की भी जांच की जा रही है और आशा है कि उन पर शीघ्र ही निर्णय कर लिये जायेंगे । प्रादेशिक भाषाओं में फार्म छपाने के बारे में की गई सिफारिश पर निर्णय कर लिया गया है और उसे कार्यान्वित करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को भेज दिया गया है ।

†**श्री भक्त दर्शन :** रिपोर्ट एक वर्ष पूर्व प्रस्तुत कर दी गई थी तब इतना विलम्ब किन विशेष कारणों से हुआ ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** यह सच है कि कुछ विलम्ब हुआ था । हम ने कार्यवाही की थी । हम ने डाक तथा तार के महालेखापाल को मामला सौंपा था । उन्होंने कुछ विलम्ब कर दिया और कहा कि पहले उनके पास प्रस्ताव आने चाहिए तब यह अपना परामर्श देंगे ।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या सरकार को यह पता लगा है कि कुछ समय पहले लिये निर्णयों को भी लागू नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश कर्मचारियों को बकाया धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है । क्या अब कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन :** मैंने अभी बताया कि डाक तथा तार के महालेखापाल का परामर्श लिया गया था कि इसको लागू किया जा सकता है । उन्होंने बताया कि पहले प्रस्ताव भेजे जायें तब परामर्श दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह सिफारिश थी जिसको सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था कि भुगतान काम की 'पाइन्ट पद्धति' के आधार पर किया जाना चाहिए। क्या मंत्रालय ने इस समय तक काम की 'पाइन्ट पद्धति' की गणना कर ली है जिसके अनुसार उनके पारिश्रमिक बढ़ाये जायेंगे ।

†डॉ० प० सुब्बरायन : जैसा कि मैंने बताया हम ने डाक तथा तार के महालेखापाल को मामला भेजा था । जब उनकी सलाह हमें मिल जायेगी तब हम उस पर विचार करेंगे और क्रियान्वित करेंगे ।

†श्री स० मो० बनर्जी : पहले एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी समिति की सिफारिशों का सम्बन्धित विभाग द्वारा संशोधन किया जा रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है अथवा उनको भी महालेखापाल को सौंप दिया गया है ।

†डा० प० सुब्बरायन : जैसा मैं ने बताया सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है । इसके बाद लेखापालन का प्रश्न उठा । इसलिए डाक तथा तार के महालेखापाल को इसे भेजा गया । उत्तर अभी मिला है । जिस पर डाक तथा तार बोर्ड विचार करेगा ।

†श्री तंगामणि : अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी सम्बन्धी राजन समिति का प्रतिवेदन १९५८ में प्रस्तुत किया गया था । पिछली बार हमें बताया गया था कि पारिश्रमिक सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि समिति की सिफारिश के अनुसार उनको अतिरिक्त पारिश्रमिक कब तक मिल जायेगा ?

†डा० प० सुब्बरायन : मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही उनको यह मिल जायेगा ।

सैलम–बंगलौर रेलवे लाइन

+

†*७३६. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नेकराम नगी :

क्या रेलवे मंत्री १८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सैलम-बंगलौर रेलवे लाइन बनाने के बारे में सब से हाल की स्थिति क्या है ?

†रेलवे उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : बंगलौर को सैलम से मिलाने वाली लाइन का निर्माण रेलवे की तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : इस लाइन की कुल दूरी क्या है तथा क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†श्री शाहनवाज खां : जी हां । १९५६–५७ में कुछ सर्वेक्षण किया गया था । प्रारम्भिक इंजीनियरिंग तथा यातायात सर्वेक्षण किया गया था । बड़ी लाइन की कुल दूरी लगभग १३३ मील है तथा मीटर गाज लाइन की १४४ मील है ।

†श्री नरसिंहन् : तीसरी योजना के पृष्ठ ५४८ के धारा २८ में इसके शामिल करने के आधार पर तथा '२८-४-१९६१ को प्रश्नों पर प्रधान मंत्री के उत्तरों के आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि इस लाइन के अन्तिम स्थापना सर्वेक्षण के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** ज्यूंही इसको योजना में शामिल करने का निर्णय किया जायेगा।

†**श्री तंगामणि** : इसके लिए १९६१-६२ में कितनी धनराशि अलग रखी गई है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** लाइन की अन्तिम रूप से स्वीकृति के बाद धनराशि अलग रखी जायेगी । यह भी विचाराधीन है।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** इस परियोजना को तीसरी योजना में शामिल करने की आशा है । यदि अभी कार्यवाही नहीं की गई तो इसको तीसरी योजना में पूरा नहीं किया जा सकता।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** योजना आयोग द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद कार्यवाही की जायेगी ।

चंडीगढ़-लुधियाना रेलवे लाइन

+

†*७३७ { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री हेम राज :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या रेलवे मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चंडीगढ़ स्टेशन से लुधियाना तक सीधी रेलवे लाइन बनाने की योजना पर इस बीच विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

†**रेलवे उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड में विचार किया जा रहा है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस रेलवे लाइन को तीसरी योजना में शामिल करने की संभावना है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** माननीय सदस्य को तीसरी योजना के प्रतिवेदन की प्रति मिल गई है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या यह सच है कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने इस लाइन के निर्माण के लिए विशेष अनुरोध किया है। यदि हां, तो क्या इस पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** प्रत्येक राज्य अपने प्रदेश में लाइनों के बारे में दबाव डालता है। फिर भी मुख्य मंत्री ने लिखा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे लगभग २५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सके हैं ? इस आधार पर कि यह ऋण नई लाइनों के लिए है मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस लाइन के बारे में विचार कर लिया जायेगा और इसके लिए आवंटन किया जायेगा ?

†**श्री सैं० वें० रामस्वामी :** योजना आयोग ने सभी पहलुओं पर विचार किया है और इसको शामिल न करने का निर्णय किया है । संभवतया योजना आयोग ने वित्तीय व्यवस्था न होने के कारण ऐसा किया हो। चण्डीगढ़ लुधियाना लाइन की आय १.८६ प्रतिशत तथा चण्डीगढ़-जगाधरी लाइन की आय १.४६ प्रतिशत है । संभवतया योजना आयोग पर इसका असर पड़ा हो ।

आंध्र प्रदेश में बालपक्षाघात

+

†*७३८. { **श्री कुन्हन :**
श्री प० व० विट्ठलराव :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री ३ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में बालपक्षाघात निवारण कार्यक्रम शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो २ से ५ वर्ष तक की उम्र के कितने बच्चों को रूस से प्राप्त हुई खाई जाने वाली दवा (ओरल वैक्सीन) दी गयी है; और

(ग) क्या किन्हीं दूसरे देशों से भी यह वैक्सीन प्राप्त करने की कोई योजना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) जी हां ।

(ख) ६ महीने की आयु वाले १,०१,२६८ बच्चों के रूस से आई बालपक्षाघात वैक्सीन लगाई गई थी ।

(ग) कनाट मैडिकल रिसर्च लैबोरेटरीज, स्पाडिना क्रें सेंट, टरोनटो, कनाडा ने भारत सरकार को १००,००० खुराक ओरल वैक्सीन दान में दी है ।

किसी अन्य देश से इस वैक्सीन को प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री कुन्हन :** क्या इन रोगियों को उपचार के लिये दूसरा अस्पताल बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री करमरकर :** वैक्सीन के निर्माण के लिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अस्पतालों में वैक्सीन नहीं बनती है । वह जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे मामलों के उपचार के लिये दूसरा अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है ।

†**श्री करमरकर :** केवल उपचार के लिये । यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आन्ध्र प्रदेश सरकार स्थिति पर काबू पाने योग्य है ;

†**श्री कोडियान :** क्या इस रोग को उत्पन्न करने वाले कीटाणु की खोज कर ली गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : दो प्रकार की वेक्सीन हैं । इनमें से एक 'साफ वैक्सीन' है जिसको हमने स्वीकार किया है ।

†श्री कोडियान : मेरा प्रश्न यह है कि आन्ध्र प्रदेश में जिन कीटाणुओं के कारण यह रोग फैला है क्या उसकी खोज कर ली गई है ।

†श्री करमरकर : अग्रेतर जांच के अतिरिक्त, मैं समझता हूं कि हमारी कुन्नूर की शोधनशाला में इस प्रश्न की भी जांच हो चुकी है । परन्तु मैं ठीक उत्तर देने के लिये पूर्वसूचना चाहता हूं ।

†डा० सुशीला नायर : माननीय मंत्री ने बताया कि दो प्रकार की वैक्सीन हैं । एक 'साफ' तथा दूसरी 'ओरल' । क्या वह बतायेंगे कि आन्ध्र की महामारी में इन दोनों का प्रयोग किया गया था अथवा केवल 'ओरल' का प्रयोग किया गया था तथा यदि दोनों का प्रयोग किया गया था तो किस अनुपात में और क्या दोनों के परिणामों के कोई अन्तर मालूम हुए ?

†श्री करमरकर : यह दोनों ही 'ओरल वैक्सीन' थीं । अग्रेतर व्यौरों के बारे में मुझे पूर्वसूचना चाहिये अथवा मैं अपने विशेषज्ञों का सम्पर्क माननीय सदस्य से करा दूंगा ।

†श्री कासलीवाल : माननीय मंत्री द्वारा भाग (क) के उत्तर में बताया गया है कि यह रोग निवारण कार्यक्रम था तथा उपचार कार्यक्रम नहीं था । क्या यह ओरल वैक्सीन उपचार के लिये भी दी गई थी तथा यदि हां, तो क्या प्रभाव हुए ?

†श्री करमरकर : यह प्रश्न रोग निवारण के सम्बन्ध में है । इसलिये मेरे सारे उत्तर रोग निवारण के बारे में हैं । यदि मेरे मित्र उपचार के बारे में प्रश्न प्रस्तुत करेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगा ।

भारत में बनाये गये जहाजों की कीमत

†*७३९. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बनाये गये जहाजों की कीमत और ब्रिटेन में प्रचलित कीमतों से क्या सम्बन्ध है; और

(ख) क्या भारत में बनाये गये जहाजों की कीमत कम करने की किसी योजना पर विचार हो रहा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्) : (क) व्यवहार की दृष्टि से हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बने जहाजों के मूल्यों की तुलना उस समय तक ब्रिटेन में बने जहाजों के मूल्यों से नहीं की जा सकती जब तक कि ब्रिटेन के यार्ड में वैसा ही जहाज उसी के साथ न बने और उनसे उसका मूल्य मालूम न किया जाये । शिपयार्ड को ब्रिटेन के शिपयार्ड में एक जहाज बनवाने की लागत का प्राक्कलन ब्रिटेन परामर्शदाताओं की एक फर्म से मिलता है । इस प्राक्कलन के आधार पर, हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बने जहाजों का मूल्य शिपयार्ड और जहाज के मालिकों के बीच वार्ता द्वारा ब्रिटेन के मूल्य को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है ।

(ख) नहीं ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच नहीं है कि ग्राहकों से निरन्तर शिकायतें आती रही हैं कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा बने इन जहाजों का मूल्य बहुत अधिक है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सन्तुष्ट है कि उचित लागत की गणना करने के उपाय और उत्पादन लागत पर नियन्त्रण लागू कर दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बरायन्** : मेरा ख्याल है कि मूल्यों पर उचित नियन्त्रण रखा जा रहा है और हम जितना कम मूल्य ले सकते हैं, ले रहे हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हाल में ही इस शिपयार्ड में कलकत्ता बन्दरगाह के आयुक्तों के लिये ३० लाख रु० की लागत पर एक नदी सर्वेक्षण पोत बनवाया गया था जो दूसरों की तुलना में बहुत छोटा है, और कलकत्ता बन्दरगाह में पोत के आने के बाद.....

†**अध्यक्ष महोदय** : हम इस मामले पर विचार विमर्श कर रहे हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : नहीं, श्रीमान् । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इस बात से सन्तुष्ट हैं कि वहां लागत का उचित लेखन और नियन्त्रण है । बाद में यह पता लगा था कि पोत में फेर बदल कराने पर काफी व्यय करना होगा क्योंकि नाविकों तथा अधिकारियों के लिये स्थान की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी ।

†**डा० प० सुब्बरायन्** : मैंने स्वयं जहाज और उसमें विद्यमान कठिनाइयों को देखा है । मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य का कहना ठीक है । परन्तु कभी कभी गलती हो ही जाती है ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड जहाज मालिकों से वही मूल्य लेता है जो उन्हें ब्रिटेन से जहाज खरीदने पर देना पड़ता ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक हिन्दुस्तान शिपयार्ड को कुल कितनी आर्थिक सहायता दी है ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : श्रीमान्, मुझे पूर्वसूचना चाहिये । मैं जानता हूं कि पर्याप्त आर्थिक सहायता दी गई है, परन्तु मुझे आंकड़े प्राप्त करने होंगे ।

†**श्री कासलीवाल** : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में माननीय मन्त्री ने भी संक्षिप्त रूप में कहा था "नहीं"। भारतीय जहाजों का मल्य कम करने के किसी प्रस्ताव के विचाराधीन न होने के क्या कारण हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : क्योंकि हम उसे कम नहीं कर सकते ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या अब भारत में इस्पात उपलब्ध होने से भारतीय जहाजों के मूल्य काफी कम हो जायेंगे ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : इस्पात उपलब्ध होने पर हम इस पर विचार करेंगे ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि क्योंकि सरकार वास्तविक लागत और ब्रिटेन में लागत मल्य में अन्तर के बराबर आर्थिक सहायता देती है और अपनी उत्पादन लागत में कमी करने का हिन्दुस्तान पियार्ड के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं है, यदि हा, तो लागत कम करने की दिशा में सरकार

†**डा० प० सुब्बरायन्** : हमने मूल्य कम करने का भरसक प्रयत्न किया है, परन्तु लागत कीजांच करने पर पता लगा कि उसे वर्तमान उत्पादन लागत से कम करना असम्भव है ।

†**श्री दामानी** : क्या सरकार ने देखा है कि हमारा मूल्य ब्रिटेन के मल्य की अपेक्षा किन-किन मदों में अधिक है ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : अनेक वस्तुयें विदेशों से आयात होती हैं जिनसे मल्य बढ़ जाता है । मैं इसका ठीक वर्णन नहीं कर सकता कि हम क्या-क्या आयात कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : जहाजों पर कितने प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : मुझे जानकारी प्राप्त करनी होगी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बने इन जहाजों की लागत पर राउरकेला से आने वाली प्लेटों की लागत का कितना प्रभाव पड़ता है क्योंकि वहां प्लेट मिल ठीक से नहीं चल रहा है ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : हमने अभी इसकी तुलना नहीं की है; परन्तु इसकी तुलना कराऊंगा ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : हिन्दुस्तान शिपयार्ड के जहाजों में कितनी औसत प्रतिशत विदेशी मुद्रा के मूल्य के पुर्जे लगे होते हैं ?

†**डा० प० सुब्बरायन्** : मुझे ये आंकड़े याद नहीं हैं । मुझे उनकी गणना करानी होगी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : एक जहाज बनाने के लिये कितने विदेशी मुद्रा के मूल्य के पुर्जे विदेशों से आयात करने होते हैं ।

†**डा० प० सुब्बरायन्** : यदि माननीय महिला सदस्य चाहे तो मैं जानकारी प्राप्त करूंगा ।

रेलवे के डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट

†*७४०. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिविजनल सुपरिन्टेन्डेट के कौन कौन से पद कनिष्ठ प्रशासनिक पदालि में हैं और कौन कौन से मध्यवर्ती पदालि (इन्टरमीडियेट कैडर) में हैं ; और

(ख) क्या सभी डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्टों को एक ही पदालि में रखने के विषय पर सरकार ने विचार किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) प्रत्यक्ष है कि माननीय सदस्य का पदालि से अभिप्राय क्षेणी का है । अपेक्षित जानकारी निम्न है :—

रेलवे	डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्टों के पद	
	मध्यवर्ती पदालि में	कनिष्ठ पदालि में
पूर्व	सियालदह हावड़ा दीनापुर आसनसोल	——
मध्य	सिकन्दराबाद झांसी बम्बई भुसावल	जबलपुर शोलापुर नागपुर

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे	डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्टों के पद मध्यवर्ती पदालि नें	कनिष्ठ पदालि में
उत्तर	दिल्ली	बीकानेर
	इलाहाबाद	जोधपुर
	लखनऊ	
	मुरादाबाद	
	फीरोजपुर	
दक्षिण	मद्रास	मदुरा
	वैंजवाड़ा	ओलवक्कोट
	गुन्टाकल	हुबली
		मैसूर
		त्रिचनापली
पश्चिम	बम्बई	रतलाम
	बड़ौदा	कोटा
	राजकोट	जयपुर
		अजमेर
		भाव नगर

(ख) डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्टों के सारे पदों को एक ही श्रेणी में रखने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या कनिष्ठ प्रशासकों के ये पद केवल उप क्षेत्रों में हैं जो पहिले भाग 'ख' के राज्य थे ? क्या यह अनुरिक्य है या ये श्रेणियां निर्धारित करने में कोई युक्तियुक्त विचार किया गया ?

†**श्री शाहनवाज खां :** मुख्य विचार तो कार्य-भार का है जो प्रत्येक डिविजन में है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** श्रीमन्, उच्च न्यायालयों के जजों के मामले में, चाहे कोई जज राजस्थान में हो या उत्तर प्रदेश में हो, उसे समान ही वेतन मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेटों के बारे में, जिला चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उन्हें समान वेतन मिलता है । वे विशेष कारण क्या हैं जिनकी वजह से रेलवे प्रशासन ने भिन्न मार्ग अपनाया है जो कि प्रशासन के इन स्वीकृत सिद्धांतों के सर्वथा विरुद्ध है कि समान स्तर के सभी पद एक ही पदालि में हों ?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) :** सर्वप्रथम, तो इसका भारत के भूतपूर्व राज्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है । कनिष्ठ प्रशासन श्रेणी के डिविजन देश के समस्त भागों में हैं। कनिष्ठ प्रशासन श्रेणी के अधिकारियों को कुछ डिविजनों का कार्यभारी बनाने का औचित्य और कुछ मध्यवर्ती प्रशासन श्रेणी के अधिकारियों को कुछ अन्य डिविजनों का कार्यभारी बनाने का मूल कारण सम्बन्धित डिविजनों में कार्य की मात्रा और समस्याओं पर निर्भर है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया था कि सरकार आजकल इस प्रश्न पर विचार कर रही है । क्या समूची पदालि विचाराधीन है या ऊंचा की जाने वाले कुछ पदों पर ही विचार किया जा रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** नहीं। पदालि में कोई गलती नहीं है। विचार इस पर किया जा रहा है कि हम कोई क्रम, अर्थात् कनिष्ठ या वरिष्ठ प्रशासन श्रेणियां, नहीं रखेंगे परन्तु जिन डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्टों को डिविजनों के कार्यभारी होने योग्य समझा जायेगा, उन्हें उनकी श्रेणी का वेतन और कुछ भत्ता दिया जायेगा।

†**श्री तंगामणि :** क्या मैं यह समझूं उन १५ डिविजनों में जिन में कनिष्ठ डिविजनल अधिकारी हैं, अब वरिष्ठ डिविजनल अधिकारी रखे जायेंगे या इसके विकल्प में उनको वही वेतन मिलेगा जो १९ वरिष्ठ डिविजनल अधिकारियों को मिलता है ?

†**श्री जगजीवन राम :** नहीं। खण्ड कनिष्ठ प्रशासन श्रेणी या मध्यमवर्ती श्रेणी के आधार पर नहीं होंगे। जिन अधिकारियों को डिविजन का भार संभालने के लिए उपयुक्त समझा जायेगा उन्हें उन डिविजनों का कार्यभारी बना दिया जायेगा। उन्हें अपनी श्रेणी का वेतन और कुछ भत्ता मिलेगा। भत्ता सबका समान होगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं प्रश्न के भाग (ख) की उनकी व्याख्या के बारे में माननीय मंत्री से कुछ और स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। क्या मैं यह समझूं कि किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर दिया जायेगा और उसे न्यूनतम भत्ता दिया जायेगा या कम से कम कुछ न्यूनतम निश्चित किया जायेगा कि किसी पदालि विशेष से नीचे का अधिकारी नहीं रखा जायेगा, अर्थात् कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी या विभागीय अध्यक्ष से नीचे का कोई अधिकारी नहीं रखा जायेगा ? आप इसे किस श्रेणी के समान बना रहे हैं और फिर भत्ता दे रहे हैं ? हम अनेक पदों पर विशेष भत्ता देते हैं; परन्तु मूल श्रेणी, मूल पदालि, मूल वेतन तो सदैव ही होता है।

†**श्री जगजीवन राम :** मूल श्रेणी कनिष्ठ प्रशासन पदालि से नीचे नहीं होगी।

दक्षिण रेलवे में गाड़ियों में अत्यधिक भीड़

†***७४१. श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **रेलवे** मंत्री ३० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ की तुलना में १९६० में दक्षिण रेलवे (बड़ी लाइन) के तीसरे दर्जे में अत्यधिक भीड़ की प्रतिशतता बढ़ जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अत्यधिक भीड़ कम करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किये गये उपाय अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो आगामी वर्षों में अत्यधिक भीड़ कम करने के लिए दक्षिण रेलवे में संभवतः क्या विशेष उपाय किये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). अत्यधिक भीड़ का मुख्य कारण यह था कि यात्री यातायात की आवश्यकता अधिक स्थान की की गई व्यवस्था से विशेषकर १९५९ और १९६० में अधिक थी।

(ग) लाइन क्षमता और इंजन व डिब्बों की उपलब्धता के अनुसार और प्रत्याशित अधिक माल यातायात होने की आवश्यकता का उचित ध्यान रखते हुए, उन सेक्शनों पर आने वाले वर्षों में अधिक यात्री गाड़ी चलाने का विचार है जहां भीड़ को देखते हुए ऐसा करना उचित है। विद्यमान गाड़ियों का भार भी यथासंभव बढ़ाया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यात्री परिवहन क्षमता में १५ प्रतिशत वृद्धि होने की आशा थी । क्या दक्षिण रेलों की क्षमता वास्तव में १५ प्रतिशत बढ़ गई है और यह अत्यधिक भीड़ इस १५ प्रतिशत के अतिरिक्त है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** लगभग २५ प्रतिशत अखिल भारतीय वृद्धि हुई है । जहां तक दक्षिण रेलवे का सम्बन्ध है, १९५५ में १२ से बढ़ कर १९६० में १६ प्रतिशत वृद्धि हो गई है । हमने ४९८ डिब्बे, जिनमें ४५,००० से अधिक व्यक्ति बैठक सकते हैं, और चलाये हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विजयवाड़ा और गुडूर के बीच लाइन को दोहरा करने का निश्चय किया गया था। फलस्वरूप, हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित लाइन का केवल ५० प्रतिशत भाग ही दोहरा किया है । क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में सारी लाइन को दोहरा बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** दक्षिण रेलवे पर हमने लगभग १४४ मील लम्बी लाइन को दोहरा किया है । जहां तक विजयवाड़ा-गुडूर लाइन का सम्बन्ध है, हमने ९३ मील लम्बी लाइन का प्रोग्राम बनाया था जिसमें से ८७½ मील लम्बी लाइन दोहरी कर दी गई है और अब केवल ५½ मील लम्बी लाइन शेष है । उसके लिए हम गर्डरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं । वह इस मास के अन्त तक पूरी हो जायेगी ।

रेलवे इंजन-डिब्बों आदि का निर्यात

+

†*७४२. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आसर :
श्री न० म० देव :
श्री मणियंगाडन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजन, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के निर्यात के प्रयत्न कहां तक सफल हुए हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में और प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ग) १९६१ में निर्यात के आंकड़े १९६० के निर्यात के आंकड़ों की तुलना में कम हैं या अधिक ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है ।

(ख) विदेशी पूछताछ प्राप्त होने पर प्रस्ताव भेज कर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अजित सिंह सरहदी : क्या निर्यात बढ़ाने के प्रयत्नों में वृद्धि करने की दृष्टि से रेलवे मंत्रालय ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की निर्यात संवर्धन परिषद् के समान ही एक निर्यात संवर्धन परिषद बनाने के औचित्य पर विचार किया है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** निर्यात राज्य व्यापार निगम द्वारा होता है जो कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक अंग है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या मंत्रालय ने राज्य व्यापार निगम पर निर्भर रहने के बजाये एक निर्यात संवर्धन परिषद् बनाने पर विचार किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव है।

कुष्ठ नियंत्रण के लिये विधान

†*७४४. **श्री कोडियान :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ-नियंत्रण के लिए विधान से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की छानबीन करने के लिए सरकार द्वारा बनायी गयी समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और कोई योजनायें प्रस्तुत की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री कोडियान :** समिति के कब तक प्रस्ताव देने की आशा है ?

†**श्री करमरकर :** मेरा विचार है कि यह समिति लगभग एक मास में अपनी अन्तिम रिपोर्ट देगी और हम केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की आगामी बैठक में उस पर विचार कर सकेंगे।

†**श्री कोडियान :** क्या राज्यों में कोई ऐसा विधान है जिससे कुष्ठ पर नियन्त्रण किया जा सके ?

†**श्री करमरकर :** कुष्ठ रोग विधान से नहीं रोका जाता, यह तो उपचार से रोका जाता है। मैं उनका प्रश्न नहीं समझ सका हूं। -

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहते हैं कि क्या छूत फैलना रोकने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ? किसी को यह रोग छूत से लगता है। क्या उन्हें अलग रखने के कोई प्रयत्न किये जाते हैं। यदि यह रोग स्वयं होता है तो दूसरी बात है। वह जानना चाहते हैं कि क्या रोग को सम्पर्क द्वारा फैलने से रोकने के लिये राज्य सरकारों ने कोई विधान बनाया है।

†**श्री करमरकर :** अब उनका प्रश्न स्पष्ट हो गया है। यह सच है कि विशेषज्ञों ने पता लगाया है कि क्षय रोग तथा तेजी से लगने वाले अन्य रोगों की विभान्ति कुष्ठ रोग बहुत समय के सम्पर्क से ही लगता है। यह परिवार में बच्चों के साथ होता है। आजकल कुष्ठ रोग के रोगियों को अलग रखने का उपाय समयातीत हो गया है। यदि किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग होता है, तो उस परिवार के प्रत्येक पुरुष, स्त्री और बच्चे को केन्द्र में ले जा कर यह देखने के लिये परीक्षा की जाती है कि उन्हें भी छूत लगी है या नहीं। पृथककरण का पुराना विचार तेज़ी से समाप्त हो रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

अतः विशेषताओं के आधार पर और असम्भवता के कारण भी रोगियों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का विधान विचाराधीन नही है। विचाराधीन प्रश्न यह है कि भीख मांगने वाले कुष्ठ रोगियों के बारे में क्या किया जाये। अभी तो यही महत्वपूर्ण समस्या समझी जाती है। साधारणतया कुष्ठ रोग के नियन्त्रण के लिये हमारा विचार सारे देश में ये केन्द्र खोलने का है और प्रत्येक को चिकित्सा उपलब्ध करने का है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या हाल में कोई सर्वेक्षण किया गया है जिसमें यह निश्चित किया गया है कि कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ने वाली है और कुछ स्थानों में, विशेषकर खानों में उनकी संख्या बढ़ गई है? इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**श्री करमरकर :** खान-क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में मुझे कुछ समय लगेगा परन्तु यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर, हम जहां भी जाते हैं, हमें रोगियों ने बताया है कि उत्तम चिकित्सा होती है और उनके दाग समाप्त हो रहे हैं। वस्तुतः डा० वार्डेकर ने बर्धा में सर्वेक्षण किया था जिससे विदित होता है कि उस क्षेत्र मे कुष्ट रोग कम हो रहा है। अतः कुष्ट रोगियों की संख्या कम हो रही है।

†**डा० सुशीला नायर :** क्या माननीय मंत्री को विदित है कि वह जिस सर्वेक्षण का उल्लेख कर रहे हैं, वह उस क्षेत्र में अत्यधिक गृह-चिकित्सा किये जाने के बाद किया गया था। निश्चित बात है कि प्रत्येक कुष्ठ रोगी की अत्यधिक गृह-चिकित्सा करने, उसका पता लगाने के बाद विशेष क्षेत्र में कुष्ठ रोगियों की संख्या कम हो जायेगी। परन्तु माननीय मंत्री उससे सारे देश के लिये सामान्य निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? द्वितीय, क्या वह यह सुझाव दे रहे हैं कि भीख मांगने वाले कुष्ठ रोगियों के लिये कुछ नहीं करना है और सरकार अभी इस समस्या को छोड़ रही है?

†**श्री करमरकर :** प्रश्न के पूर्वार्ध के लिये मेरा उत्तर उसी बात को दोहराता है जो मैंने पहिले कहा है कि हमारे पास जो जानकारी है उससे हम यह नहीं कह सकते कि कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ रही है। दूसरे प्रश्न के बारे में हम उसे अत्यधिक महत्व देते हैं और सरकार उस पर सक्रिय रूप विचार कर रही है। भीख मांगने वाले कुष्ठ रोगियों के लिये क्या किया जाये, इस बारे में स्थिति यह है कि बम्बई में भीख मांगने वाले कुष्ठ रोगियों को पकड़ लिया जाता है और उन्हें अलग करके उनकी चिकित्सा की जाती है। इससे कुछ भला हुआ है। उदाहरणार्थ, दिल्ली मे, सभी भिखारियों को पकड़ लिया जाता है और उनमें भिखारी कोढ़ी भी होते हैं।

†**श्री कुन्हन :** क्या कुष्ठ रोग के निवारण के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् की कोई योजना है और यदि हां, तो वे योजनायें क्या हैं?

†**श्री करमरकर :** कुष्ठ रोग की रोकथाम के लिये भारत सरकार की एक योजना है। परिषद् की योजनायें केवल अनुसन्धान सम्बन्धी हैं।

सेवा निवृत्त वैज्ञानिकों को अनुसन्धान कार्य जारी रखने के लिये भत्ता

+

†*७४५. { **श्री दामानी :**
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने सेवा निवृत्त वैज्ञानिकों को वार्षिक भत्ते

†मूल अंग्रेजी में

दे कर, अनुसन्धान कार्य जारी रखने में मदद करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सेवा निवृत्त वैज्ञानिकों की क्या राय है; और

(ग) क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही आगे की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) हां ।

(ख) वे लोग योजना से सहमत हैं ।

(ग) योजना दिसम्बर, १९६० से लागू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत अब तक चार सेवा निवृत्त वैज्ञानिकों को सहायता दी गई है ।

†**श्री दामानी :** क्या ऐसे कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु बढ़ाने का विचार है ताकि उनके ज्ञान और अनुभव से जो सेवा-निवृत्ति की आयु पर पूरी होती है, लाभ उठाया जा सके ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** यह एक अलग प्रश्न है । हम उन व्यक्तियों के बारे में बात कर चुके हैं जो वास्तव में सेवा-निवृत्त हो गये हैं । इसमें इसका कोई विचार नहीं रखा गया है कि वे किस आयु में सेवा से निवृत हुए ।

†**श्री त्यागी :** इन वैज्ञानिकों को किस प्रकार की सहायता दी जायेगी । क्या यह केवल उन्हीं को दी जायेगी जिन्होंने अपनी सेवा की अवधि में अच्छा काम किया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** हां श्रीमान् । वैज्ञानिकों को बड़ी सावधानी से चुना जायेगा । एक परामर्शदात्री निकाय होगा जिसमें देश के पांच बड़े वैज्ञानिक होंगे जो केवल इस बात का ही नहीं कि उन्होंने भूतकाल में क्या किया है बल्कि इस बात की भी जांच पड़ताल करेंगे कि अनुसन्धान के लिये जो विषय उन्हें सौंपा जायेगा उसके लिये वे कहां तक उपयुक्त सिद्ध होंगे । वेतन ६००० रु० वार्षिक होगा । यह एक प्रकार का भत्ता होगा । प्रबन्ध के लिये ४००० रु० दिये जाते हैं ।

†**श्री त्यागी :** मैं यह जानने के लिये उत्सुक था कि क्या यह सहायता केवल उनको ही दी जायेगी जिन्होंने अपने सेवा-काल में अच्छा अनुसन्धान किया है और उनको नहीं जो अनु-सन्धान तो करते रहते हैं परन्तु कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं होता । ऐसे व्यक्तियों को सहायता देने से कोई लाभ नहीं ।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** यह केवल उन तक ही सीमित नहीं होगी जिन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है । किसी भी निश्चित फल के न होने पर भी क्षमता हो सकती है । यदि फल मिलने का विश्वास है, तो वह उतना ही अच्छा है ।

†**डा० मा० श्री० अणे :** क्या उन वैज्ञानिकों को रियायत दी जाती है जो प्रार्थना करके सेवा से निवृत हुये हैं या स्वयं सरकार यह आशा करके देती है कि उन्हें दी गई ऐसी रियायतें उन प्रयोजनों के लिये लाभप्रद होगी जिनके लिये वे दी जाती हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** वास्तव में, प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थनापत्र देने की आशा की जायेगी । और इस अवस्था में हमें उससे काम करने के लिये कहने में कुछ महसूस नहीं करना पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार महसूस करती है कि भत्ता देना ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि अनुसंधान करने के लिये अन्य सुविधायें अधिक महत्वपूर्ण हैं? अनुसंधान करने का मौका देने के बजाय अन्य सुविधायें, जैसे प्रयोगशाला की सहायता और इसी प्रकार की अन्य सब सुविधायें देने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**डा० प० शा० देशमुख** : पर्याप्त व्यवस्था है जोकि ४००० रु० की व्यवस्था में काफी सन्तोषजनक है। वे जहां कार्य करना चाहें उस संस्था को चुन सकते हैं। हो सकता है कि वह प्रयोगशाला हो, किसी विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला हो या और कहीं हो, या हो सकता है कि यह कृषिशास्त्र से संबंधित हो या अन्य अनुसंधान हो जो स्वयं उनके ही फार्मों पर किया जा सके या अन्य स्थानों पर किया जा सके। मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस योजना के बनाने में उतने असावधान नहीं हैं जितना कि उनके प्रश्न में कहा गया है कि हमने उस पहलू को भी सम्मिलित नहीं किया जिसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है।

†**श्री जमाल ख्वाजा** : मेरा प्रश्न माननीय सदस्य, श्री त्यागी के प्रश्न से संबंधित है। सरकार ऐसे वैज्ञानिक से जिसने सेवा निवृति की आयु तक कोई फलदायिक कार्य नहीं किया है, यह कैसे आशा करती है कि वह बाद में लाभप्रद कार्य करेगा ? यह निश्चय करने की सोद्देश्य प्रक्रिया क्या होगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : श्री त्यागी के प्रश्न का उत्तर देते समय मैं एकमात्र मामले का उल्लेख कर रहा था क्योंकि हमारे अनेक वैज्ञानिक ऐसे है जो कभी समूचे रूप में प्रशासन कार्य ही करते रहे हैं, अतः शायद उन्हें किसी प्रयोगशाला में निरन्तर कार्य करने का अवसर ही नहीं मिला हो। परन्तु इतने पर भी उन्होंने ज्ञान की वृद्धि में योग दिया है। अतः उचित मामले में, ऐसे व्यक्तियों को भी यह सहायता दी जायेगी।

†**श्री त्यागी** : क्या माननीय मंत्री इस सभा को यह बतायेंगे कि उन्होंने क्या क्या अनुसंधान किये हैं ? प्रचार तो बहुत हो रहा है परन्तु हम वस्तुतः यह नहीं जानते कि इस संस्था ने कृषि में क्या क्या अच्छे अनुसंधान किये हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह योजना सर्वथा नई है। यह दिसम्बर, १९६० से लागू हुई है। इसके बारे में समय समय पर जानकारी प्राप्त करने का सभा का अधिकार होगा। यदि आवश्यक हो, तो नाम पढ़ दूंगा। मेरा ख्याल है, नामों से सभा को विश्वास हो जायेगा कि उन्हें उचित रूप में चुना गया है। नाम निम्न हैं :—

डा० आर० पी० तलाती, भारत सरकार के खाद तथा मैला विकास अधिकारी, चिकनी तथा तलछटवाली मिट्टियों के लिये उपयुक्त बहावों के स्तरों तथा मिश्रित खादों की किस्म में सुधार करने की जांच पड़ताल करने के लिये।

पूना में बम्बई सरकार के सेवा-निवृत कृषि रसायनज्ञ, डा० एन० नारायण, भेड़ों मे खाद्य समस्या की जांच पड़ताल करने तथा उनके भौतिक और रासायनिक तंत्वुओं का अव्ययन करने के लिये।

भारत सरकार के सेवा-निवृत पौदा सुरक्षा सलाहकार, डा० एच० एस० प्रुथी, भारतीय 'जस्सीदिये' पर वर्गीकृत तथा जीव रसायन संबंधी अध्ययन के लिये।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब के सेवा-निवृत कृषि निदेशक डा० लाभ सिह, गेहूं, कपास कृषि के ढंगों आदि की नई किस्में मालूम करने के लिये ।

अतः वे बहुत ही सावधानी पूर्वक चुने गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के भाग (क) सेवा-निवृत वैज्ञानिकों का अनुसंधान जारी रखने के बारे में था । इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने सेवा-काल में अनुसंधान अवश्य किये होंगे । इसका अभिप्राय उनसे नहीं है जो केवल प्रशासन के कार्यभारी थे । यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** उदाहरणार्थ, श्री प्रुथी काफी समय तक प्रशासन का कार्य करते रहे परन्तु वह बहुत ही योग्य वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहिले अनुसंधान किया था और अनुसंधान की समस्याओं आदि पर पर्याप्त लाभदायिक लिखित सामग्री प्रस्तुत की थी ।

†**श्री त्यागी :** क्या यह वही डा० प्रुथी हैं जो पिछले दस वर्ष से संसार की यात्रा करते रहे हैं ?

†**डा० मा० श्री अणे :** क्या यह काम विशेषज्ञों की समिति द्वारा होता है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख :** हां, श्रीमान् । एक समिति है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उपाध्यक्ष, कृषि आयुक्त, पशुपालन आयुक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सांख्यकीय सलाहकार, और कृषि पशुपालन तथा अन्य संबंधित विज्ञानों के पांच वैज्ञानिक परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जायेंगे । इस निकाय में केवल वैज्ञानिक ही हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या योजना के अन्तर्गत सेवा निवृत वैज्ञानिकों को अनुसंधान की नई परियोजनाओं की अनुमति दी जायेगी या यह सहायता उन्हें अपनी पहिली अनुसंधान परियोजनाओं को जारी रखने के लिये दी जायेगी ।

†**डा० पं० शा० देशमुख :** स्पष्ट है कि हमें उन्हें जो अनुसंधान कार्य सौंपने हैं उसका संबंध उस कार्य से होना चाहिये जो उन्होंने किया है । अतः आवश्यक है यह उनके किये गये अनुसंधान को ही बढ़ाना होगा । उन्होंने जो अनुसंधान किया है उससे इसका निश्चय ही घनिष्ट संबंध होगा ।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं के अतिरिक्त भण्डार की बिक्री

\+

†*७४६. **श्री जांगड़े :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अमर सिंह डामर :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कुन्हन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २७ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार को देश के किसी भी भाग में नि
पार्टियों को गेहूं का अपना अतिरिक्त भंडार (स्टाक) बेचने की अनुमति देने से कोई घाटा हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितना और इसमें से कितना केन्द्रीय सरकार ने उठाया है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) मध्य प्रदेश सरकार को अपना फालतू गेहूं का भंडार देश के किसी भी भाग में निर्यात के लिये गैर-सरकारी पक्षों को बेचने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप कोई हानि नहीं हुई है। यह अनुमति तब दी गयी थी जब महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश से गेहूं के निर्यात की अनुमति नहीं थी। इस अनुमति से मध्य प्रदेश सरकार के लिये अपने गेहूं का अधिक मूल्य मिलने की संभावना है।

(ख) कुल हानि का पता तभी लगेगा जब सारा भंडार बिक जायेगा। केन्द्रीय सरकार अधिकतम एक रुपया प्रति मन तक राज्य सरकार को हुई कुल हानि का ५० प्रतिशत भाग वहन करेगी।

†श्री जांगड़े : क्या समूचे भंडार को खरीदने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा गया था और मध्य प्रदेश सरकार ने जो मूल्य बताये थे, क्या वे केन्द्रीय सरकार द्वारा अमरीका से आयातित गेहूं के मूल्य से कम थे ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : प्रस्ताव किया गया था परन्तु केन्द्रीय सरकार ने वह नहीं माना। यह महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों को किया गया था। परन्तु वे भी उस मूल्य पर खरीदने को राजी नहीं हुये जो मध्य प्रदेश सरकार चाहती थी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह गेहूं खरीदने के लिये कहा था और केन्द्रीय सरकार ने नहीं खरीदा तब से इस बीच में उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं खराब हो गया है जिससे कि कई लाख रुपये की हानि सरकार को उठानी पड़ी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : गवर्नमेंट आफ इंडिया के स्टाक के लिये जो गेहूं खरीदा जाता है वह ऐसा नहीं होता है जैसा मध्य प्रदेश में था। वह खराब ही गेहूं था। इसलिये उसे स्टाक-पाइल में लेकर और खराब करना, ऐसा गवर्नमेंट आफ इंडिया नहीं कर सकती थी।

केरल में विमान पट्टी

+

†*७४६. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला फर्म द्वारा केरल में कोई विमान पट्टी बनायी जाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो कहां ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन): (क) और (ख). यह पता लगा है कि बिड़ला फर्म कालीकट से ७ मील दूर मावूर में एक विमान पट्टी बनाना चाहती है।

(ग) संभवतः कारण यह है कि उनकी एक समवाय ग्वालियर रेयन्स वहां एक पल्प कारखाना बना रही है और निकट में कोई विमान क्षेत्र नहीं है।

†श्री अ० क० गोपालन : क्या कोजिकोडे में एक हवाई अड्डा बनाने की सरकार की प्रस्थापना समाप्त हो गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० प० सुब्बारायन :** हमने इस प्रस्थापना का परीक्षण किया और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से पता लगा कि कालीकट को अधिक यातायात की कोई संभावना नहीं है क्योंकि वहां समीप में दो हवाई अड्डे हैं—एक कोचीन में और दूसरा कोयम्बटूर में।

बिजली के उत्पादन के लिये अखिल भारतीय सुपरग्रिड

+

*७५१. **श्री तंगामणि :**
श्री सरजू पाण्डेय :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कुन्हन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली उत्पादन और वितरण के लिये अखिल भारतीय सुपरग्रिड स्थापित करने के विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिये प्रस्तावित समिति बना ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) उक्त समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की आशा है?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) भारत सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की है। १४ मार्च, १९६१ को प्रश्न संख्या ८११ के अनुपूरक में जिस समिति का निर्देश किया गया था, उसका कार्य कृषि सम्बन्धी पंपिंग तथा लघु उद्योगों आदि के लिये चार्ज किये गये सम्भरण दरों की जांच करना था, न कि अखिल भारतीय ग्रिड स्थापित करना।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

†**श्री तंगामणि :** एक पूर्व अवसर पर भी हमें बताया गया था कि दक्षिण जोन के लिये एक सुपर-ग्रिड स्थापित किया जायेगा और समिति ने भी सिफारिश की है। अब यह किस प्रक्रम पर है?

†**श्री हाथी :** दक्षिणी प्रदेश में अखिल भारतीय ग्रिड बनाने का निर्णय किया गया है। उस प्रयोजन के लिये बंगलौर में अनुसंधान विदेशालय द्वारा इस प्रदेश का समेकित विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा रहा है।

†**श्री तंगामणि :** क्या बंगलौर में शीघ्र ही होने वाली दक्षिण जोन परिषद् की आगामी बैठक के लिये एक मद यह भी रखी गयी है?

†**श्री हाथी :** जी, हां। मैं समझता हूं कि दक्षिणी राज्यों के लिये जोनल परिषदों के लिये एक यह भी बात शामिल की गयी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

"इंडियन नेवीगेटर" में आग के बारे में जांच

†*७२७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३ दिसम्बर, १९६० को "इंडियन नैवीगेटर" नामक जहाज में आग लगने के बारे में, जिससे वह जहाज पूरी तरह जल गया और डूब गया था, जांच इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का व्यौरा क्या है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

वाणिज्यिक पोत-विभाग कलकत्ता द्वारा एस० एस० 'इण्डियन नेवीगेटर' को हुई हानि और एस० एस० 'इण्डियन सक्सेस' के १३ चालकों की मृत्यु के बारे में प्राथमिक जांच पूरी कर ली गयी है। जांच अधिकारी की सिफारिशों के आधार पर और अधिक जनहानि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ३६० के अन्तर्गत औपचारिक जांच का आदेश दे दिया है।

एयर इंडिया इन्टरनेशनल के लिये रडार उपकरण

†*७२९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने अपने बोइंग जेट हवाई जहाज में लगाने के लिये कोसोर की ब्रिटिश रेडियो फर्म से विशिष्ट रडार उपकरण मंगाया है ;

(ख) यदि हां, तो मंगाये गये उपकरण का व्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कितनी रकम खर्च की जायगी?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां।

(ख) कारपोरेशन ने विमान यातायात नियंत्रण ट्रान्सपोंडर नामक सेकेन्डरी सर्वेलैन्स रडार के लिये क्रयादेश दिया है।

(ग) प्रत्येक विमान पर उपकरण लगाने में लगभग १०,००० रुपये व्यय होंगे।

अमरीकी हैलीकोप्टर

†*७४२. **श्री वाजपेयी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीघ्र ही सिकोर्स्की एस—६२ अमरीकी हेलीकाप्टर खरीदने का सरकार का विचार है,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है, और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पहले से उपयोग किये जाने वाले हैलीकाप्टर की तुलना में इस किस्म के हेलीकप्टर के क्या लाभ हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कावेरी के पानी का उपयोग

†*७४७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९२४ के करार के अर्थ में कावेरी के पानी के उपयोग के बारे में मद्रास और मैसूर के बीच झगड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उस झगड़े का क्या व्योरा है; और

(ग) मई, १९६१ में दिल्ली बैठक का क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९६]**

मध्य रेलवे लोको शेड में दुर्घटना

†*७४८. { **श्री आसर** : **श्री खुशवक्त राय** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २ जून, १९६१ को जबलपुर में मध्य रेलवे के लोको शेड के पास मिट्टी खोदते समय सात आदमी मर गये; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जबलदुर-मदन महल लाईन को दोहरा करने के सम्बन्ध में किनारा बनाने के लिये एक उद्ग्रहण-गर्त में खुदाई करते समय उद्ग्रहण-गर्त के किनारे ठह गये जिसके परिणामस्वरूप मलवे के नीचे ९ श्रमिक और ठेकेदार का एक ड्राइवर दब गये। तत्काल बचाव कार्य के बावजूद भी दस में से छः व्यक्ति मर गये और चार को हल्की चोटें आयीं।

नागार्जुन सागर परियोजना

†*७५०. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर परियोजना के अनुमान संशोधित किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं ;

(ख) संशोधित किये जाने के बाद परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ;

---

†मूल अंग्रजी में

(ग) इस परियोजना के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी रकम रखी गयी है; और

(घ) यह परियोजना संभवतः कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) अनुमान को संशोधित किया जा रहा है।

(ख) पुनरीक्षित अनुमानों को अन्तिम रूप देने के बाद ही इसका मूल्यांकन किया जा सकता है।

(ग) ५० करोड़ रुपये।

(घ) वर्ष १९६८-६९।

होटलों का वर्गीकरण

†*७५२. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न श्रेणियों में होटलों का वर्गीकरण किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार आवश्यकताएं लागू करने तथा ह्रास को रोकने का सरकार का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). होटलों का अभी वर्गीकरण नहीं किया गया है। परन्तु यह आशा की जाती है कि एक दो महीनों में होटल वर्गीकरण समिति स्थापित की जावेगी और तब से लगभग छः महीनों में समुद्रपार पर्यटकों को भोजन-व्यवस्था करने वाले और करने योग्य होटलों का वास्तविक वर्गीकरण किया जायेगा। तथापि, होटलों का वर्गीकरण होने तक, कुछ शर्तें लगायी गयी हैं ताकि होटलों का उचित कार्यकरण और उनका स्तर बनाये रखने को सुनिश्चित किया जा सके।

डाक-तार अवकाश-गृह

†*७५३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) डाक-तार कर्मचारियों के लिए अवकाश-गृह बनाने तथा उनके रखरखाव पर कितनी रकम खर्च की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) अवकाश-गृह के लिये विशेषतः अभी तक कोई इमारत नहीं बनाई गयी है। माउन्ट आबू पर एक को छोड़कर जो किराये की इमारत में है, बाकी सभी अवकाश-गृह फालतू विभागीय आवास में रखे गये हैं। माउन्ट आबू पर स्थान के लिये किराये और नगरपालिका करों के रूप में ३६६.७८ रुपये प्रति वर्ष खर्च किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब अवकाश-गृह खाली रहता है, उतने समय के लिये विभाग बिजली के कनेक्शन पर न्यूनतम सेवा शुल्क भी देता है।

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) जी, हां ।

(ग) यह आर्थिक कारणों से भी हो सकता है। तथापि मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

कोचीन में मत्स्य पालन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की संस्था'

†*७५४. **श्री मणियंगाडन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ७ अप्रैल १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में मत्स्य पालन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की संस्था चलाने की योजना कार्यान्वित करने की दिशा में इस बीच कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) यह संस्था कब चालू की जायेगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). नार्वे-भारत प्रतिष्ठान से कोचीन में कर्मचारी प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने के लिये एक उचित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये नार्वे से एक विशेषज्ञ भेजने की प्रार्थना की गयी है ।

संस्था के लिये कोचीन में एक स्थान चुन लिया गया है और केरल की राज्य सरकार से इस कार्य के लिये वह स्थान देने का अनुरोध किया गया है ।

(ग) संस्था के आरम्भ होने के बारे में कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है परन्तु इस बात के लिये पूर्ण प्रयत्न किया जायेगा कि यदि शीघ्र नहीं तो यह १९६३-६४ में चालू हो जाये ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में अत्यधिक भीड़

†*७५५. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में खास कर खड़गपुर और टाटानगर स्टेशनों के बीच सवारी-गाड़ियों में एकाएक भीड़ बहुत बढ़ गयी है ;

(ख) इस अत्यधिक भीड़ को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अत्यधिक भीड़ के कारण कुछ लोग मर गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) खड़गपुर-टाटानगर सेक्शन समेत यद्यपि कुछ मुख्य लाइन सेक्शनों पर औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने से यात्री यातायात बढ़ गया है । इससे गाड़ियों में अत्यधिक भीड़भाड़ का परिणाम नहीं निकला है ।

(ख) गाड़ियों में भार क्षमता उपलब्ध होने पर वर्तमान गाड़ियों में यथासंभव भार में वृद्धि कर दी गयी है । इस समय दक्षिण-पूर्व रेलवे के मुख्य लाइन सेक्शनों पर अतिरिक्त यात्री गाड़ी बढ़ाने की क्षमता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'Institute for training fisheries operatives.

(ग) हमें कोई जानकारी नहीं है ।

पूना के डाक तार कर्मचारियों को सहायता

†*७५६. **श्री खाडिलकर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में पूना की भयंकर बाढ़ के कारण डाक-तार विभाग की विभिन्न शाखाओं के ३२६ कर्मचारी बेघरबार हो गये ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कुछ सुरक्षा और आश्रय देने की दृष्टि से सरकार ने क्या तुरन्त कार्यवाही की ; और

(ग) अपने कर्मचारियों को स्थायी निवास स्थान दिलाने के लिये निर्माण कार्यक्रम शुरु करने के लिए और क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) ३१५ कर्मचारी बेघरबार हुए ।

(ख) तीन महीने का वेतन पेशगी देना मंजूर किया गया है जो २४ किश्तों में वापस लिया जायेगा ।

डाकतार विभाग के उन कर्मचारियों को जिनका वेतन ३०० रुपये मासिक तक है और जो बाढ़ से बुरी तरह पीड़ित हुए हैं, निम्नलिखित दरों पर टाक तथा तार कल्याण निधि से अनुग्रहात भुगतान करने का भी फैसला किया गया है ।

(१) ५० रुपये प्रति परिवार ।

(२) जिन स्कूल जाने वाले बच्चों की पुस्तकें नष्ट हो गयीं, उनको ३० रुपये प्रति बच्चा ।

डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये विभिन्न सहायता कार्यों के अधीन भी सहायता मिलती है ।

(ग) डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये लगभग ३०० क्वार्टर बनाने के लिये भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

कोचीन बन्दरगाह में पोर्ट लाइटर में आग

†*७५७. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस आग के कारण भारी नुकसान हुआ, जिसमें १८ जुलाई, १९६१ को कोचीन में भरण-घाट के पास लंगर डाले हुए दो माल बोटों (पोर्ट लाइटर्स) से लादे जाने वाले सामान के ५०० नग पूरी तरह जल कर नष्ट हो गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) गैर-सरकारी पक्षों की दो माल बोटें संख्या ३९९ और ४०३, जिन पर १७ जुलाई, १९६१ को एस० एस० 'इंडियन रिनाउन' से उतारे गये आयातित माल के ३६३ बंडल लादे गये थे, १८ जुलाई, १९६१ को घाट पर खड़ी थीं जिन पर से १९ जुलाई, १९६१ को किनारे पर माल उतारा जाना था । १९ जुलाई, १९६१ को ००.३० बजे बोट संख्या ४०३ में अचानक आग लग गई जो जल्दी ही दूसरी बोट तक फैल गई । तत्काल ही पत्तन फायर सर्विस और नाविक फायर सर्विस को बुलाया गया और ४.३० बजे आग पर काबू पाया गया । बोट संख्या ४०३ भरण-घाट के पास डूब गयी और बोट संख्या ३९३, आधी डूबी स्थिति में तैरती रही ।

बोट संख्या ३९९ में २४६ बंडलों में से ३२ जिनमें रसायन थे और बोट संख्या ४०६ में ११७ बंडलों में से १०६ जिनमें अधिकांश अल्युमीनियम पाउडर भरा था, नष्ट हो गये । माल के नुकसान का अनुमान २५,४०० रुपये लगाया गया है । बोट को हानि का अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है ।

(ख) आग लगने के कारणों की अभी जांच की जा रही है ।

डाक-तार कर्मचारियों के पेन्शनक्रम

†*७५८. **डा० सुशीला नायर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि दूसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पेन्शन क्रम में संशोधन किया जाये और १९५९ से पहिले सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को समान समझा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी, हां ।

(ख) यह सुझाव स्वीकार करना संभव नहीं है ।

घी की मिलावट को रोकना

†*७५९. **श्री कालिका सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घी की मिलावट को रोकने के बारे में क्या फैसले किये गये हैं ;

(ख) वनस्पति घी में मिलाने के लिये क्या किसी रंग देने वाली वस्तु का चुनाव कर लिया गया है ; और

(ग) इस मामले में विशेषज्ञों तथा संबद्ध वनस्पति उद्योग के आधुनिकतम मत क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) घी और वनस्पति की व्याख्या और क्वालिटी का स्तर खाद्य अपमिश्रण रोक नियम, १९५५ में दिया गया है ।

(ख) और (ग). वनस्पति में रंग देने के लिये अभी कोई रंग ठीक नहीं पाया गया है । इसके लिये कोई उचित रंग पाने के प्रयत्न अभी किये जा रहे हैं ।

वनस्पति उद्योग वनस्पति में रंग मिलाने के विरुद्ध है ।

हीराकुद जलाशय में मिट्टी का जमा होना

†*७६०. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को यह बात पता है कि हीराकुद जलाशय में इसके निर्माण के समय पर बताये गये समय से पहले मिट्टी जमा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या की प्राविधिक रूप से जांच की गयी है और उसे रोकने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं तो वे क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम

†*७६१. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्यावश्यक वस्तुओं, विशेष कर चावल, चीनी, नमक, मसालों आदि के भावों के देश के बहुत से भागों में अचानक बढ़ जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार ने अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) खुदरा मूल्यों के अखिल भारतीय भारत देशनांक से यह पता नहीं चलता कि लौंग को छोड़कर चावल, चीनी, नमक और मसालों के मूल्य में हाल के महीनों में अचानक और अधिक वृद्धि हुई है । लौंग के मूल्य जून, १९६१ में बहुत बढ़ गये थे परन्तु जुलाई में वे कुछ कम हो गये । कुछ अन्य वस्तुओं के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि सामयिक कारण से है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नतियां

†*७६२. { **श्री तंगामणि** :
श्री कुन्हन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की पदोन्नतियों के संबंध में उच्चतम

---

†मूल अंग्रेजी में

न्यायालय के निर्णय के पश्चात, दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों से इस आशय के अभ्यावेदन आये हैं कि उन के साथ अन्याय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 'सीमान्त' मामलों में रियायत दी जाएगी ;

(ग) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के आदेश जारी कर दिये हैं ; और

(घ) अभी तक किन-किन रेलों ने इसको लागू नहीं किया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, हां।

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, कोई नहीं परन्तु आदेशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में कुछ समय लगेगा ।

हुगली में जल की गहराई

†*७६३. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई में हुगली में जल की गहराई में बहुत कमी हो गई थी जिस के कारण कलकत्ता आने वाले मालवाही जहाजों की वर्तमान सीमित क्षमता को भी खतरा हो गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों समेत कलकत्ता पत्तन आयोग के प्रधान ने कितनी ही बार जुलाई के दूसरे और तीसरे सप्ताहों में स्थल पर जाकर समस्या का अध्ययन किया है और बहुत से आपाती निर्णय किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है और क्या आपाती उपाय किये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन):** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) बलारीनहर के छिछला हो जाने के कारण जुलाई, १९६१ के लिये आवंटित "ड्राफ्ट" (डुबाव) को १५ इंच कम करना पड़ा । तथापि महीने के आखिर में गहन तलकर्षण के फलस्वरूप यह कटौती १५ इंच से घटा कर ९ इंच कर दी गई ।

(ख) कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के सभापति दो दो संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के साथ स्थिति का निरीक्षण करने पिछले महीने नदी पर गये थे।

(ग) बलारी बार में गहराई को सुधारने के लिये केवल यही निर्णय किया जा सकता था कि वह नये तलकर्षक (ड्रेजर) 'चुरनी' को शीघ्र चालू किया जाये और यह कार्य १९ जुलाई, १९६१ से कर दिया गया।

कोचीन हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना

†*७६४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयर लाइन्स का बम्बई-कोचीन डकोटा सेवा का जहाज २१ जुलाई, १९६१ को कोचीन हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई ; और

(ग) विमान दुर्घटना का क्या कारण था ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन):** (क) बम्बई-कोचीन सेवा पर चलने वाला इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का एक डकोटा विमान ३१ जुलाई, १९६१ को अवतरण पश्चात् रास्ता भटक गया और नर्म धरती में धंस गया।

(ख) जन-धन की कोई हानि नहीं हुई। विमान को कुछ क्षति पहुंची और व्योमबाला को कुछ हल्की चोट आयी।

(ग) दुर्घटना की जांच हो रही है।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐस्केलेटर

†*७६५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामम् :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोगात्मक आधार पर दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर लगाया गया ऐस्केलेटर (चलती सीढ़ियां) कामयाब साबित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़े रेलवे स्टेशनों पर अधिक ऐक्सेलेटर लगाने की कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) ऐक्सेलेटर संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। अभी यह नहीं बताया जा सकता कि यह कामयाब साबित हुआ है या नहीं ?

(ख) अभी तक नहीं। दिल्ली मेन स्टेशन पर ऐक्सेलेटर के इस्तेमाल में अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जायेगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तन

†*७६६. **श्री यादव नारायण जाधव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री कुन्हन् :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री सुब्बय्या अम्बलम् :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजवार :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री न० म० देब :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०६ के उत्तर के

†मूल अंग्रेजी में

संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंगलौर और तूती कोरिन पत्तनों को बड़े पत्तनों के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी, हां।

(ख) इन योजनाओं को तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ।

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का अस्पताल, नई दिल्ली

†*७६७. { **श्री कोडियान :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली के ६५८ पलंग वाले अस्पताल के निर्माण में और क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (१) **ओ० पी० डी०** के निर्माण का कार्य **मार्च,** १९६१ में एक मंजूरशुदा ठेकेदार को सौंपा गया था और वह प्रगति पर है। इसके लगभग दो **वर्ष में** पूरा होने की आशा है ।

(२) **वार्ड्स ब्लाक अस्पताल** :

एक ७५० पलंग वाला अस्पताल बनाने के लिये २४३.३० लाख रुपये का प्राक्कलन **स्वीकार** किया गया है । निर्माण-कार्य के टेंडर मांगने, योजना, पर्यवेक्षण आदि के बारे में आवश्यक **औप**-चारिकतायें पूरी होने पर इस वर्ष के अन्त में आरम्भ किये जाने की संभावना है।

उर्वरक वितरण सम्बन्धी जांच समिति

†*७६८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के **तारांकित** प्रश्न संख्या २९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के वितरण में पाई गई "अनियमितताओं और त्रुटियों" की जांच **करने** के लिये नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) उर्वरक वितरण जांच समिति ने अपना **प्रति**-वेदन दे दिया है ।

(ख) ब्योरा प्रतिवेदन में उपलब्ध है जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी हैं

भारत-भूटान सड़क

†*७६९. { **श्री नेक राम नेगी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १५ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९८ के **उत्तर** के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और भूटान को मिलाने वाली सड़क का कार्य पूरा कर दिया गया है **; और**

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). कार्य के पूरा करने में कुछ विलम्ब हुआ है। यह आशा की जाती है कि समूचा कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा ।

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये नये विमान

†*७७०. **श्री पांगरकर :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये नये विमान लेने के प्रस्तावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

भाखड़ा-नांगल बांध की ऊंचाई

†*७७१. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सलाहकार श्री हार्वे स्लोकम ने यह सलाह दी है कि भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई को और अधिक न बढ़ाया जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उसकी सलाह मान ली गई है ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं । भाखड़ा बांध की ऊंचाई ७४० फुट की वर्तमान स्वीकृत ऊंचाई से अधिक बढ़ाने की कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बम्बई पत्तन में चोरियां

†*७७२. **श्री असर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन न्यास गोदी से मई-जून और जुलाई के महीनों में बहुत सी चोरियां की सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी चोरियों की सूचना मिली है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन चोरियों में कितनी राशि का माल चुराया गया ; और

(घ) कितने लोग गिरफ्तार किये गये हैं और उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). बम्बई पत्तन न्यास डोकयार्ड से मई, जून और जुलाई, १९६१ के महीनों में जो चोरियों की संख्या की रिपोर्ट की गयी, वह निम्न प्रकार है :

मई, १९६१	३१
जून, १९६१	५०
जुलाई, १९६१	५९

(ग) और (घ). इन चोरियों में ग्रस्त धन राशि और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :

	१९६१		
	मई	जून	जुलाई
चुराये गये माल का मूल्य	१५,६९६ रुपये	५१,७७ ७ रुपये	७०,८५६ रुपये
गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	३९	५१	४८

गिरफ्तार व्यक्तियों पर पुलिस द्वारा अभियोग चलाया जा रहा है।

चावल ढोने के लिये आन्ध्र प्रदेश को माल डिब्बों की सप्लाई में कमी

†*७७३. **श्री रामी रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल डिब्बों के संभरण की अत्यधिक कमी के कारण कितने ही करोड़ रुपयों की लागत का चावल आंध्र प्रदेश से दक्षिण चावल क्षेत्र के दूसरे इलाकों में नहीं भेजा जा सका ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) चावल और धान के माल-भरण में शीघ्रता करने के लिये दक्षिण रेलवे द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(१) कुछ स्टेशनों पर जहां मांग अधिक है, अधिक संख्या में माल डिब्बों का संभरण करना।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अधिक मात्रा में माल भरने को सहायता देने के लिये गुड्स शेड के कार्य के घंटे बढ़ाना ।

वायु-अनुकूलित बसें

†*७७४. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजकीय परिवहन उपक्रमों को मंत्रणा दी है कि पर्यटक दिलचस्पी के स्थानों पर विदेशी पर्यटकों के लाभार्थ वायु अनुकूलित बसों की व्यवस्था की जाए ;

(ख) क्या उन उपक्रमों को कुछ सहायता देने का वचन दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस रूप में और कितनी सहायता का वचन दिया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). ऐसी तीन सेवाओं को एक वर्ष के अनुभव के आधार पर अधिकतम सीमा और न्यूनतम माल के आधार पर वित्तीय सहायता दी गयी है । तथापि, राज सहायता देने का अवसर अभी तक नहीं आया है ।

मदुरै तथा मद्रास शटल सेवा

†*७७५. { **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की मदुरै और मद्रास के बीच की शटल सेवा ५ जुलाई, १९६१ और ३० जुलाई, १९६१ को रद्द कर दी गई थी, जिससे यात्रियों को असुविधा हो गई ;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में सेवाएं रद्द न की जाएं इस उद्देश्य के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या विमान सेवा के रद्द किये जाने का कारण विमान का उपलब्ध न होना था या मौसम की खराबी ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी, हां ।

(ख) सेवाओं को तब रद्द किया जाता है जब यह सुरक्षा के हित में और अन्य कारणों से दूर न की जा सके ।

(ग) अंशतः खराब मौसम के कारण और अंशतः शटल सेवा के लिये मद्रास में आधारित विमान के अवतरण के कारण ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की अनुसूची सेवाओं का समय

†*७७६. { **श्री कुन्हन् :**
श्री तंगामणि :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की अनुसूचित सेवाओं के समय में १ अक्तूबर, १९६१ से परिवर्तन किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो शटल सेवाओं के समय की क्या स्थिति है ;

(ग) क्या सरकार मदुरै-मद्रास शटल सेवा को मद्रास से सायंकाल के समय देर से चलाने का विचार करती है ; और

(घ) क्या रियायतों की योजना सब शटल सेवाओं पर लागू की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) और (ख). इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन के १ अक्तूबर, १९६१ से आरम्भ होने वाले शीतलकालीन-समय के बारे में घोषणा की जा चुकी है ।

(ग) १ अक्तूबर, १९६१ से चालू होने वाली मद्रास/मदुरै/मद्रास सेवा सायं को ५ बजे मद्रास से रवाना होगी । संचालकीय कारणों में मद्रास से देर में जाने पर रोक है ।

(घ) और (ङ). आर्थिक रूप से कम लाभप्रद मार्गों पर विशेष रूप से रियायती भाड़े लागू किये गये हैं। जैसा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की छपी हुई समय-सारिणी में बताया गया है, इस समय कुछ मार्गों पर १ अप्रैल, १९६१ में से ७ दिन के और ३० दिन के वापसी रियायती भाड़े लागू हैं ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में भर्ती

†*७७७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन की भर्ती इस समय केवल बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में की जाती है और आसाम जैसे दूर के राज्यों से इस भर्ती में कोई नहीं आ पाता ;

(ख) क्या सरकार का प्रत्येक राज्य में भर्ती केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्) :** (क) से (ग). इण्डियन एयर-लाईन्स कारपोरेशन में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निगम द्वारा केन्द्रीय सरकार की अनुमति पत्र वायु निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४५(२) (ख) के अन्तर्गत बनाये गये भर्ती

---

†मूल अंग्रेजी में

तथा पदोन्नति नियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार होती है । इन नियमों में सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध सभी पदों के लिये (प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी को छोड़ कर जिन पर स्थानीय रूप से भर्ती की जाती है) अधिकाधिक संभव प्रचार करने की व्यवस्था है ताकि, यद्यपि भर्ती क्षेत्रीय रसद मुकाम में की जाती है, अन्य स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति भी इन पदों के लिये आवेदन कर सकें। इन परिस्थितियों में प्रत्येक राज्य में भर्ती केन्द्र खोलने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा पंजाब सरकार को बकाया रकम का भुगतान

†*७७८. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
पंडित द्वा० ना० तिवारी : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रमशः पिछले ३ और २ वर्षों से भाखड़ा से बिजली और पश्चिम जमना नहर से पानी के संभरण के लिये पंजाब सरकार द्वारा मांगी गयी बकाया राशि के भुगतान के बारे में पंजाब सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के बीच विवाद के बारे में क्या फैसला किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पंजाब सरकार को बकाया राशि के भुगतान के बारे में स्थिति निम्न प्रकार है :

(१) **भाखड़ा से बिजली के सम्भरण के लिये भुगतान :**

पंजाब सरकार ने पंजाब बिजली (शुल्क) अधिनियम, १९५८ बनाया है और दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम को संभरित बिजली के मूल्य पर २५ प्रतिशत का शुल्क लगाया है। वह अधिनियम १ अप्रैल, १९५८ से लागू हुआ । दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम का कहना है कि पंजाब सरकार को अपने क्षेत्र से बाहर उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री पर कोई शुल्क लगाने के लिये विधान बनाने का अधिकार नहीं है ।

(२) **पश्चिमी यमुना नहर से पानी के सम्भरण के लिये भुगतान :**

पंजाब सरकार ने दिल्ली को पीने के पानी के संभरण की दर प्रत्येक ६००० धन फुट के लिये डेढ़ रुपये से बढ़ा कर वर्ष १९६० से प्रत्येक २५०० धन फुट के लिये डेढ़ रुपया कर दिया है । इस दर को दिल्ली नगर निगम ने नहीं माना है । इस मामले पर पंजाब सरकार और दिल्ली नगर निगम के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा है । अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है

कोयले पर स्थान शुल्क

†*७७९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री ९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७०८ के उतर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बीच

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे के स्थान से कोयले के स्टाक के जल्दी से हटाये जाने के उद्देश्य से कोयले पर स्थान शुल्क की दरों को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ?

†रेलवे उपमन्त्री (श्री शानहवाज खां) : जी, हां । स्थान शुल्क में २१-३-६१ से वृद्धि की गयी ।

टेलीप्रिंटर फैक्टरी

†*७८०. { श्री नेक राम नेगी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री पांगरकर : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलीप्रिंटर बनाने के लिये एक फैक्टरी की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

†परिवहन तथा सचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मद्रास में १४ दिसम्बर, १९६० को "हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्ज लिमिटेड" के नाम से एक पुर्णत: केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में समवाय को पंजीकृत किया गया । इस समवाय ने पंजीकरण के एक माह पश्चात् कार्य करना आरम्भ कर दिया और इसने अभी तक ७० टेलीप्रिंटर बनाये हैं जो लम्बित मांगों पर विभिन्न पक्षों को दिये जा रहे हैं । २५० टेलीप्रिंटरों के अगले दल के लिये इटली की मेसर्स ओलीवेटी से पुर्जे मंगाये गये हैं ।

इस समय यह समवाय गुइन्डी में औद्योगिक बस्ती में मद्रास सरकार से किराये पर ली गयी अस्थायी इमारत में स्थित है । स्थायी इमारत के डिजाइन को अन्तिम रूप दे दिया गया है और शीघ्र ही इसका निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ।

पूर्वोत्तर रेलवे के दो इंजन ड्राइवरों की मृत्यु

†*७८१. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुर्वोत्तर रेलवे के दो इंजन ड्राइवर जून, १९६१ के पहले सप्ताह में इज्जतनगर (बरेली––उत्तर प्रदेश) में हाल ही में "ताप की तेजी" के कारण मर गये और तीसरे व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया ;

(ख) यदि हां, तो इन दुखद घटनाओं का ठीक व्यौरा क्या है ;

(ग) मृतकों के और विक्षिप्त व्यक्ति के परिवारों को प्रतिकर देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) जिस ड्राइवर का दिमाग खराब हो गया है उसके इलाज के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारत-लंका विमान सेवायें

†*७८२. { श्री तंगामणि :
श्री कुन्हन :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और लंका के बीच विमान सेवायें फिर से चालू करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि एयर इंडिया इन्टरनेशनल एवं इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को १९५० से १९५८ तक भारत और लंका के बीच अच्छा यातायात मिलता था ; और

(घ) क्या लंका के साथ द्विपक्षीय समझौते की दृष्टि में त्रिवेन्द्रम, त्रिची या मदुरै के रास्ते १ अक्तूबर, १९६१ से इस सेवा को चलाने के लिये पग उठाये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : (क) बम्बई-मद्रास-कोलम्बो के रास्ते भारत और श्रीलंका के बीच इंडियन एअरलाइन्स कारपोरेशन रोज वाइकाउन्ट विमान चला रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) भारत और श्रीलंका के बीच यातायात सन्तोषप्रद है ।

(घ) त्रिवेन्द्रम, त्रिची अथवा मदुरै के रास्ते कोलम्बो को विमान सेवा चालू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जोरबाग आदि (नई दिल्ली) में तिमंजिले मकान

†१७२५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोरबाग, गॉल्फ लिंक और डिप्लोमेटिक एनक्लेव, नई दिल्ली में पट्टेदारों को इन क्षेत्रों में भूमि का मूल्य अधिक होने के कारण तिमंजिले मकान बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). यह विषय अभी विचाराधीन है ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के सम्बन्ध में गोखले समिति

†१७२६. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्देशीय जल परिवहन पर गोखले समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेने या लिये जाने की नवीनतम स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : गोखले समिति की सिफारिशों पर राज्य सरकारों के मन्तव्य अन्तर्देशीय जल परिवहन सलाहकार समिति की नई दिल्ली में २९ जुलाई, १९६१ को हुई बैठक में रखे गये थे। समिति ने आम तौर पर इन सिफारिशों को मान लिया। इन सिफारिशों की नवीनतम स्थिति का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० ३१३७/६१]**।

नगर आयोजन सम्बन्धी आदर्श विधान

†१७२७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री चुनी लाल :
श्री पांगरकर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर योजना संबंधी आदर्श विधान को अन्तिम रूप देने में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : नगर तथा ग्राम योजना के लिये राज्य मंत्रियों के द्वारा नियुक्त मंत्री समिति की ३ और ४ मई, १९६१ को दिल्ली में हुई और उसने आदर्श विधि पर खंडवार विचार किया। उसने अनेक परिवर्तनों के लिये अपनी सहमति दी। जब पश्चिम बंगाल सरकार के विचार, जिनकी प्रतिक्षा है, प्राप्त हो जायेंगे तब आदर्श विधि का अन्तिम पुनरीक्षण किया जायेगा।

देश में कृषि योग्य बेकार भूमि

†१७२८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री चुनी लाल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री बालकृष्णन् :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९४२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कृषि योग्य बेकार भूमि के बारे में नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने आगे क्या प्रगति की है ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : इस बीच समिति ने उत्तर प्रदेश पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है जिस पर राज्य सरकार के साथ विचार किया जायेगा और तब अन्तिम रूप दिया जायेगा। यद्यपि मद्रास और जम्मू तथा काश्मीर राज्यों पर कुछ समय पहले रिपोर्टों के मसौदे तैयार हो चुके हैं तथापि समिति अभी उन राज्यों के साथ इस विषय में विचार नहीं कर सकी है। इसका कारण यह है कि समिति का सभापति अन्य कार्यों में पहले से व्यस्त होने से इन दो राज्यों का भ्रमण नहीं कर पाये हैं। निकट भविष्य में ही ऐसा करने की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा पर रिपोर्टों के मसौदे अभी पूरे नहीं हुये हैं क्योंकि इन राज्यों में समिति के भ्रमण के बाद उनसे मांगी गयी सामग्री अभी प्राप्त नहीं हुई है। शेष राज्यों अर्थात् राजस्थान और आसाम की रिपोर्टें उनसे पूर्ण सामग्री प्राप्त होते ही तैयार हो जायेंगी। समिति ने इन राज्यों का भ्रमण कर लिया है।

नारनौल-चरखी दादरी टेलीफोन लिंक

†१७२९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास नारनौल के चरखी दादरी से सीधे टेलीफोन द्वारा मिलाने के बारे में किराया स्वीकार करने और गारण्टी की शर्तों के संबंध में इस बीच कोई उत्तर आया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का उत्तर आया है ; और

(ग) उस पर आगे क्या कार्यवाही की गयी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पंजाब में कृषि विश्वविद्यालय

†१७३०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका में भूमि अनुदान विद्यालयों के आधार पर सरकारी कृषि विद्यालय तथा अनुसंधान संस्था, लुधियाना को आधुनिक आवासीय कृषि विश्वविद्यालय बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये नियुक्त समिति की रिपोर्ट पर क्या सरकार को पंजाब सरकार के टिप्पण प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंजाब सरकार ने सरकारी कृषि विद्यालय और अनुसंधान संस्था, लुधियाना को विश्वविद्यालय बनाने की एक परियोजना तैयार की है। राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये एक बिल का मसौदा भी तैयार किया है। उक्त समिति ने इस बिल पर विचार किया और राज्य सरकार को कुछ सुझाव दिये जिन्हें उस सरकार ने मान लिये हैं। यह बिल उस सरकार द्वारा राज्य विधान सभा के अगले सत्र में रखे जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल-फेफड़े मशीन का निर्माण

†१७३१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त**
श्री चुनी लाल :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ७ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल-फेफड़ा मशीन बड़े पैमाने पर तैयार करने और बम्बई के नायर हस्पताल में इस मशीन के काम करने से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुये इसे प्रत्येक बड़े हस्पताल में रखने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर) :** (क) सरकार के पास बड़े पैमाने पर दिल-फेफड़े की मशीन बनाने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है । यह काम अभी प्रयोग की स्थिति में है अतः इतनी जल्दी इसे बड़े पैमाने पर बनाने का विचार नहीं किया जा सकता ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीयित यातायात नियन्त्रण

†१७३२. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री आसर :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **रेलवे** मंत्री १२ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४५९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर केन्द्रीभूत यातायात नियंत्रण स्टेशन स्थापित कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इससे रेल मार्गों की यातायात क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिये हायर सैकेंडरी स्कूल

†**१७३४. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिये हायर सैकेंडरी स्कूल खोलने के बारे में कोई प्रस्थापनायें मिली हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसी अवधि में राज्य सरकारों को रेलवे विभाग के लिये उन स्कूलों को चलाने के लिये कोई राज-सहायता दी गई है ; और

(ग) किन-किन राज्यों ने योजनायें भेजी हैं, और उनमें से प्रत्येक को कितनी-कितनी राज-सहायता दी गई है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मध्य रेलवे पर तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष गाड़ियां

१७३५. **श्री पांगरकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ और १९६० के बीच मध्य रेलवे पर तीर्थ यात्रियों के लिये कितनी विशेष गाड़ियां स्वीकृत की गयीं ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : १९५८ और १९६० के बीच मध्य रेलवे पर तीर्थ यात्रियों के लिये दस विशेष गाड़ियां चलाई गईं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है। ये सब गाड़ियां मध्य रेलवे के स्टेशनों से ही चलाई गयी थीं :—

वर्ष	विशेष गाड़ियों की संख्या
१९५८	४
१९५९	५
१९६०	१
कुल	१०

इनके अतिरिक्त मध्य रेलवे ने तीर्थ यात्रियों के लिये अन्य स्टेशनों से १९४८ और १९५९ में चलाई गई एक एक विशेष गाड़ी के लिये इंजन डिब्बे आदि उपलब्ध किये।

हिमाचल प्रदेश में छोटे सिंचाई कार्य

†१७३६. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ में हिमाचल प्रदेश में छोटे सिंचाई कार्यों पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

†**कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : ८,२६,७००.०० रुपये।

महाराष्ट्र में फलों की पैदावार

†१७३७. **श्री पांगरकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९६१–६२ में अब तक महाराष्ट्र के लिये फलों की पैदावार को बढ़ावा देने के लिये ऋण अथवा अनुदान के रूप में कोई आर्थिक सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** (क) और (ख). वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार राज्यों को प्रत्येक योजना के लिये अलग आर्थिक सहायता नहीं दी जाती बल्कि विकास के मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत जैसे कि कृषि उत्पादन (जिसमें फलों की पैदावार का विकास भी शामिल है) सहायता दी जाती है ।

महाराष्ट्र में रेलवे आउट एजेंसियां

†**१७३८. श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) महाराष्ट्र में १९६०–६१ में किन-किन स्थानों पर रेलवे आउट एजेंसियां खोलने का विचार किया गया है; और

(ख) प्रत्येक स्थान के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९७**]

मध्य रेलवे पर सहकारी समितियां

†**१७३९. श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य रेलवे के प्रत्येक डिवीज़न में कर्मचारियों की कितनी सहकारी समितियां चल रही हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९८**]

मनमाद जंक्शन के लिये मास्टर प्लान

†**१७४०. श्री पांगरकर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के मनमाद जंक्शन के लिये कोई मास्टर प्लान तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसे कब कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). काम को पांच प्रक्रमों में बांटा गया है । प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रक्रम जिनमें डाउन पैसेंजर (यात्री) प्लेटफार्म का विस्तार करना, अपर क्लास प्रतीक्षालय में फ्लश वाले शौचालय बनाना और दूसरे दर्जे का प्रतीक्षालय बनाना, सम्मिलित हैं, पूरे हो चुके हैं । डाऊन साइड पर नया टिकट घर बनाना और पैदल चलने वालों के लिये ऊपरी पुल को डाऊन साइड तक बढ़ाना और अप प्लेटफार्म का विस्तार और पार्सल रखने के स्थान पर शैड बनाने के काम जो चतुर्थ और पंचम प्रक्रम में शामिल हैं, जारी हैं और इस वर्ष की समाप्ति तक उनके पूरा होने की आशा है ।

१९६०–६१ में ग्राम्य जल संभरण के लिये महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता

†**१७४१. श्री पांगरकर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने वर्ष १९६०–६१ में महाराष्ट्र सरकार को ग्राम्य जल संभरण के लिये कोई आर्थिक सहायता दी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). जी हां। राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम (ग्राम्य) के अन्तर्गत वर्ष १९६०·६१ में महाराष्ट्र सरकार को ग्राम्य जल संभरण योजनाओं के लिये ११·०३ लाख रुपये का अनुदान दिया गया था। अन्य कार्य-क्रमों के अन्तर्गत ग्राम्य जल संभरण की स्थिति इस प्रकार है :—

(१) पिछड़े वर्गों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये वर्ष १९६०—६१ में राज्य योजना में १·४९ लाख रुपये और केन्द्र द्वारा आयोजित कार्य-क्रम के अन्तर्गत ४·९३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। राज्य की योजनाओं पर किये गये असल खर्च का आधा खर्च और केन्द्र के कार्यक्रम में सम्मिलित योजनाओं पर होने वाला सारा ख़र्च भारत सरकार वहन करती है। १९६०—६१ में किये गये असल ख़र्च के आंकड़े राज्य सरकार से अभी उपलब्ध नहीं हुये हैं।

(२) स्थानीय विकास निर्माण कार्यक्रम, जो तीन सुविधायें उपलब्ध करने तक सीमित है अर्थात् (एक) प्रत्येक गांव में पीने के पानी के संभरण की योजनायें; (दो) गांवों को मिलाने वाली सड़कें; और (३) गांव के स्कूलों की इमारतें; के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य को १६·८२ लाख रुपये का आवंटन किया गया था। यह आवंटन, सामूहिक रूप में सारे कार्यक्रम के लिये किया गया था और यह निर्णय राज्य सरकार को करना था कि किस कार्य पर कितना ख़र्च किया जाये। वर्ष १९६०—६१ के ख़र्च के आंकड़े राज्य सरकार से उपलब्ध नहीं हुए हैं अतः यह मालूम नहीं कि ग्राम्य जल संभरण पर वास्तव में कितना व्यय हुआ।

(३) सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ने "स्वास्थ्य तथा ग्राम्य स्वच्छता" शीर्षक के अन्तर्गत योजनाबद्ध खण्ड बजट में प्रत्येक प्रथम प्रक्रम खण्ड के लिये १·१५ लाख रुपये; प्रत्येक द्वितीय प्रक्रम खण्ड के लिये ०.५० लाख रुपये की व्यवस्था की है। इस में से कुछ राशि ग्राम्य जल संभरण योजनाओं के लिये भी ख़र्च की जाती है।

महाराष्ट्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम

†**१७४२. श्री पांगरकर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र को गत दो वर्षों के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम के हेतु दी गई पूरी राशि खर्च कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†१७४३. **श्री पांगरकर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** मध्य प्रदेश में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में १४६ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये ।

जमशेदपुर में सिटी बुकिंग आफिस

†१७४४. **श्री न० म० देव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जमशेदपुर नगर में बिशनपुर और साकची क्षेत्र में नगर का टिकट घर खोलने के के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** जमशेदपुर नगर के बिशनपुर और साकची क्षेत्रों में यात्रियों को टिकटें देने के लिये नगर के टिकट अभिकरण क्रमशः १५–६–६१ और १६–६–६१ को पुनः खोले गये ।

फरक्का बांध

†१७४५. **श्री न० म० देव :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अक्षम इंजीनियरों की कमी के कारण फरक्का बांध योजना की कार्यान्विति में विलम्ब हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** नहीं श्रीमान् । कर्मचारियों की भर्ती निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जा रही है ।

रेलवे कर्मचारियों और सम्पत्ति पर लोगों की भीड़ द्वारा हमले

†१७४६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में अब तक रेलवे कर्मचारियों और रेलवे सम्पत्ति पर कितने हमले हुए ; और

(ख) क्या इन हमलों के स्वरूप और उन पर की गई कार्यवाही का विवरण टेबल पर रखा जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जनवरी से जून १९६१ तक की अवधि में भीड़ द्वारा रेलवे कर्मचारियों पर २१ हमलों और रेलवे सम्पत्ति पर एक हमले का पता लगा है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६ ।]**

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे में डाके

†१७४७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) वर्ष १९६१ में अब तक उत्तर रेलवे में कितने डाके पड़े ;

(ख) कितने मामलों में अपराधी पकड़े गये ; और

(ग) अपराध कम करने के लिए क्या पग उठाये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) आठ ।

(ख) चार ।

(ग) निम्नलिखित पग उठाये गये हैं :—

(१) टी० टी० और कंडक्टर गार्डों को हिदायतें दी गई हैं कि पहले स्टेशन से यात्री गाड़ी के छूटने से पहले, वे प्रथम और द्वितीय श्रेणी के तथा महिलाओं के डिब्बों में सुरक्षा के लिए लगाई गई चीजों की जांच करें और देखें कि वहां कोई अवांछित व्यक्ति तो नहीं है ।

(२) सरकारी रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश और पंजाब के सहायक महानिरीक्षकों और राजस्थान पुलिस के सुपरिंटेंडेंट ने गाड़ी की रक्षा के लिए जाने वाले पुलिस दलों को हिदायतें जारी की हैं कि वे टी० टी० ई० और कंडक्टर गार्डों के साथ मिल कर डिब्बों की जांच करें ।

(३) गाड़ियों की रक्षा के लिए पुलिस दलों को मजबूत कर दिया गया है और उन्हें कड़ी हिदायतें कर दी गई हैं ;

(४) कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों के महिलाओं के डिब्बों में अतिरिक्त सुरक्षा के साधन (दृश्य तथा अन्य चेतावनी के साधन) लगा दिये गये हैं ?

पंजाब में दूसरी योजना के दौरान तपेदिक निरोधक कार्य

†१७४८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में तपेदिक निरोधक कार्य के लिए कुल कितनी राशि दी गई ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब को कितना आवण्टन किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) राज्य सरकार को तपेदिक निरोधक कार्य के लिए १९५८–५९ तक १,८२,००० रुपए मंजूर किए गए थे । १९५९–६० और १९६०–६१ में राज्य सरकार को "रोगों के नियंत्रण की योजनाओं" समूह के अन्तर्गत, जिसमें तपेदिक के नियंत्रण की योजना भी सम्मिलित है, पिण्ड राशि के रूप में ५.४६ लाख रुपए और १४.८६ लाख रुपए के सहायतार्थ अनुदान दिए गए थे । राज्यों को उस राशि को समूह के अन्तर्गत अलग अलग योजनाओं के काम में लाने की स्वतंत्रता थी ।

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी योजना अवधि में पंजाब में स्वयंसेवी तपेदिक संस्थाओं को २,५७,००० रुपए के अनावर्तक अनुदान मंजूर किए गए थे ।

(ख) पंजाब को तीसरी योजना में तपेदिक विरोधी कार्य के लिए २५.२० लाख रुपए आवण्टित किए गए हैं ।

पंजाब में भू-संरक्षण

†**१७४९. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में भू-संरक्षण के लिए कुल कितनी राशि आवण्टित की गई ;

(ख) राज्य सरकार ने अभी तक कितनी राशि का उपयोग किया है ; और

(ग) पंजाब में भू-संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत किस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) ७५.२४ लाख रुपए ।

(ख) ६८.९० लाख रुपए ।

(ग) कार्यक्रमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(१) कृषि भूमि पर बांध बनाना और उसे चौरस बनाना ;

(२) भाखड़ा बांध के पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों और जलोत्सारण क्षेत्रों में वनरोपण ;

(३) चौस का नियंत्रण ; और

(४) विविध कार्य जैसे जलमार्गों का कृष्यकरण और बाढ़ के पानी के संग्रह के तालाबों और पोखरों का निर्माण ।

रोपड़-नांगल बांध सेक्शन में यात्री सुविधायें

†**१७५०. श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री ८ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४०८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार के साथ १९६८ तक के लिए करार के बावजूद रोपड़-नांगल बांध सेक्शन में यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** इस संबंध में १९-१२-१९६० को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या २०२१ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । राज्य सरकार अभी तक व्यय के अपने अंश के लिए इस कारण सहमत नहीं हुई है कि उसे अपने द्वारा विनियोजित की जाने वाली पूंजी के बदले में कुछ नहीं मिलेगा । मामले की अग्रेतर जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्पिति घाटी में डाक सुविधायें

†१७५१. **श्री हेम राज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पंजाब की स्पिति घाटी में डाक सुविधाओं के अभाव के संबंध में कोई अभ्यावेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस वर्ष में किन-किन स्थानों में शाखा डाक घर खोलने का विचार कर रही है ; और

(ग) स्पिति के सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर काजा और लोसर में पॉस्टल वायरलैस स्टेशनों की स्थापना कब की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी नहीं । परन्तु पंजाब सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ स्थानों में डाक घर खोलने की प्रार्थना की है ।

(ख) हांसा, किग्रोट, रंगरीक, डंकन, मनाई, टाबो, गुए, काजा, लारा, कौरिक, किबू, सौगनाम और हार्लिग के लिए डाकघरों की मंजूरी दी गई है ।

(ग) पंजाब सरकार की प्रार्थना पर काजा में (केवल जाड़ों में कार्यकरण के लिए) और लोसर में (केवल गर्मियों में कार्यकरण के लिए) वायरलैस टेलीग्राफ स्टेशन मंजूर किए गए हैं और वहां उपकरण भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

लाहौल घाटी में डाक सुविधायें

†१७५२. **श्री हेम राज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब की लाहौल घाटी में डाक सुविधायें अत्यन्त सीमित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का लाहौल घाटी (पंजाब) में चोखांग में शाखा डाकघर खोलने का विचार है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केलांग में नियुक्त डाकिए को उस कठिन एवं हिमाच्छित क्षेत्र में ४२ मील का क्षेत्र सौंपा गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का केलांग में उनकी संख्या बढ़ाने का विचार है ;

(ङ) क्या लाहौल घाटी में खोकसर में एक पोस्टल वायरलैस स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो कब ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) यातायात की कम संभावनाओं और कम जनसंख्या आदि का विचार करते हुए उपलब्ध डाक सुविधायें पर्याप्त समझी जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) और (घ). इस क्षेत्र के लिए अधिक डाक वितरण कर्मचारी देने के प्रश्न की जांच की जा रही है और यदि उचित समझा गया तो उसकी मंजूरी दी जाएगी ।

(ङ) जी, हां ।

(च) अगले वर्ष ।

गंगा से पानी प्राप्त करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान का दावा

†१७५३. { **श्री प्र० गं० देव :**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के गंगा से अधिक पानी पाने के दावे के दृष्टिकोण पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). हाल में पाकिस्तान सरकार ने गंगा से अधिक पानी पाने का दावा किया है। १९५४ में उन्होंने अपनी गंगा-कोबाडक परियोजना के लिए २००० क्यूजेक की मांग की थी। १९५७ में संचालित क्षेत्र २००,००० एकड़ से बढ़ाकर ४००,००० एकड़ और पानी की आवश्यकता ४००० क्यूजेक कर दी। बाद में अप्रैल, १९६१ में जल संसाधन विशेषज्ञों की तीसरी बैठक में पाकिस्तान ने यह बताया कि गंगा-कोबाडक परियोजना के लिए उन्हें २२,००० क्यूजेक की आवश्यकता होगी और सूखे महीनों में १६,००० से १८,००० क्यूजेक की। यह विस्तार तो प्रारंभिक अवस्था में ही है क्योंकि परियोजना के दूसरे (खुलना) और तीसरे (जेसोर) एककों के लिए कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किए गए हैं और परियोजना के केवल प्रथम एकक (कुश्तिया) के निर्माण का कार्य चल रहा है। भारतीय इंजीनियरों का विचार है कि इनमें से कुछ कागजी योजना अव्यवहारिक हैं।

इस वर्ष अप्रैल में पाकिस्तान ने एक सर्वथा नई योजना सामने रखी है जिसे फरीदपुर बारीसाल परियोजना कहते हैं। कहा जाता है कि उसके लिए गंगा से सूखे मौसम में ११,००० से १३,००० क्यूजेक अधिक पानी की आवश्यकता होगी और सर्वाधिक आवश्यकता के समय ३०,००० क्यूजेक पानी की जरूरत पड़ेगी। यह नई योजना अत्यधिक काल्पनिक है और इस क्षेत्र के लिए गंगा से पानी नहीं दिया जा सकता क्योंकि कुछ महीनों में तो पानी बहुत ही कम हो जाता है। पाकिस्तान की योजना में इस अत्यधिक जल-प्लावित क्षेत्र के लिए जल निस्सारण परियोजना की आवश्यकता बताई गई है, सिंचाई योजना की नहीं। जो भी हो, यह योजना हाल ही में फरक्का बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बहुत समय पश्चात् बनाई गई है और उसे उस योजना के समान स्तर अथवा अग्रिमता नहीं दी जा सकती है। यह योजना पूर्व पाकिस्तान के लिए उतनी आवश्यक भी नहीं कही जा सकती है जितना कि फरक्का बांध कलकत्ता—भारत का प्रमुख पत्तन—और भारत के लिए है।

†मूल अंग्रेजी में

भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को यह सूचित कर दिया है कि वर्तमान चर्चाओं में फरीदपुर–बारीसाल योजना की आवश्यकताओं का विचार नहीं किया जा सकता है और यह चर्चा पाकिस्तान की गंगा–कोबाडक परियोजना और भारत की फरक्का बांध परियोजना की उचित आवश्यकताओं तक ही सीमित रखी जानी चाहिए।

दिल्ली शहर में चलने वाली रेल गाड़ियां

१७५४. श्री क० भे० मालवीय: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली शहर में चलने वाली रेल गाड़ियां तीन-चार घण्टे के अन्तर से आती–जाती हैं ;

(ख) यदि हा, तो उन्हें प्रति घण्टा या इससे भी कम समय पर चलाने का सरकार का कोई इरादा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री से० वे० रामस्वामी) : (क) से (ग). इस समय स्थानीय यात्रियों को लेकर दिल्ली/नयी दिल्ली स्टेशनों पर प्रतिदिन २३ गाड़ियां आती हैं और वहां से २५ गाड़ियां जाती हैं। स्थानीय यात्रियों की आवश्यकता और दिल्ली/नयी दिल्ली स्टेशनों पर उपयुक्त मार्ग और प्लेटफार्म की सुविधा को ध्यान में रख कर इन गाड़ियों का समय इस प्रकार रखा गया है कि उपनगरीय यात्री दफ्तरों में और काम पर दिल्ली/नयी दिल्ली सवेरे पहुंच सकें और वहां से शाम को घर ठीक समय पर लौट सकें। इन स्थानीय गाड़ियों में से कुछ दो-दो घंटे से कम के अन्तर से चलती हैं और कुछ इससे अधिक अन्तर से चलती हैं। इन स्थानीय गाड़ियों को और अधिक चलाने के लिए इनके बीच का अन्तर एक घंटा या इससे कम रखना होगा और इसके लिए अतिरिक्त गाड़ियां चलानी पड़ेंगी जो नीचे बताये गये कारणों से इस समय सम्भव नहीं है:—

(१) दिल्ली/नयी दिल्ली स्टेशन पर गाड़ी खड़ी करने की कठिनाई

(२) विभिन्न खण्डों पर अतिरिक्त लाइन-क्षमता का अभाव और

(३) इंजनों की कमी ।

इसके अलावा अधिक स्थानीय गाड़ियों क चलाये जाने से माल यातायात पर प्रभाव पड़ेगा जो वांछनीय नहीं है।

रासायनिक तन्तुओं से कपड़े का निर्माण

†**१७५५. श्री चुनी लाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार देखे हैं कि रासायनिक तन्तुओं से निर्मित वस्त्र स्वास्थ्य के लिए हानिकर सिद्ध हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नाइलॉन आदि के इस्तेमाल से कौन्टेक्ट डरमैटाइटिस[1] रोग होने के कारणों के संबंध में नई दिल्ली के अवैतनिक डरमैटोलौजिस्ट द्वारा अनुसन्धान किया जा रहा है। अभी तक अंतिम निष्कर्ष नहीं प्राप्त किया जा सका है।

रेलवे में खोमचे लगाने के लाईसेंस

†१७५६. **श्री चुनी लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कितने व्यक्ति है जिन्हें दो से अधिक रेलवे स्टेशनों पर खोमचे लगाने के लाईसेंस दिए गए हैं;

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें पांच से अधिक रेलवे स्टेशनों पर खोमचे लगाने के लाईसेंस दिए गए है;

(ग) क्या यह सच है कि लाईसेंस होल्डर आमतौर से अपने ठेके अथवा दुकानें दूसरे व्यक्तियों को भाड़े पर उठा देते हैं;

(घ) यदि हा, तो खोमचे लगाने के लिए लाईसेंस देने की नीति क्या है और भाड़े पर उठाने की प्रणाली को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) ऐसे कितने लाईसेंस होल्डर हैं जिन्होंने लाईसेंस की राशि अथवा अन्य देय राशियों का भुगतान नहीं किया है और उसकी कुल राशि कितनी है;

(च) ऐसे कितने लाईसेंस-होल्डर हैं जिन्होंने तीन वर्षों से अधिक समय से रेलवे की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है; और

(छ) ऐसी चूक करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) चालीस।

(ख) पांच।

(ग) और (घ). ठेकों का भाड़े पर दिया जाना सर्वथा निषिद्ध है। इस प्रकार के मामलों की सूचना मिलने पर उनकी जांच की जाती है और सही पाए गए मामलों में ठेके छीन लिए जाते हैं। ठेकेदारों के साथ किए जाने वाले करारों में इस आशय का एक खण्ड सम्मिलित कर लिया गया है।

(ङ) से (छ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति

†१७५७. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १ अप्रैल, १९६१ और १ अगस्त, १९६१ के बीच कितने कर्मचारियों की सेवायें खत्म की गई हैं अथवा रेलवे संस्थापन संहिता के नियम १४८ के अन्तर्गत नोटिस दिए गए हैं;

(ख) उसी अवधि में कितने मामलों में अपीलों पर विचार किया गया; और

(ग) ऐसे विचार के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों को पुनः नौकरी में रख लिया गया?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Contact Dermatitis.

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). सूचना रेलवे प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में कृषि विकास

†**१७५८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार द्वारा केन्द्र से दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कृषि के विकास के लिए किस प्रकार की और कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई; और

(ख) उस राज्य को योजना के दौरान किस प्रकार की और कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत पहले राज्य की वार्षिक योजना के व्यय का अनुमोदन किया जाता है और उसके आधार पर विकास की विभिन्न मदों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के आवण्टन किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्यों से कृषि संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता के लिए सामान्यत: कोई पृथक प्रार्थनायें प्राप्त नहीं होती हैं।

(ख) पंजाब सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि संबंधी विकास (मध्यम सिंचाई और भूमि विकास को सम्मिलत करके) के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :

		रुपये लाखों में*
ऋण		६४४.८
अनुदान		१९७.८
	योग	८४२.६

*ये आंकड़े अन्तर्कालीन हैं और उनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

ग्रामदान कार्य

†**१७५९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामदान कार्य के सामुदायिक विकास कार्य के साथ समन्वय में अद्यतन क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अभी तक कौन-कौन से निर्णय क्रियान्वित किए गए हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) और (ख). इसी प्रकार के एक अतारांकित प्रश्न (संख्या १०३०) का उत्तर लोक सभा में ६ मार्च, १९६१ को दिया गया था। तब से अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ के साथ अग्रेत्तर चर्चायें हुई हैं। भूतकाल में किए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही का पुनरीक्षण करने और समन्वय के लिए कार्यक्रम तैयार करने के

†मूल अंग्रेजी में

लिए इस मंत्रालय और अखिल भारत सर्व सेवा संघ के बीच २३ अगस्त, १६६१ को एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है ।

मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

†१७६०. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६१–६२ में मध्य प्रदेश के समस्त ४३ जिलों में नए गाहकों को कितने नए टेलीफोन कनेक्शन (जिलेवार) देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) ३१ मार्च, १६६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में कितने कनेक्शन दिए गए थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १००]**।

राजस्थान में परिवार नियोजन केन्द्र

†१७६१. **श्री ओंकार लाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में दूसरी योजना अवधि में कितने परिवार नियोजन केन्द्र खोले गये हैं ; और

(ख) दूसरी योजना अवधि में इन केन्द्रों में को कितनी वित्तीय सहायता दी गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान में डाक-तार कर्मचारी

†१७६२. **श्री ओंकार लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करें गे कि :

(क) राजस्थान सर्किल में डाक तथा तार कर्मचारियों की ग्रेड-वार और पोस्टल डिवीजन वार संख्या १६६० के अन्त में कितनी थी और इस समय कितनी है ;

(ख) उन में से कितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ;

(ग) क्या सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए संरक्षित कोटा भरा जा चुका है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) से (घ). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान डाक तथा तार सर्किल में शिकायतें और सुझाव

†१७६३. **श्री ओंकार लाल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सर्किल के पोस्टल सुपरिनटेन्डेट और डाक तथा तार संचालक को कितनी शिकायतें और सुझाव प्राप्त हुए ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वे शिकायतें और सुझाव किस प्रकार के थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) अभी तक कितनी शिकायतें और सुझाव ऐसे हैं जिन पर कार्यवाही नहीं की गई है और इस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) १–४–६० से ३०–६–६१ तक

शिकायतें	२४,३४७
सुझाव	८

(ख) शिकायतें डाक वस्तुओं के पहुंचने में विलम्ब और गुम हो जाने और मनीआर्डरों के भुगतान में विलम्ब और उन के गुम हो जाने के संबंध में थीं। इस के अतिरिक्त कुछ शिकायतें विविध विषयों से संबंधित थीं जैसे दावों के निपटारे में देर और अशिष्टता आदि ।

छै सुझाव डाक सुविधाओं के विस्तार और दो विविध विषयों के संबंध में थे।

भाग (ग) में विचाराधीन शिकायतों और सुझावों को छोड़कर अन्य सबका निपटान किया जा चुका है ।

(ग) जांच के अन्तर्गत शिकायतें	६२८
विचाराधीन सुझाव	५

शिकायतों की प्राप्ति और निपटारे के बीच में लगने वाले समय के कारण कुछ प्रतिशत शिकायतें सदा लम्बित रही हैं। सुझाव इसलिए लम्बित हैं कि उन के संबंध में विभिन्न स्तरों पर परामर्श किया जाना है ।

पश्चिम रेलवे में भ्रष्टाचार निरोधक संगठन

†**१७६४. श्री ओंकार लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पश्चिम रेलवे में भ्रष्टाचार निरोधक संगठन ने जुलाई, १९६० से अब तक क्या प्रगति की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : इस अवधि में पश्चिम रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा भ्रष्टाचार के ४५१ नए मामले रजिस्टर किए गए थे। ४७६ मामलों में (पिछले मामलों को सम्मिलित कर के) जांच की गई और १७४ मामलों में आरोप सही सिद्ध हुए। २५१ अपराधी कर्मचारियों के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की गई और उन्हें दंडित किया गया।

२. विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं, जिनकी जांच की गई, को मोटे तौर पर निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है —

(१) घूस स्वीकार करना ;

(२) पास, पी० टी० ओ० आदि का अनुचित उपयोग ;

(३) टिकट खरीदने वाले यात्रियों को कम रेजगी देना ;

(४) रेलवे कर्मचारियों अथवा उपकरण को बिना प्राधिकार के निजी कार्य में लाना ;

(५) पररूपधारण, विगत बातों के गोपन आदि के कारण अनियमित नियुक्ति ;

(६) यात्रा भत्ते के झूठे दावे ;

(७) विलम्ब शुल्क एवं भरण तट शुल्क का छिपाया जाना ; और

†मूल अंग्रेजी में

(८) माल का गलत ब्यौरा बताना ।

३. जिन क्षेत्रों में राजस्व की चोरी का संदेह था उन में अचानक छापे मारे गये। कई मामलों में पार्सल को पुनः तोला गया और वे कम निकलीं तथा उचित शुल्क वसूल किया गया। सतर्कता विभाग ने संबंधित विभागों का ध्यान समय समय पर प्रक्रिया संबंधी दोषों की ओर आकर्षित किया जिन में भ्रष्टाचार की संभावना थी और महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित संदिग्ध चरित्र के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सुझाव भी दिए। विभाग ने खराब होने वाले माल के बुकिंग और डलीवरी का काम करने वाले वाणिज्यिक कर्मचारियों की कार्यवाहियों पर विशेष ध्यान दिया।

तुंगभद्रा एवं नागार्जुनसागर परियोजनायें

†१७६५. { **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि तुंगभद्रा और नागार्जुनसागर परियोजनाओं के अन्तर्गत मौसमी और बारहमासी फसलों के लिए कितने एकड़ गहरी एवं उथली भूमि में प्रति टी० एम० सी० जल से सिंचाई होने का अनुमान है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : तुंगभद्रा परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार १०,४०० एकड़ मौसमी फसल के क्षेत्र में एक टी० एम० सी० फीट पानी से संचित होने का अनुमान है। बारहमासी फसल को ४,६०० एकड़ भूमि में प्रति टी० एम० सी० फीट सिंचाई होगी।

नागार्जुनसागर परियोजना के आंकड़े, जैसा कि परियोजना प्रतिवेदन में अनुमान लगाया गया है, १०,८०० (मौसमी) और ५,४०० एकड़ (बारहमासी) प्रति टी० एम० सी० फीट है।

ऊपर दिये गये आंकड़े साधारण मिट्टी के लिये हैं। गहरी और उथली मिट्टियों के पृथक प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है।

उत्तर रेलवे द्वारा सम्पत्ति का क्रय

†१७६६. { **डा० क० ब० मेनन :**
श्री राम जी वर्मा : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने जम्मू और काश्मीर में कोई संपत्ति खरीदी है ;

(ख) यदि हां, तो किस उद्देश्य के लिये; और

(ग) कितनी लागत से और किन शर्तों पर खरीदी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, हां।

(ख) सब रेलवे के अफसरों और कर्मचारियों के लिये पहलगांव में छुट्टी गृहों की व्यवस्था के लिये ।

(ग) इमारतें ३.७० लाख रुपये की लागत से सीधी खरीदी गई थीं, और उन की भूमि काश्मीर सरकार से मामूली किराये पर दीर्घ कालीन पट्टे पर ली गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्राम्य ऋण

†१७६७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सहकारी संस्थाओं के द्वारा ग्राम्य ऋण विकास परियोजना को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी, हां।

(ख) योजना की मुख्य रूप रेखा नीचे दी गई है :—

(१) ६० प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को तीसरी योजना के अन्त तक सहकारिता के क्षेत्र में लेना।

(२) १०० प्रारंभिक कृषि ऋण संस्थाओं को मजबूत करना तथा पुनर्जीवित करना।

(३) दिल्ली राज्य सहकारी बैंकों को दो और शाखायें खोलना और अंशपूंजी तथा तथा निक्षेपों को बढ़ा कर इसे मजबूत करना ।

(४) दिल्ली राज्य सहकारी बैंक तथा प्रारंभिक कृषि संस्थाओं द्वारा १९६५–६६ तक क्रमशः ९० लाख और १०० लाख रुपये तक ऋण देना ।

(५) प्रारम्भिक कृषि ऋण संस्थाओं और प्रारंभिक कृषि ऋण संस्थाओं को सब वर्गों के कृषकों को पर्याप्त ऋण देने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये, सीधे अनुदान मंजूर करना, और अनुदान दिये गये अतिरिक्त ऋणों के आधार पर होगी।

(६) १० प्रारंभिक संस्थाओं द्वारा उत्पादन की आवश्यक वस्तुओं तथा कृषि उत्पाद को स्टाक करने के लिये १० गोदामों का निर्माण ।

प्रजातंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण

†१७६८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री नेक राम नेगी :
श्री कोडियान :
श्री कालिका सिंह :
श्री तगामणि :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में प्रशासन के प्रजातंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण की योजना को कार्यरूप में लाने की दिशा मे आज तक क्या प्रगति हुई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : राजस्थान, आंध्र प्रदेश, आसाम, मद्रास, मैसूर और उड़ीसा ने प्रजातंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण अर्थात् पंचायत राज की योजना पहले ही कार्यान्वित की है। पंजाब ने अपेक्षित विधान बना लिया है और अक्तूबर, १९६१ तक समूचे राज्य में पंचायत राज्य को आरंभ करने के लिये कार्यवाही कर रही है।

†मूल अंग्रेजी में

उत्तरप्रदेश, और मध्य प्रदेश में, इस बारे में विधान राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित किया जा चुका है तथा राष्ट्रपति की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने अपना विधेयक बना लिया है जो राज्य विधान मंडल के चालू सत्र में पुनः प्रस्थापित कर दिया गया है या कर दिया जाएगा। गुजरात में पंचायत राज्य विधेयक बनाना आरंभ कर दिया गया है। बिहार में विधेयक राज्य के विधान मंडल में पुरः स्थापित कर दिया गया है।

केरल ने पंचायत अधिनियम पारित कर दिया है और समूचे राज्य में पंचायतों की एक रूप प्रणाली कर दी है। ऊंचे स्तर के निकायों की स्थापना राज्य में कुछ समय तक पंचायतों के काम के बाद होने की आशा है।

पश्चिम बंगाल में क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पंचायतों का गठन किया जा रहा है।

जम्मू और काश्मीर में पंचायतें काम कर रही हैं। वहां खंड पंचायत बोर्ड हैं जो सलाहकार क्षमता में काम करती हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों में से हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में पंचायतें स्थापित की जा चुकी हैं। दिल्ली में भूतपूर्व खंड विकास समिति को मंचायत समितियों के रूप में पुनर्गठित किया गया है। अन्दमान एवं निकोबार द्वीप समूह पंचायत विनियम प्रख्यापित कर दिया गया है और शीघ्र ही द्वीप समूह के कुछ क्षेत्रों में पंचायतें स्थानीय स्थापित करने का विचार है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधियनयम १९४७ का मनीपुर तथा त्रिपुरा में विस्तार किया गया है: और पांडीचेरी में पंचायतें स्थापित करने के लिये तैयारी की जा रही हैं। लक्का द्वीप और भिनिकोय द्वीप समूह में पंचायतें नहीं हैं।

सहकारिता प्रशिक्षण

†१७६९. **श्री यादव नारायण जाधव**: क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि रिज़र्व बैंक को सहकारिता प्रशिक्षण से अलग हो जाना चाहिये, और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस अध्ययन दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहती है?

†**सिंचाई और विद्युत् तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) जी नहीं। अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि सहकारिता प्रशिक्षण की वर्तमान केन्द्रीय समिति के स्थान पर सहकारिता प्रशिक्षण का राष्ट्रीय बोर्ड होना चाहिये। प्राथमिक इसने यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय बोर्ड में रिजर्व बैंक के दो प्रतिनिधि होने चाहिये।

(ख) अध्ययन दल की यह और अन्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। अक्तूबर १९६१ में आयोजित होने वाले राज्यों के सहकार समितियों के सम्मेलन में परामर्श करने के पश्चात् निर्णय किया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेंढकों का निर्यात

†१७७०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों को निर्यात करने के लिये मेंढकों के बड़े पैमाने पर किये जाने वाले नाश से देश के कुछ भागों में फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है क्योंकि मेंढक फसलों को हानि पहुंचाने वाले अनेक कीटाणुओं को मारता है ;

(ख) क्या इस दिशा में कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता ।

बाल पक्षाघात

†१७७१. **श्री वी० च० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में देश में बाल पक्षाघात के कितने मामले हुये हैं ;

(ख) १९६१ में अब में कितने मामले हुये हैं और १९६० में तदनुमान अवधि में कितने मामले हुए हैं; और

(ग) इस बीमारी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों और प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रखा दी जाएगी ।

घग्गर नदी

†१७७२. { **श्री वी० च० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प० ला० बारूपाल : }

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूखी घग्गर नदी में पुनः पानी आ गया है और पिछली वर्षा ऋतु में वह जल बड़े क्षेत्रों में भर गया है ;

(ख) क्या घग्गर नदी को नियंत्रित करने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). घग्गर नदी पंजाब और राजस्थान राज्यों में से गुजरती है । नदी में बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिये राज्यों ने निम्न कार्रवाईयां करने का विचार किया है :—

पंजाब —राज्य सरकार निम्न परियोजनाओं का विचार कर रही है :—

(१) चेडी मन्दिर के समीप घग्गर नदी के ऊपर बांध का निर्माण :

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) इसकी सहायक नदियों अर्थात् तांगरी और भांकडा को रोकने वाले बांधों का निर्माण ;

(३) सिंचाई कार्यों के लिये जल का उपयोग ;

(४) घग्गर तड़ाग से सतलुज और यमुना तक जल को मोड़ना ;

(५) उन नालों के साथ रैगुलेटरों का निर्माण, जिन से घग्गर नदी में पानी गिरता है, ताकि जब घग्गर नदी में जल प्रवाह अधिक हो तो इन नालों में से घग्गर में कम पानी गिरे, और बाढ़ का प्रभाव कम हो सके, और

(६) ओटू से नीचे घग्गर से नहरें निकालना : उक्त परियोजनाओं की लागत अनुमान १३.०२ करोड़ रुपये है ।

राजस्थान : घग्गर नदी को मोड़ने के लिये एक विस्तृत योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है । परियोजना में ओटू जलाशय तथा राजस्थान नहर का क्रासिंग के बीच घग्गर नदी के दोनों ओर सीमान बांध लगाने का विचार है । तब नदी को सूरतगढ़ के पश्चिम क्षेत्र में बालू के टीलों के बीच ऊंचे स्तर की नहर के रूप में जोड़ने का विचार है ।

२१–६–१९६१ को योजना आयोग, रेलवे मंत्रालय राजस्थान और पंजाब सरकारों और सिचाई तथा विद्युत् मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की बैठक में यह फैसला किया गया कि घग्गर नदी के जल संसाधनों का विकास और बाढ़ों के नियंत्रण के लिये एक सामूहिक योजना बनाई जाएगी । यह भी फैसला किया गया कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग पंजाब और राजस्थान सरकारों के द्वारा तैयार की गई योजनाओं का अध्ययन करेगा और दोनों राज्यों के सर्वोत्तम हितों के लिये घग्गर नदी की बाढ़ों को रोकने के बारे में उत्पन्न प्रभावी और कम खर्च वाली योजनाओं को तैयार करने के लिये संगत आकड़े एकत्रित करेगा । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने घग्गर घाटी में बाढ़ नियंत्रण और नाली व्यवस्था के लिये अपनी योजनाओं का ब्यौरा भेजने के दोनों राज्य सरकारों को लिखा है ।

भूमि अधिगृहण अधिनियम १८९४

†१७७३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेक राम नेगी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि आयोग के सुझावों के अनुसार भूमि अधिग्रहण अधिनियम १८९४ में संशोधन करने के लिये मसौदा विधेयक पर सुझाव देने के लिये राज्य सरकारों से पूछा है ; और

(ख) यदि हां, तो अधिनियम में संशोधन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). भूमि अधिग्रहण अधिनियम १८९४ में संशोधन करने के लिये एक विधेयक बनाया गया है और संघ मंत्रालयों तथा योजना आयोग के मत प्राप्त होने और उसमें आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तन करने के पश्चात्

†मूल अंग्रेजी में

जिन को यह विधेयक भेजा जा चुका है, राज्य सरकारों से उन के सुझाव पूछने के लिये उनको भेजा जाएगा ।

रेलवे सुरक्षा दल

†१७७४. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री दी० च० शर्मा

क्या **रेलवे** मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या रेलवे सुरक्षा दल को, इस समय की अपेक्षा रेलवे की सम्पत्ती और लोगों के जीवन क रक्षा का अधिक प्रभावशाली अभिकरण बानने की दृष्टि से, इसके दर्जे और अधिकार को बढ़ाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में टिप्पण तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). इस समय इस विषय पर राज्य सरकारों को कोई पत्र-ज्ञापन भेजना आवश्यक नहीं समझा गया है। सरकारी रेलवे पुलिस के संगठन और काम को सुधारने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है, ताकि इसे रेलवे में अपराधों को रोकने का प्रभावशाली अभिकरण बनाया जा सके ।

भाखड़ा बांध

†**१७७५. श्री दी० च० शर्मा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाएं किनारे के बिजली घर में पानी के प्रवाह को सुचारु तरीके से चलाने भाखड़ा में उपकरण लगाने में बहुत बिलम्ब हो गया है और इस कारण तीसरे, चौथे और पांचवें जनरेटरों को चलाया नहीं जा सका है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) ये जैनरेटर कब तक चलाये जायेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** : (क) जी हां, कुछ बिलम्ब अवश्य हो गया है ।

(ख) बिलंब का कारण यह था कि पैनस्टाक द्वारों को गिराने और उठाने की मशीन देरी से आई ।

(ग) तीन ईकाइयां पहले ही चल रही हैं । चौथी और पांचवीं इकाइयों के क्रमशः १ नवम्बर, और १ दिसम्बर, १९६१ तक चलने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

होम्योपैथी

†१७७६. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में होम्योपैथिक इलाज बढ़ रहा है ;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों में होम्योपैथिक इलाज के कितने केन्द्र हैं; और

(ग) १९६१ में सरकार ने उनको कितनी राशि दी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है अतः कोई विश्वस्त जानकारी उपलब्ध नहीं है कि आज देश में होम्योपैथिक इलाज बढ़ रहा है।

(ख) ३७ ।

(ग) दो संघ राज्य क्षेत्रों को ५२,५०० रुपये का सहाय्य-अनुदान दिया गया है ।

अन्तर्देशीय पर्यटन प्रचार पर व्यय

†१७७७. **श्री वी० च० शर्मा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० और १९६०–६१ में भारत के विभिन्न भागों की यात्रा करने के लिये भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रचार पर कितना व्यय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजबहादुर) :** अन्तर्देशीय पर्यटन प्रचार पर, जिसमें प्रदर्शन प्रचार की चीजें अर्थात्, फोल्डर, इश्तहार, हैंडबिल, शोबोर्ड, बलौटर, होर्डिंग, सिनेमा सलाइटें और प्रेस विज्ञान शामिल हैं, १९५९–६० में २,३०,०२० रुपये ४८ नये पैसे तथा १९६०–६१ वर्ष में २,४९,९६२ रुपये २४ नये पैसे खर्च हुये हैं ।

कुष्ठ रोग

†१७७८. { **श्री वी० च० शर्मा :**
श्री बे० च० मलिक :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३१ जनवरी, १९६१ में देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या के बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी थी ; और

(ग) क्या लोगों में कुष्ठ रोग की वृद्धि को रोकने के लिये कोई उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). अखिल भारतीय आधार पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । कुष्ठ रोग नियंत्रण योजना के अन्तर्गत, चुने क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में कुष्ठ रोगियों का सर्वेक्षण किया गया है । चुने क्षेत्रों में सर्वेक्षित ८७,६३,६६१ लोगों में से, ८३,३२९ लोगों में कुष्ठ रोग पाया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ग) लोगों में कुष्ठ रोग के फैलाव को रोकने के लिये, भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग से, पहली पंचवर्षीय योजना के पिछले दो वर्षों में कुष्ठ रोग नियंत्रण योजना आरम्भ की थी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जारी रही। कार्यक्रम का उद्देश्य, नियंत्रणाधीन स्थानीय क्षेत्रों में लोगों का सर्वेक्षण करना, प्रारम्भिक मामलों का पता लगाना और उन क्षेत्रों में कुष्ठ रोग वालों का आधुनिक ढंग का इलाज करना था। इस कार्यक्रम को चलाने के लिये, दो प्रकार के केन्द्र, अर्थात् सहायक केन्द्र और इलाज तथा अध्ययन केन्द्र, खोलने का विचार था। सहायक केन्द्र (प्रत्येक केन्द्र द्वारा लगभग ५०,००० से ६०,००० तक) लोगों का सर्वेक्षण करते हैं, ताकि प्रारम्भिक रोग को मालूम किया जाये और सल्फोनों के द्वारा लोगों का इलाज किया जाये। इलाज तथा अध्ययन केन्द्र, इन उपायों के अतिरिक्त, महामारी विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण और सल्फोन इलाज पद्धति के परिणामों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत चार इलाज एवं अध्ययन केन्द्र और ११६ सहायक केन्द्र १९६० की समाप्ति तक विभिन्न राज्यों में स्थापित किये गये थे।

इन कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्रों के अतिरिक्त कुष्ठ रोग के इलाज और नियंत्रण के लिये देश में १४६ अस्पताल और १२४८ क्लिनिक हैं। तीसरी योजना में यह योजना जारी रखी जा रही है।

होमियोपैथी का विकास

†१७७९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ के लिये भारत में होमियोपैथी की उन्नति के लिये भारत सरकार ने कितनी रकम मंजूर की है ;

(ख) किन किन मदों के लिये यह अनुदान मंजूर किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक मद के लिये कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). देशी तथा अन्य चिकित्सा प्रणालियों की, जिनमें होमियोपैथी भी शामिल है, उन्नति के लिये ४० लाख रुपये की रकम (२० लाख रुपये स्वयंसेवी संगठनों को सीधे अनुदान देने के लिये और शेष २० लाख रुपये राज्य सरकारों को सहायता के लिये) १९६१–६२ के बजट में रखी गयी है। होमियोपैथी की दो संस्थाओं को ऊंचा बनाने के लिये इस वर्ष में ५,०७,८०४ रुपये के अनुदान दिये जा चुके हैं।

			रुपये
(ग)	(१)	इमारतों के लिये . . .	४,६०,०००
	(२)	रख रखाव के लिये (आवर्तक अनुदान) .	२२,८०४
	(३)	साज सामान के लिये	२५,०००

रेलवे में बिजली के सिग्नल

†१७८०. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधारमण :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस हद तक रेलवे लाइनों पर हाथ से चलाये जाने वाले लम्बे सिग्नलों की जगह नये ढंग के बिजली के सिग्नल लगाना संभव हुआ है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस नये ढंग के सिग्नल उतने ही प्रभावशाली सिद्ध हुये हैं जितना उनसे आशा की जाती थी ;

(ग) इस नये ढंग के सिग्नल लगाने में कुल कितना खर्च लगा और अभी तक कितने स्टेशनों पर वे लगाये जा चुके हैं ; और

(घ) क्या यह योजना सभी रेलवे के दूसरे बड़े बड़े स्टेशनों पर भी लागू करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) हाथ से चलाये जाने वाले सिग्नलों की जगह नये ढंग के विद्युतचालित सिग्नल (कलर लाइट) भारतीय रेलवे के कुल १२६ स्टेशनों पर लगाये जा चुके हैं।

(ख) जी हां।

(ग) १२६ स्टेशनों पर नये ढंग के सिग्नल लगाने में कुल लगभग ३०० लाख रुपया खर्च हुआ है।

(घ) जी हां। धीरे धीरे पहले अधिक महत्वपूर्ण जंक्शनों पर लगाये जायेंगे और उसकी गति विधियों की उपलब्धि पर निर्भर होगी।

वातानुकूलित डिब्बों से यात्रा

१७८१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सच है कि वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या घट रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारण का पता लगाने का प्रयास किया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि भारत के बड़े नगरों की यात्रा भाड़ा लगभग समान होने से विमानों द्वारा अधिक पसन्द की जाने लगी है ?

रेलवे उप मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। कुछ लोग अन्य कारणों से बड़े नगरों की यात्रा विमान द्वारा करते हैं, जैसे समय की बचत आदि।

खेतरी तक रेलवे लाइन

†**१७८२. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री ९ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३४७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झुनझुनु जिले में खेतरी तक रेलवे लाइन बनाने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). प्रस्ताव की छानबीन अभी हो रही है ।

हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कालेज

†१७८३. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री हेमरज : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न १३७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में एक मेडिकल कालेज खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). योजना आयोग अभी इस विषय की छानबीन कर रहा है ।

जन्म निरोध के लिए औषधि

†**१७८४. श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गर्भ निरोध की वह औषधि इस बीच प्राप्त हो चुकी है जिसकी खोज राजस्थान में जैसलमेर के एक ग्रामीण व्यक्ति ने की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी जांच की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस औषधि की जांच की गयी है और वह सन्तोषजनक नहीं पायी गयी ।

वन अनुसंधान संस्था, देहरादून

†१७८५. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र : }

क्य **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २४ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन अनुसंधान संस्था, देहरादून, को विश्वविद्यालय की हैसियत देने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). इस विषय पर अभी विचार हो रहा है ।

पंजाब में गेहूं खरीदने के लिए मिलों पर निर्बंधन

†११८६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने खुले बाजार से अपनी जरूरत का गेहूं खरीदने के लिये मिलों पर लगाये निर्बन्धन अभी तक वापिस नहीं लिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को मिल मालिकों से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी नहीं। जहां तक हमें ज्ञात है पंजाब सरकार के ऐसे कोई आदेश जारी नहीं हैं जिनसे आटा चक्कियों को खुले बाजार में गेहूं खरीदने की मनाही हो ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

गोविन्दसागर पर कोन्दरा पुल

†१७८७. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध के गोविन्दसागर पर कोन्दरा पुल बनाने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) वह संभवतः कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) ९ खंभों में से ६ खंभों की नींव और नीचे का काम पूरा हो चुका है । बाकी ३ खंभों के संबंध में, एक खंभे की खुदाई पूरी हो चुकी है और खंभा संख्या ४ की नींव पूरी होने ही वाली है । खंभा संख्या १ और २ के ऊपर का ढांचा और खंभा संख्या ३ का सिरा भी पूरा हो चुका है।

खंभा संख्या ५ और ६ के बीच ऊपरी ढांचे पर कंकरीट डालने का काम हो रहा है । ३० जून, १९६१ को सर्वांगीण प्रगति ६०.०८ प्रतिशत है ।

(ख) १९६२ के अन्त तक ।

फर्रुखाबाद स्टेशन पर कोयले का गायब हो जाना

†१७८८. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्रुखाबाद स्टेशन पर तीन माल डिब्बों से 'स्लैक' कोयला, जिसके लिये रेल भाड़ा पहले ही अदा कर दिया गया था, किसी अनधिकृत व्यापारी ने अप्रैल, १९६१ के महीने में स्टेशन पर उसके पहुंचने के कुछ ही दिनों में उठा लिया था ;

(ख) क्या सरकार ने यह कोयला गायब हो जाने के मामले की जांच की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) 'स्लक' कोयले के तीन माल डिब्बे गलती से अनधिकृत व्यापारियों को सौंप दिये गये थे।

(ख) और (ग). जी हां। सरकारी रेलवे पुलिस, फर्रूखाबाद ने यह मामला दर्ज कर लिया है और अभी उसकी जांच पड़ताल हो रही है।

रेवाड़ी स्टेशन

†१७८९. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेकराम नेगी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर रेलवे के रेवाडी स्टेशन को नये सिरे से बनाने के काम में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : करीब ७५ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

दोषपूर्ण वाइकाउन्ट विमानों की मरम्मत

१७९०. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेकराम नेगी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २१ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के जिन दो वाइकाउन्ट विमानों पर दरारें पायी गयी थीं, क्या उनकी मरम्मत की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे चालू हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

असम में टेलीफोन कनेक्शन्स

†१७९१. **श्री हेम बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी फिलहाल असम राज्य में नये टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ख) असम राज्य में गोहाटी और डिब्रूगढ़ में १९५९-६० में कितने नये कनेक्शन दिये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) १८७२।

(ख) गौहाटी ४२।

डिब्रूगढ़ ९९।

पर्वतीय क्षेत्रों में कम शक्ति वाले बिजली पैदा करने के टर्बाइन

१७९२. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री १७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १५५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली पैदा करने के कम शक्ति वाले टर्बाइन लगाने में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा विभिन्न संघीय व राज्य सरकारों ने उसके बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : लाहौल, पंजाब, में विलिंग नाला पर ५०–५० किलोवाट के दो यूनिटों का प्रतिष्ठापन कार्य प्रगति कर रहा है। यह कार्य अक्तूबर, १९६१ तक पूर्ण होना अनुसूचित है। और भी, निम्नलिखित योजनाओं के सम्बन्ध में, जिनकी पूर्ण रूप से जांच कर ली गई है, प्राथमिक कार्य किया जा रहा है।

(१) पंजाब में ५०–५० किलोवाट के तीन यंत्रों को प्रतिष्ठापित करने की योजना ;

(२) जम्मू और काश्मीर में एक २५ किलोवाट के, चार ५०–५० किलोवाट के, दो १००–१०० किलोवाट के और एक २५० किलोवाट के यंत्रों को प्रतिष्ठापित करने की योजना ;

(३) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में कई माइक्रो जल विद्युत् योजनाएं।

विविध राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसन्धान प्रगति कर रहे हैं।

मच्छरों का नष्ट किया जाना

†१७९३. { **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मच्छरों को नष्ट करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं । यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में, जो मलेरिया उन्मूलन के लिए चालू किया गया है, मच्छरों के निवारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

ग्राम समुदाय के दुर्बल अंग

†१७९४. { श्री हेमराज :
श्री व जपेयी :
श्री कुंभार :
श्री जांगड़े : }

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम समुदाय के दुर्बल अंगों की हालत की जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनमें से कौन सी सिफारिशें मंजूर की गयी हैं ; और

(ग) प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आगरा और कलकत्ता में क्षयरोग प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र

†१७९५. **श्री कोडियान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा और कलकत्ता में क्षयरोग प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) ये केन्द्र संभवतः किस समय तक चालू हो जायेंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). क्षय रोग प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण-केन्द्र कलकत्ते में चालू हो चुका है । आगरे में उस केन्द्र की इमारत बन कर तैयार होने ही वाली है और दिसम्बर, १९६१ तक वह केन्द्र संभवतः चालू हो जायेगा । दोनों ही केन्द्रों के लिए क्ष-किरण और प्रयोगशाला उपकरण विश्व स्वास्थ्य संगठन/संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से शीघ्र ही प्राप्त होने वाले हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के अनुसन्धान कार्य

†१७९६. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ४ करोड़ रुपये की लागत से अपने अनुसन्धान कार्य और तीव्रता से करने की कोई योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक अनुसन्धान करने के लिए विभिन्न मेडिकल कालेजों में कितने नये क्लिनिकल रिसर्च यूनिट कायम किये जायेंगे ;

(ग) क्या देशी चिकित्सा के क्षेत्र में भी सघन कार्यक्रम शुरू किया जायेगा ; और

(घ) क्या औद्योगिक स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन भी शुरु किया जायेगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां । चिकित्सा अनुसन्धान के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३५० लाख रुपये की रकम रखी गयी है और भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से सहायक अनुदान मिलेंगे ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मेडिकल कालेजों में कितने क्लिनिकल रिसर्च यूनिट स्थापित किये जायेंगे इस बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् ने कोई निश्चित निर्णय नहीं किया है । अभी फिलहाल मेडिकल कालेजों में दो अनुसन्धान विभाग प्रयोग के तौर पर चालू करने का विचार है और इस विषय पर विचार हो रहा है। परिषद् ने विशिष्ट विषयों जैसे पीलपांव (फाइलेरियासिस), बच्चों का अतिसार, मेडिकल माइकोलोजी इत्यादि में अनुसन्धान करने के लिए एकक स्थापित करने का भी निश्चय किया है ।

(ग) देश औषधियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए परिषद् ने देश के विभिन्न भागों में कई औषधि अनुसन्धान एकक स्थापित किये हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन एककों का काम काज और बढ़ाया जायेगा ?

(घ) ज हां ।

पंजाब में ऊपरी पुल

१७९७. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में ऊपरी पुल बनाने के लिए १९६० में पंजाब सरकार ने क्या क्या योजनाएं दी हैं ; और

(ख) उन पर क्या निश्चय किया गया है और प्रत्येक के सम्बन्ध में कहां तक काम किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). ऐसी कोई योजना एं प्राप्त नहीं हुई हैं। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में निम्नलिखित पुल बनाने का कार्यक्रम था और १९६०-६१ में वे पूरे हो गये हैं :—

१. लुधियाना बाई-पास पर २१६/१५-१६ मील पर जी० टी० रोड पर सड़क के ऊपर का पुल।

२. जालन्धर छावनी और जालन्धर शहर के बीच सड़क के ऊपर का पुल

३. छिह्रेरु पर सड़क के ऊपर का पुल।

दिल्ली में एक रेल कर्मचारी के मृत्यु की जांच

†१७९८. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे, दिल्ली के मजदूर संघ ने रेलवे चिकित्सा कर्मचारियों की तथाकथित उपेक्षा की जिसके कारण ३० मई, १९६१ को दिल्ली लोकोशेड के एक आहत रेल कर्मचारी की समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने की वजह से मृत्यु हो गयी थी, जाँच की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जाँच की गयी है; और

(ग) क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पदच्युत किये गये रेलवे कर्मचारियों के मामले

१७९९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १८ फरवरी, १९६१ के टाइम्स आफ इंडिया के दिल्ली संस्करण में एक सम्पादकीय निकला है जिसमें मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत एक रेलवे कर्मचारी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री धवन द्वारा दिये गये निर्णय का उल्लेख है ?

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें व्यवहार न्यायालयों द्वारा रेलवे कर्मचारियों को निकाले जाने को अवैध तथा प्रभावशून्य घोषित करते हुये निर्णय दिये गये हैं परन्तु रेलवे फिर भी निराधार कारणों से उन रेलवे कर्मचारियों के दावों के विरुद्ध लड़ रही है ;

(ग) क्या मंत्रालय में उच्च स्तर पर ऐसे मामलों की छान-बीन की जाती है जिससे सरकारी खर्च पर निराधार ऐसे मुकदमों में अपव्यय न हो; और

(घ) क्या इस प्रकार के सभी विचाराधीन मामलों पर मंत्रालय उच्च स्तरीय छान-बीन करेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) रेल कर्मचारियों की बर्खास्तगी या उन्हें नौकरी से हटाने के १५ मामले ऐसे हैं जिनमें रेल-प्रशासनों ने निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध ऊंची अदालतों में अपील की है।

(ग) और (घ). ऐसे मामलों में हर एक के गुण-दोष की जांच करके और अपने विधि अफसरों की सलाह लेकर ही रेल-प्रशासन अपील करते हैं। जिन मामलों में महत्वपूर्ण प्रश्न निहित होते हैं, उनके बारे में रेलवे बोर्ड का निर्देश लिया जाता है और जिन मामलों में विधि सम्बन्धी प्रश्न निहित होते हैं, उनके बारे में विधि मंत्रालय की सलाह ली जाती है।

टी० टी० ई० का चुनाव

†१८०० { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० च० सामंत : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में कर्मचारियों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में से टी० टी० ई० के पद के लिए २५ अप्रैल, १९६० को कोई प्रतियोगितात्मक परीक्षा ली गयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो टी० टी० ई० के ऊंची ग्रेड के (ग्रेड ए और ग्रेड बी) पदों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कितने उम्मीदवार चुने गये;

(ग) क्या अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित सभी पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन पदों पर भरती करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी हाँ, टी० टी० ई० के ग्रेड ए के तीन पदों पर भरती करने के लिए जिनमें से दो पद अनुसूचित जातियों के लिए और एक पद अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित थे।

(ख) **टी० टी० ई० ग्रेड ए**

अनुसूचित जातियां . .	३
अनुसूचित आदिम जातियां . . .	कोई नहीं

टी० टी० ई० ग्रेड बी

इस ग्रेड में पद "नान-सेलक्शन" पद हैं और उनके लिए चुनाव करने का कोई प्रश्न नहीं था।

(ग) अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित एक पद पर अनुसूचित जाति का एक उम्मीदवार नियुक्त किया गया था क्योंकि अनुसूचित आदिम जाति का कोई कर्मचारी पदोन्नति के उपयुक्त नहीं था।

(घ) अनुसूचित आदिम जातियों की कमी अगले चुनाव तक आगे बढ़ायी जायगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोने की व्यवस्था वाले डिब्बे

†१८०१. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन रेलवे सेक्शनों में दो शायिका (टायर) वाले सोने के डिब्बे चालू किये गये हैं, और

(ख) क्या तीन शायिका (टायर) वाले डिब्बों की जगह दो शायिका वाले डिब्बे रखे जायेंगे?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) बड़ी लाइन पर नयी दिल्ली–मद्रास सेन्ट्रल, नयी दिल्ली––हावड़ा, दिल्ली–लखनऊ, दिल्ली–बंबई सेन्ट्रल, हावड़ा–पुरी और मद्रास सेन्ट्रल–बंगलौर सिटी सेक्शन्स और छोटी लाइन पर मद्रास एगमोर–त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल अलाहा–बाद–गोरखपुर, जोधपुर–जयपुर और राजकोट–कटोसन रोड–कलोल–अहमदाबाद सेक्शन्स।

(ख) जी नहीं।

सूखा टीका तैयार करना

†१८०२. **श्री कोडियान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गिन्डी, मद्रास, में स्थित बी० सी० जी० टीका प्रयोगशाला ने बड़े पैमाने पर सूखा टीका तैयार करना शुरू कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सहायक खाद्य उत्पाद

†१८०३. **श्री नंजप्प** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सहायक, अनुपूरक और विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद के बारे में कोई कार्यक्रम तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये कार्यक्रम कहां तक कार्यान्वित किये जायेंगे;

(घ) क्या इन राज्यों से परामर्श लिया गया है और यदि हां, तो उनकी क्या राय है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी हां।

(ख) जो योजनाएं तैयार की गयी हैं उनमें औसत भारतीय भोजन का पोषक तत्व बढ़ाने के उद्देश्य से उसमें विभिन्नता बढ़ाने की कल्पना की गयी है। उद्देश्य केवल इतना

---

†मूल अंग्रेजी में

ही नहीं है कि उपलब्ध प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाये बल्कि दूसरे पोषक पदार्थों का, जो अब तक अपर्याप्त रूप में अप्रयुक्त कच्ची सामग्री से प्राप्त होते हैं, तथा पारिष्करण और परिरक्षण द्वारा नष्ट होने से बचाये गये खाद्यान्नों का भी उपयोग किया जाये। इन योजनाओं में भोजन संबंधी उचित आदतें डालने, बरबादी रोकने तथा सन्तुलित भोजन को लोकप्रिय बनाने का आन्दोलन भी शामिल है।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सीमित निधियां उपलब्ध होने के कारण मुख्यतः खाने योग्य मूंगफली आटा और भारतीय बहुप्रयोजनीय खाद्य तैयार करने के लिए संयत्र स्थापित करने, खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के परिरक्षण आदि की प्रणालियों (औद्योगिक तथा घरेलू) के संबंध में जानकारी देने और इस संबंध में प्रदर्शन एकक स्थापित करने, चावल आदि उबालने के लिए उन्नत प्रणालियों का प्रचार करने का विचार है। प्रकाशन, प्रदर्शन, विस्तार एकक, वैज्ञानिक ढंग से वितरण के प्रशिक्षण आदि से लोगों के खाने की आदतों में धीरे-धीरे परिवर्तन लाने के प्रयत्न भी किये जायेंगे।

(घ) जी हां। राज्य सरकारों ने ऊपर बताये गये उद्देश्यों से सामान्य सहमति व्यक्त की है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमानों के स्थान पर चलाये जाने वाले विमान

†१८०४. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री दिनेश सिंह :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डकोटा की जगह चालू करने के लिए किसी नये ढंग के विमान खरीदने का इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार है;

(ख) क्या इस बारे में कोई निश्चय किया गया है ; और

(ग) यदि हां तो क्या ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमानों की जगह नये ढंग के विमान चालू करने के लिए खरीदे जाने वाले विमानों के प्रकार के बारे में कोई निश्चय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कोचीन पत्तन में वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति

†१८०५. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशें, सरकार द्वारा स्वीकृत रूप में कोचीन पत्तन में क्रियान्वित की गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायण)** : (क) सरकार द्वारा स्वीकृत दूसरे वेतन आयोग की सभी सिफारिशें 'केवल औद्योगिक' कर्मचारियों को संशोधित वेतन स्तर तथा पेंशन लाभ को छोड़ कर क्रियान्वित की जा चुकी हैं।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वेतन क्रम : अपने संकल्प संख्या २३-पी० एल० ए० (६१)/८५ दिनांक २३-८-१९५८ के द्वारा भारत सरकार ने मुख्य पत्तनों के तृतीय एवं प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों का वर्गीकरण करने तथा उनको संकल्प की अनुसूची में दिये गये प्रथम वेतन आयोग के वेतन क्रमों में अथवा उनके अधीन छोटे वेतन क्रमों के रखने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। समिति की सिफारिशें पत्तन अधिकारियों और पत्तन कर्मचारियों के लिये अंतिम और अनिवार्य रूप से लागू होंगी जो १-१०-५७ से लागू की जायेंगी।

यह निश्चय किया गया था कि दूसरे वेतन आयोग के आधार पर संशोधित वेतन क्रम कोचीन तथा अन्य सभी पत्तनों में समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर लागू किये जायेंगे। प्रतिवेदन अब प्राप्त हो चुका है और पत्तन अधिकारी समिति द्वारा सिफारिश वेतन क्रमों के अधीन प्रत्येक कर्मचारी का वेतन निश्चित करने का कार्य कर रहे हैं। जैसे ही यह कार्य समाप्त हो जायेगा वैसे ही पत्तन के कर्मचारियों के लिये दूसरे वेतन आयोग के आधार पर संशोधित वेतन क्रम निश्चित करने का कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

पेंशन लाभ : इस समय पत्तनों के गैर औद्योगिक कर्मचारियों को भी पेंशन लाभ के अधिकार प्राप्त नहीं हैं तथापि पत्तन के सभी कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने का प्रश्न विचाराधीन है।

अमेरिका से खाद्यान्नों का आयात

†१८०६. **श्री दामानी** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अमेरिका से १७० लाख टन के खाद्यान्न के आयात के संबंध में हुए समझौते के अधीन आयात किये गये खाद्यान्न का ब्यौरा क्या है, तथा इससे कीमतों के चढ़ाव में कहां तक रुकावट हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : अमेरिका से पी० एल० ४८० समझौते के अधीन हुई मई १९६० से ३१ जुलाई १९६१ तक २१.९ लाख मेट्रिक टन गेहूं और २.५ लाख टन चावल का आयात हुआ है।

देश में खाद्यान्नों की संतोषजनक स्थिति कई बातों के संचित प्रभाव का फल है। उदाहरणार्थ देश में खाद्यान्नों का अच्छा उत्पादन, सस्ते अनाज की दुकानों द्वारा आयात किये गये खाद्यान्नों का वितरण, प्रत्येक बात के प्रभाव को पृथक करना बहुत कठिन है यद्यपि आयात किये गये खाद्यान्नों के वितरण से कीमतों की वृद्धि रोकने में सहायता मिली है।

पटना में किराये के मकानों में डाक-घर

१८०७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना शहर में बहुत से डाक घर किराये के मकानों में हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पटना शहर में अन्य लोगों की अपेक्षा डाक विभाग को अधिक मकान भाड़ा देना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी भी जांच कराई है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि जिन मकानों में डाक घर हैं, (जैसे पटना-६ में) उनकी हालत बड़ी खराब है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) बेगमपुर डाकघर की इमारत के अलावा और किसी भी डाकघर की इमारत खराब हालत में नहीं है ।

मोतिया खान, दिल्ली के व्यापारियों का स्थानान्तरण

१८०८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोतिया खान दिल्ली के व्यापारियों को अन्यत्र ले जाने का विचार कर रही है ;

(ख) इस का कितने व्यापारियों पर प्रभाव पड़ेगा और उन्हें अन्य कौन सा स्थान दिया जायेगा ;

(ग) सरकार खाली स्थान को किस ढंग से फिर बनाना चाहती है ; और

(घ) क्या यह संभव है कि इन्हीं व्यापारियों को वहां रहने दिया जाये और उस स्थान को व्यवस्थित रूप दे दिया जाये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) जी हां । लेकिन इन व्यापारियों को अन्यत्र ले जाना इस क्षेत्र की पुनर्विकास योजना का दिल्ली प्राधिकार द्वारा अन्तिम रूप दिये जाने तथा उसके सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर निर्भर है । अतः इस क्षेत्र से कितने व्यापारी हटाये जायेंगे और कौनसा स्थान दिया जायेगा, यह ठीक ठीक बतलाना अभी संभव नहीं है ।

(ग) दिल्ली के मास्टर प्लान के प्रारूप में यह सिफारिश की गई है कि इस क्षेत्र में फ्लेट वाली फैक्टरियों बनाई जांय जो जरूरी है कि बहु-मंजिली होंगी और इस प्रकार बनाई जायेंगी कि इनके भीतरी स्थान को विभिन्न आकार के एककों में बांटा जा सके ।

(घ) ऐसा अभिप्राय नहीं है ।

गोहाटी और गोरा पहाड़ियों की कोयला खानों के बीच रेलवे लाइन

†१८०९. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गौहाटी को गारो पहाड़ी की कोयला खानों को रेलवे से मिलाने वाली कोई योजना स्वीकार की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) यह योजना तीसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल नही है ।

देहरादून की वन अनुसंधान संस्था

†१८१०. श्री अरविंद घोषाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घास के छप्परों और ताड़ के पत्तों की छतों की कीड़ों, नष्ट होने तथा आग से बचाने के लिये वन अनुसंधान संस्था देहरादून में कोई परिरक्षण प्रक्रिया विकसित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रक्रिया क्या है और वह कब तक अपना काम करती है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां । वन गवेषणा संस्था देहरादून ने घास के छप्पर और बांस की कीड़ों तथा सड़ने से रोकने के संबंध में कुछ काम किया है । ताड़ के पत्तों को सड़ने तथा कीड़ों से बचाने के संबंध में अभी तक कोई प्रयोग नहीं किये गये हैं । जहां तक घास को आग से बचाने का तात्पर्य है, प्रारम्भिक प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि प्रक्रियापित घास के छप्पर को दबा कर बोर्ड बनाये जा सकते हैं जो कुछ सीमा तक आग का मुकाबला कर सकते हैं । ताड़ के पत्तों के संबंध में ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया गया है ।

(ख) यह प्रक्रिया उपयुक्त रसायनों में मिला कर सम्पन्न की जाती है । छप्पर की घास को दबा कर बोर्ड बना दिये जाते हैं । यह कार्य अभी आरम्भिक अवस्था में है, अतः इस स्थिति में साधित वस्तु के टिकाऊपन के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

रेलवे स्टेशनों पर सहकारी समितियों को ठेके देना

†१८११. श्री यादव नारायण जाधव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे ठेकेदारों अथवा अन्य व्यक्तियों की सहकारी समितियों को रेलवे स्टेशनों में रेस्टोरेंटों, चाय की दुकानों फलों तथा पानों की दुकानों के ठेके दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सहकारी समितियों की संख्या क्या है ; और

(ग) वे किन किन रेलवे स्टेशनों में काम कर रहे हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बन्दरा स्टेशन पर रेलवे का ऊपरी पुल

†१८१२. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजपथ पर बन्दरा रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे का ऊपरी पुल बनाने का विचार है।

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानित लागत क्या आयेगी

(ग) काम कब तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(घ) यह कार्य कब तक समाप्त होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

(ख) रेलवे की सीमा के अन्दर निर्माण कार्य पर लगभग ३१ लाख रुपये ।

(ग) नवम्बर १९६० में आरम्भ हो चुका है।

(घ) योजना के अनुसार यह कार्य ३१—१२—६१ में समाप्त हो जायेगा।

महाराष्ट्र में डाक कर्मचारी तथा डाकखानों की शाखायें

†१८१३. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा पटल पर यह दिखाने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में १ लाख से अधिक जन संख्या वाले कितने नगर हैं ;

(ख) उक्त नगरों में विभिन्न वर्गों के डाक कर्मचारियों की संख्या क्या है;

(ग) इन नगरों में छोटे डाकखानों की क्या संख्या है;

(घ) प्रत्येक नगर में दिन में डाक कितनी बार बंटती है;

(ङ) क्या भालेगांव , जिला नासिक में विभिन्न वर्गों के डाकर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है;

(च) यदि हां, तो कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या किया जा रहा है;

(छ) क्या यह सच है कि नवम्बर १९६० में कर्मचारियों की संख्या का प्रमाणीकरण किया गया था; और

(ज) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सभा पटल पर रखे गये जाते हैं।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(छ) जी हां ।

(ज) पुनरीक्षण के आधार पर दिसम्बर, १९६० और अप्रैल, १९६१ में अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी दी गयी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३१३८/६१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

जापानी कुष्ठ विशेषज्ञ

१८१४. श्री सरजू पांडेय : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी कुष्ठ विशेषज्ञ भारत आ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस रोग की रोक थाम के लिये क्या सुझाव दिये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) (क) जी हां। जापानी विशेषज्ञ २७ मई १९६१ को भारत आ गये हैं।

(ख) उन्होंने अभी कोई सुझाव नहीं दिये हैं।

आम हड़ताल में भाग लेने के कारण रेलवे के निलम्बित कर्मचारी

१८१५. श्री सरजू पांडेय : क्या **रेलवे** मंत्री आम हड़ताल में भाग लेने के कारण रेलवे के निलम्बित कर्मचारियों के बारे में १४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व, दक्षिण-पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के हड़तालियों के सारे मामले निबटा दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें वें रामस्वामी) : (क) और (ख). पिछली आम हड़ताल के सम्बन्ध में इन रेलों पर जो कर्मचारी मुअत्तिल किये गये थे उनमें से निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी के मामले निबटा दिये गये हैं :—

(१) पूर्व रेलवे

विभागीय जांच हो रही है .	२
अदालत में . .	१

(२) दक्षिण-पूर्व रेलवे

विभागीय जांच हो रही है	३*

(३) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

कोई नहीं।

*इन तीनों मामलों में आरोप-पत्र दे दिया गया है, लेकिन 'कारण बताओ नोटिस' जारी होने के बाद कर्मचारियों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया और अदालत ने व्यादेश जारी करके रेल प्रशासन को आगे कार्रवाई करने से रोक दिया है।

1165(Ai)L.S.D.—6.

जलगांव स्टेशन में गाड़ियों की टक्कर

†१८१६. **श्री आसर :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ६ जुलाई १९६१ को भिलाई से आती हुई एक विशेष गाड़ी रायगढ़ के पास जलगांव स्टेशन में एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके फलस्वरूप १२ व्यक्ति घायल हो गये ;

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत विवरण क्या हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष जांच की गई है ;

(घ) यदि हां तो इसका क्या नतीजा निकला है ; और

(ङ) क्या कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). ४-६-१९६१ को ११.३५ बजे दक्षिण पूर्वी रेलवे के हावड़ा नागपुर खंड में अप भिलाई विशेष मालगाड़ी डाउन मैटीरियल गाड़ी से टकरा गई। इस दुर्घटना के फलस्वरूप मैटीरियल गाड़ी के सात श्रमिक आहत हो गये।

(ग) से (ङ). जी हां। ज्येष्ठ अधिकारियों की संयुक्त जांच के अनुसार दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की गलती से हुई। इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

लू का इलाज

†१८१७. **श्री विभूति मिश्र:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष लू से मरने वालों की औसत संख्या क्या है ; और

(ख) क्या सरकार इसके इलाज के लिये कोई सस्ती औषधि उपलब्ध करने पर विचार कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). राज्यों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

पूर्वोत्तर रेलवे में स्थानग्राही कर्मचारियों की कमी

†१८१८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में स्थानग्राही कर्मचारियों की कमी है जिसके कारण कर्मचारियों को स्वीकृत छुट्टियों पर जाने में भी बहुत कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). पूर्वोत्तर रेलवे में थोड़े समय के लिये स्टेशन मास्टरों के वर्ग को छोड़कर, सामान्यतः स्थानापन्न कर्मचारियों की कोई कमी नहीं रही है। केवल विवाहों और फसल के मौके को छोड़ कर, जबकि छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक होती है, सामान्यतः छुट्टियों की व्यवस्था करने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना में केरल के लिये बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†१८१९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ बाढ़ नियंत्रण योजनायें भी शामिल की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो केरल में तीसरी योजना के लिये कितनी राशि रखी गयी है ; और

(ग) प्रस्तावित योजनायें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) तीसरी योजना में, केरल के बाढ़ नियंत्रण के लिये ६१ लाख की राशि रखी गयी है । इसमें समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने की व्यवस्था शामिल नहीं है ;

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०१]** ।

पठानकोट से धर्मनगर तक रेलवे लाइन

†१८२०. **श्री दशरथ देब** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में पाथरकंडी से धरमनगर तक रेलवे लाइन के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : काकलीघाट-धरमनगर रेलवे परियोजना के निर्माण का प्राक्कलन मंजूर हो गया है । मानसून के पश्चात् आगामी काम के मौसम में वास्तविक निर्माण कार्य की आरम्भिक व्यवस्था हाथ में ली जा रही है ।

धर्मनगर और खवाई में डाकघर

†१८२१. **श्री दशरथ देब** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धरमनगर और खवाई में डाकखानों के लिये स्थान अपर्याप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो अच्छे स्थान के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) धरमनगर डाकखाने के लिये स्थान अपर्याप्त है जबकि खवाई डाकखाने की इमारत में पर्याप्त स्थान है ।

(ख) धरमनगर डाकखाने की इमारत के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है । इस सम्बन्ध में आरम्भिक कार्यवाही की जा रही है । खवाई डाकखाने के लिये अधिक अच्छे स्थान को ढूंढ़ने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनीपुर में मत्स्य पालन का विकास

†१८२२. **श्री ल० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर की प्राकृतिक झीलों को मत्स्य पालन के विकास के लिए विकसित किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १९६०–६१ और १९६१–६२ में मत्स्य पालन के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितनी योजनायें क्रियान्वित की गई ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां ।

(ख)		१९६०–६१	१९६१–६२
स्वीकृत राशि	. .	१.०१ लाख	१.१८ लाख
योजनायें स्वीकृत हुईं	(१) मछली फार्म		फ्राई मछली वितरण योजना
	(२) फ्राई मछली का निशुल्क वितरण		मत्स्य पालन विस्तार योजना
	(३) मछली कार्यालय की स्थापना		गैर-सरकारी मत्स्य पालक को सहायता ।
	(४) सामुदायिक विकास खंडों में अग्रिम परियोजनायें		
राशि व्यय हुई	१.०१ लाख		३३,२८१ रुपये (जून के अन्त तक)

मनीपुर में छोटी मछलियां

†**१८२३. श्री ल० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में मनीपुर में कितनी छोटी मछलियों का आयात किया गया ;

(ख) नदियों तथा घाटियों में कुल कितनी मछलियां दी गई ; और

(ग) मनीपुर में छोटी मछलियों की वृद्धि सफलतापूर्वक हो रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) २०,३५० ।

(ख) घाटियों और पहाड़ियों में क्रमशः ७२,२१६ और ११,३०० मछलियां बांटी गईं ।

(ग) जी हां ।

मनीपुर के सब-डिवीजनों में अकाल

†**१८२४. श्री ल० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के जिरिबम और चूड़ाचांदपुर सब-डिविजनों में अभी भी अकाल की स्थिति है ; और

(ख) यदि हां, इन क्षेत्रों में चावल का वितरण करने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). चूड़ाचांदपुर और जिरिबम सब-डिवीजनों में खुले बाजार में खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजसहायता देकर आवश्यक मात्रा में चावल की राशि संभरित करने तथा उन क्षेत्रों में कृषि ऋण देने की कार्यवाही की जा रही है ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान

†१८२५. { **श्री बहादुर सिंह :**
श्री नेक राम नेगी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ की प्रथम छमाही में कारपोरेशन ने कुल कितने नये विमान प्राप्त किये ;

(ख) कितने फोकर फ्रेंडशिप और कितने वाइकाउन्ट विमान प्राप्त किये गये ;

(ग) अमेरिका से वाइकाउन्टों के आने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इन विमानों के आ जाने के बाद समस्त राज्यों की राजधानियों का दिल्ली से सम्पर्क हो जायेगा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). केवल ५ फोकर फ्रेंडशिप ।

(ग) निगम के मई १९६१ में दो पुराने वाइकाउन्टों के लिये समझौता किया था । वे अगस्त, १९६१ के अन्त तक प्राप्त हो जायेंगे ।

(घ) शिलांग को छोड़ कर समस्त राज्यों की राजधानियों का दिल्ली से विमान द्वारा सम्पर्क है । शिलांग में कोई हवाई अड्डा नहीं है । तथापि वहां का निकटतम हवाई अड्डा गौहाटी से कलकत्ता को सप्ताह में १४ बार विमान जाते हैं जब कि कलकत्ता से दिल्ली को सप्ताह में २५ बार विमान जाते हैं ।

इंजन डिब्बों आदि की मांग

†१८२६. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक इंजिन डिब्बे आदि यथा भाप के इंजिन, लकड़ी तथा इस्पात के सवारी डिब्बे व माल-डिब्बे इत्यादि की वार्षिक आवश्यकता क्या है तथा इनका वार्षिक उत्पादन कितना है ?

(ख) क्या इन मदों के सम्बन्ध में भारत आत्मनिर्भर हो गया है ; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में इनमें से प्रत्येक वस्तु का कितना आयात किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी)** : (क) भाप के इंजिनों, सवारी डिब्बों और मालडिब्बों की औसत वार्षिक आवश्यकता इस प्रकार है :

भाप के इंजिन	२३९
सवारी डिब्बे	१७००
माल डिब्बे . . .	३०५००

†मूल अंग्रेजी में

आशा है वार्षिक उत्पादन से देश के इंजिन डिब्बों की वार्षिक आवश्यकता पूरी हो जायेगी।

(ख) जी हां।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०२]**

नागार्जुन सागर परियोजना के लिये सीमेंट

†१८२७. **श्री रामी रेड्डी :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की कमी के कारण नागार्जुन सागर परियोजना की प्रगति में धक्का पहुंचा है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक प्रगति में रुकावट हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). सीमेंट की कमी के कारण नागार्जुन सागर परियोजना के कार्य में कोई अधिक रुकावट नहीं पहुंची है।

(ग) इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि परियोजना के लिये आवश्यक सीमेंट उपलब्ध हो सके।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, में एक्सरे संयंत्र

†१८२८. **श्री आसर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के चार एक्सरे संयंत्रों में से २ संयंत्र पिछले कई महीनों से खराब हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) संयंत्रों को चालू करने में विलम्ब का क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि इससे रोगियों को बहुत दिक्कत हो रही है; और

(ङ) क्या रोगियों की कठिनाई दूर करने की कोई अन्य व्यवस्था की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). नये एक्स-रे विभाग में जो तीन एक्स रे संयंत्र लगाये गये थे, उनको अस्पताल के सब स्टेशन से ही बिजली दी जाती है। उन में से एक मशीन खराब हो गयी। उसकी मरम्मत दिल्ली में नहीं हो सकी। उसके कुछ हिस्सों को कलकत्ता में मैसर्स फिलिप के कारखाने में भेजना पड़ा।

दूसरी मशीन जो खराब हो गई है वह पुराने एक्सरे विभाग में लगाई गई थी। मशीन अच्छी अवस्था में है तथापि बिजली की शक्ति कम होने से वह अच्छी तरह काम नहीं कर सकती है। इस खराबी को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) जी नहीं। किसी भी अत्यावश्यक अथवा अविलम्बनीय मामले में इन्कार नहीं किया गया है

(ङ) अस्पताल में बिजली का एक और सब-स्टेशन खोला जा रहा है। आशा की जाती है कि निकट भविष्य में बिजली के मामले में अस्पताल आत्मनिर्भर हो जायेगा। एक नयी एक्सरे मशीन लगायी जा रही है जिससे इस दिशा में पर्याप्त सुधार हो जायेगा।

कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन में अधिक भीड़भाड़

†१८२९. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा जिला तथा हिमाचल प्रदेश की जनता द्वारा कई बार मांग किये जाने के बावजूद भी कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन में अधिक भीड़भाड़ को कम करने के शिए रेलवे ने कोई कार्यवाही नहीं की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गाड़ियों में तथा स्टेशनों पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और जो व्यवस्था है वह बहुत ही अपर्याप्त है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) पठानकोट–बैजनाथ-पपरोला–जोगेन्द्र-नगर सेक्शन पर दोनों तरफ से चलने वाली तीन गाड़ियों में से केवल एक गाड़ी अर्थात् ३ पी० बी० जे० अप में, जो ८ बजकर ३५ मिनट पर पठानकोट से जोगेन्द्र नगर के लिए रवाना होती है, थोड़ी सी भीड़-भाड़ होती है। इस गाड़ी में सवारी व माल दोनों तरह के डिब्बे होते हैं और आदेश दे दिये गये हैं कि जहां तक संभव हो इस गाड़ी में माल के डिब्बे न लगाये जाया करें।

(ख) और (ग). कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन में गाड़ियों पर तथा स्टेशनों पर पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

स्टेशनों पर पीने के पानी की टंकियां हैं। अप और डाउन दोनों गाड़ियों तथा शंटिंग करने वाली माल गाड़ियों में भी पानी की टंकियां रहती हैं, जिनके द्वारा स्टेशनों की टंकियां भरी जाती हैं। कुछ स्टेशनों पर पानी साफ करने की मशीनें भी हैं। कुछ स्टेशनों पर प्राकृतिक साधनों से पानी का प्रबन्ध किया जाता है।

गर्मी के दिनों में गाड़ियों में दो पानी वाले चलते है, जो मटकों में काफी पानी रखते हैं। ये पानी वाले हर यात्री गाड़ी में चलते हैं।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

१८३०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय तथा उस से संलग्न कार्यालयों में कुल कितने अनुभाग हैं और उन में कितने ऐसे हैं जिन में हिन्दी जानने वाले बहुसंख्या में हैं; और

(ख) कितने अनुभागों को हिन्दी में टिप्पण और पत्रों के प्रारूप लिखने की अनुमति दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) (१) १०२।

(२) २६।

(ख) हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तरों को छोड़कर, इस समय सभी अनुभागों में अंग्रेजी में ही टिप्पण और पत्रों के प्रारूप लिखे जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी में तार

१८३१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी, जालोन, हमीरपुर और बांदा जिलों में इस समय कितने डाक-घर ऐसे हैं जिन में तार और टेलीफोन की सुविधायें उपलब्ध हैं; और

(ख) क्या वहां के सभी डाक-घरों में हिन्दी में तार लिये जाते हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क)

ज़िले का नाम	उन डाकघरों की संख्या जिनमें तार और टेलीफोन दोनों सुविधायें उपलब्ध हैं	उन डाकघरों की संख्या जिनमें केवल तार-सुविधा उपलब्ध है
झांसी	११	९
जालौन	४	४
हमीरपुर	६	३
बांदा	८	२
कुल	२९	१८

(ख) ४७ तारघरों में से सोलह देवनागरी लिपि में तार स्वीकार करते हैं ।

पोरबन्दर-राजकोट राष्ट्रीय राज मार्ग

१८३२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राज-मार्ग जो पोरबन्दर से राजकोट तक बनाई जाने वाली है, के काम में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह प्रगति निश्चित कार्यक्रम के अनुसार है;

(ग) इस पर सरकार को कितना व्यय करना पड़ेगा; और

(घ) यह कब तक तैयार हो जायेगी ?

परिवहन तथा संचार मत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिस में मांगी गयी सूचना दी हुई है.।

(ख) जी, हां ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में लगभग २८,०० लाख रुपये ।

(घ) यह सड़क वडाल और भदार नदियों के पुलों को छोड़ कर १९६२ के अन्त तक तैयार हो जायेगी।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८बी में पोरबन्दर से राजकोट तक की सड़क के निर्माण कार्य की प्रगति निम्नलिखित है :—

(१) पोरबन्दर से कुटियाना तक का भाग (२३ मील)

यहां मैकडम डाल कर पानी से कुटी हुई सड़क है। इस पर तारकोल बिछाया जा रहा है। मिनसर नदी पर (पोरबन्दर से २५ मील दूर) पुल के निर्माण की भी स्वीकृति दी जा चुकी है और यह निर्माण कार्य चालू है।

(२) कुटियाना से उपलेटा तक का भाग (२३ मील)

यहां मैकडम डाल कर पानी से कुटी हुई एक गाड़ी चलने लायक सड़क है। इस के सुधार व इस पर तारकोल बिछाने का काम चालू है। प्रदेश सरकार द्वारा वडाल नदी पर पुल-निर्माण कार्य का तख्मीना अभी तय नहीं किया गया है। फिर भी धनाभाव के कारण यह निर्माणकार्य तीसरी पंच-वर्षीय आयोजना में सम्मिलित नहीं है।

(३) उपलेटा से जेतपुर तक का भाग (२२ मील)

यहां मैकडम डाल कर पानी से कुटी हुई सड़क है और इस पर पर्याप्त पुल बने हुए हैं। इस पर रोड़ी डालने व तारकोल बिछाने का काम हो रहा है।

(४) जेतपुर से गोंडल तक का भाग (१९ मील)

यहां मैकडम डाल कर पानी से कुटी हुई सड़क है। यहां लम्बाई के बल आधी सीमेंट-कंकरीट व आधी एसफाल्ट की दो गाड़ियों के चलने लायक सड़क बनाने का काम चालू है। प्रदेश सरकार द्वारा भदार नदी पर पुल के निर्माण का तख्मीना अभी तक तय नहीं किया गया है। फिर भी यह निर्माण-कार्य धनाभाव के कारण तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित नहीं है।

(५) गोंडल से रिबदा व रिबदा से राजकोट तक का भाग (२३ मील)

यहां पूरी पक्की सड़क है जिस पर पर्याप्त पुल बने हुए हैं। इसे अंशतः सीमेंट कंकरीट व बाकी तारकोल से बनाया गया है।

कृषि और पशु पालन बोर्ड

१८३३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कृषि और पशुपालन बोर्ड के फसल और मिट्टी विभाग की कोई बैठक हुई है; और

(ख) यदि हां, तो बैठक की किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

मालियों का पाठ्यक्रम

†१८३४. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालियों के पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति देने हेतु १९६०–६१ में पंजाब सरकार को कितना धन दिया गया और १९६१–६२ में कितना धन देने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि मालियों को पाठ्यक्रम की अवधि ६ महीने से बढ़ाकर १ वर्ष कर दी गयी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाब के पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों के गरीब लोगों के लिए ३० रु० मासिक छात्रवृत्ति की राशि बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस राशि को बढ़ाकर ५० रु० मासिक करना चाहती है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) मालियों की ट्रेनिंग की योजना के लिए १९६०–६१ में पंजाब सरकार को भारत सरकार ने २०, २०० रु० की राशि का अनुदान दिया । चालू वर्ष में राज्य की योजना के अधीन कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम के अनुसार वित्तीय सहायता देने का विचार नहीं है बल्कि विकास की मदों के अनुसार सहायता देने का विचार है, जैसे कृषि उत्पादन के लिए, जिसमें मालियों की ट्रेनिंग की योजना भी सम्मिलित है ।

(ख) जी हां ।

(ग) सम्पूर्ण भारत में ३० मासिक की छात्रवृत्ति की ही दर है, इसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्र के छात्र भी सम्मिलित हैं । छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव किसी भी राज्य सरकार ने नहीं रखा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

वन अनुसंधान संस्था, देहरादून

†१८३५. { **श्री सुगन्धि** :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन अनुसन्धान संस्था, देहरादून ने कुटीर उद्योग स्तर पर कपूर बनाने का कोई यंत्र तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ;

(ग) इसके लिए कौन-सा कच्चा माल चाहिए ; और

(घ) ऐसे कारखाने के एक एकक की अनुमानित लागत क्या होगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) जी हां ।

(ख) इस यंत्र में मूलत: ४५ गैलन का एक खाली पीपा होता है, जिसे कुछ सुधार करके स्रवण के काम लाया जाता है । इसको एक दोहरी सतह वाले कन्डेन्सर से मिला दिया जाता है इसका ब्यौरा इण्डियन फारेस्ट बुलेटिन संख्या २१० में दिया हुआ है । यह प्रकाशन मैनेजर आफ पब्लिकेशन, दिल्ली से लिया जा सकता है । ऐसे तीन यंत्रों की बैटरी एक व्यक्ति चला सकता है

†मूल अंग्रेजी में

और इनमें ३६० पौण्ड कच्चा माल प्रतिदिन लगता है और इसमें १२ पौण्ड कपूर व तैल पैदा होता है, जिसमें से लगभग आधा कपूर होता है ।

(ग) इसके लिए एक प्रकार की विदेशी पत्ती--**आसीमम** (**किलीमण्डशकरिकम** गोयेरिका) की आवश्यकता होती है ।

(घ) ५०० में ऐसे तीन यंत्र लगाये जा सकते हैं ।

खाद्यान्नों का व्यापार

†१८३६. **श्री झूलन सिंह**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत ५ वर्षों में आयात किये गये तथा देश के भीतर समाहार किये गये खाद्यान्नों व्यापार में प्रतिवर्ष कितना घाटा हुआ ; और

(ख) इस प्रकार के घाटे को यदि पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, तो उसे कम से कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) १९५६–५७ से १९६०–६१ के बीच खाद्यान्नों के विक्रय में कितना घाटा रहा, इसका विवरण नीचे दिया जाता है :

वर्ष	हानि (रुपये में)
१९५६–५७ . . .	१८.४८
१९५७–५८ . . .	२३.०८
१९५८–५९	१०.२२
१९५९–६० . . .	८.८२
१९६०–६१	५.७७ (अनुमानतः क्यों कि अभी लेखा जोखा पूरा बन नहीं पाया है)

इस समय गेहूं के विक्रय में कोई घाटा नहीं है । घाटा मुख्यतः चावल के विक्रय में है ।

(ख) या तो क्रय-मूल्य को कम करके या विक्रय मूल्य को बढ़ा कर घाटे को कम किया जा सकता है । जहां तक आयात किये जाने वाले खाद्यान्नों का संबंध है, कम से कम मूल्य पर क्रय करने का प्रयत्न किया जाता है । जहां तक देश के भीतर समाहार किये जाने वाले चावल का संबंध है, इसका मूल्य उत्पादकों के हित को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है और उसे कम नहीं किया जा सकता । यदि घाटे को कम करने के लिए विक्रय-मूल्य में कोई वृद्धि की गयी, तो इससे सरकार का वह प्रयोजन ही नष्ट हो जायेगा, जिसके लिए उसने खाद्यान्नों के क्रय तथा वितरण का कार्य अपने हाथ में लिया है ।

दिल्ली में नजफगढ़ झील

१८३७. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की नजफ़गढ़ झील के पानी को निकालने के लिये बनाई गई योजना को कहां तक कार्यान्वित किया जा चुका है ; और

†[मूल अंग्रेजी में]

(ख) उससे ग्रामीणों को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) यह योजना तीन भागों में कार्यान्वित की जानी है अर्थात् (१) तालाब की धरातल में डीसिल्टिंग और ककुद को हटाना (२) जमना तक नाले का रीग्रेडिंग और रीसेक्शनिंग करना (३) नजफ़गढ़, पालम और अन्य ग्रामीण नालों का रीमोडलिंग करना जिनका अनुमानित व्यय १.४८ लाख रुपये, ७६.२० लाख रुपये और २५ लाख रुपये है । पहला भाग पूरा हो चुका है और दूसरे भाग का काम चल रहा है, अब तक इस पर १२.७४ लाख रुपये का व्यय किया गया है ।

(ख) रबी फसलों के बोने के लिए झील क्षेत्र के आस पास की लगभग १२००० एकड़ भूमि उपलब्ध होने की सम्भावना है ।

दिल्ली रेलवे स्टेशन में सुधार के लिये सुझाव

१८३८. श्री नवल प्रभाकर : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति ने दिल्ली के रेलवे स्टेशन में सुधार करने या परिवर्धन करने के लिये १९६०–६१ में क्या सुझाव दिये हैं ; और

(ख) उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). एक ब्यान साथ नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०३]**

दिल्ली में बागबानी

१८३९. श्री नवल प्रभाकर : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बागबानी के लिये निर्धारित किये गये लक्ष्य पुरे हो गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री डा० प० शा० देशमुख): (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में निधारित लक्ष्य और वास्तविक रूप में प्राप्त परिणाम नीचे दिये गये हैं ।

	लक्ष्य	प्राप्ति
(१) नये फल बाग लगाना .	७०० एकड़	६४२ एकड़
(२) पुराने बगीचों को पुनर्जीवित करना .	३०० एकड़	२९५ एकड़
(३) मालियों को प्रशिक्षण . .	४०	४०
(४) फल परीक्षण में गृहणियों को प्रशिक्षण .	१०८०	६३८

(ख) ऊपर दिखाई हुई कमी का कारण यह था कि एक योग्यता प्राप्त बागबानी विकास अफसर और तकनीकी स्टाफ १९५८–५९ के मध्य से पहले उपलब्ध नहीं थे और इस के अलावा बागबानी विकास अफसर ने उत्तर-प्रदेश में एक उच्च पद की प्राप्ति के कारण यह पद छोड़ दिया ।

दिल्ली में फल परिरक्षण

१८४०. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में फल परिरक्षण के लिये गृहणियों को प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत १९६०–६१ में कितनी गृहणियों को प्रशिक्षण दिया गया ; और

(ख) प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) २२६ ।

(ख) छः सप्ताह ।

दिल्ली में परिवार नियोजन

१८४१. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के ग्रामीणों को परिवार नियोजन का प्रशिक्षण देने के लिये जून १९६१ में एक शिविर लगाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). जी हां। जून १९६१ में दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली परिवार नियोजन संघ द्वारा बादली ग्राम (दिल्ली) में एक परिवार नियोजन अनुस्थापन प्रशिक्षण शिविर लगाया। विकास आयुक्त और अलीपुर खंड के खण्ड विकास अधिकारी दोनों ने इस शिविर में भाग लिया और खण्ड विकास समिति की सामाजिक शिक्षण-सह-परिवार नियोजन उप-समिति ने इस शिविर का कार्यक्रम चलाया। दिल्ली प्रशासन ने इस शिविर में काम करने के लिये अपने सामाजिक शिक्षा कर्मचारियों को नियुक्त कर अपना सहयोग प्रदान किया।

इस शिविर में २१ गांवों के प्रतनिधि के रूप में आये हुए ४५ स्वयंसेवकों ने भाग लिया। परिवार नियोजन के विभिन्न पहलुओं पर १९ वार्तायें, परिवार नियोजन विषयक एक प्रदर्शनी, वन्ध्यकरण पर पेनल चर्चा, परिवार नियोजन पर संगोष्ठी और परिवार नियोजन कार्य करने वाले दो मातृ और शिशु कल्यांण केन्द्रों में जाना, इस शिविर के कार्यक्रम में सम्मिलित हैं।

ब्रिटिश और भारतीय डाक्टरों के बीच क्षय रोग पर चर्चा

†१८४२. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २३ अप्रैल १९६१ को रेडियो पर क्या भारतीय तथा ब्रिटिश डाक्टरों ने क्षय रोग की समस्या पर चर्चा की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अधीन किन-किन मामलों पर चर्चा की गयी ;

(ग) इस पर कितना खर्च हुआ और दोनों देशों के बीच यह खर्च किस प्रकार बांटा गया ; और

(घ) क्या अन्य महत्वपूर्ण देशों के साथ भी ऐसा संबंध स्थापित करने की कोई योजना है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने इस चर्चा का आयोजन किया था।

(ख) क्षय रोग के संबंध में भारत पर लागू होने वाले निवारक तथा इलाज संबंधी पहलुओं पर चर्चा की गयी।

(ग) कोई खर्च नहीं हुआ। अत: दोनों देशों के खर्च बांटने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) महाराष्ट्र सरकार भविष्य में 'मधुमेह' के संबंध में जर्मनी के साथ तथा 'कैंसर' के संबंध में अमरीका के साथ ऐसी चर्चाओं का आयोजन करना चाहती है।

भुवनेश्वर में डाक-तार विभाग की बस्ती

†१८४३. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई राजधानी भुवनेश्वर में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को रहने के स्थान की कठिनाई है ;

(ख) क्या उड़ीसा की राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए एक बस्ती बनाने हेतु कोई जगह दी है ; और

(ग) यदि हां, तो बस्ती के निर्माण के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) से (ग). १२ एकड़ भूमि उड़ीसा सरकार से ली जा चुकी है। प्रस्तावित बस्ती के लिये नक्शे आदि बनाने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पठानकोट रेलवे स्टेशन

†१८४४. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट रेलवे स्टेशन पर पर्यटकों का आवागमन बहुत बढ़ गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर केवल १० बोगियों को खड़ा करने का स्थान है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पर्यटन के मौसम में वहां प्रतिदिन ३० से ३५ तक बोगियां वहां आती हैं और पर्यटकों को बड़ी कठिनाई होती है ; तथा

(घ) उक्त स्टेशन पर पर्यटकों के लिये एक शेड बनवाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) पर्यटकों की गाड़ियों को खड़ा करने के लिये कोई अलग प्लेटफार्म नहीं है। इस समय उन्हें साइडिंग में खड़ा किया जाता है और समय समय पर उनमें पानी भरने तथा उन्हें साफ करने आदि के लिए प्लेटफार्म पर लाया जाता है ;

(ग) जी हां, मई और जून के महीने में प्रति वर्ष उन लोगों को कठिनाई उठानी पड़ती है, जो डिब्बों में रहते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) एक पर्यटक प्लेटफार्म, जिस पर पर्याप्त सुविधायें होंगी, बनाया जा रहा है और शीघ्र ही उसके बन जाने की आशा है ।

कल्याण से बम्बई को जाने वाली लोकल गाड़ियां

†१८४५. **श्री अख्तर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के उपनगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत बढ़ जाने तथा वहां बहुत से उद्योगों के खुल जाने के कारण कल्याण से बम्बई वी० टी० स्टेशन तक लोकल गाड़ियों के लिए दो और लाइनें बनाने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दो और लाइनें बनवाने का निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में नाराज तथा टीकरपाड़ा बांध

†१८४६. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की महानदी पर नाराज तथा टीकरपाड़ा बांधों के निर्माण का काम तीसरी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) यह मामला राज्य सरकार के सामने विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) राज्य सरकार ने एक बाढ़ जांच समिति नियुक्त कर दी है, जो कि राज्य की बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन कर रही है । इस समिति की रिपोर्ट आ जाने के बाद महानदी पर हीराकुण्ड से नीचे बहाव की ओर कोई जलाशय बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार करेगी ।

जबलपुर के निकट गाड़ियों की टक्कर

†१८४७. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ जून १९६१ को जबलपुर स्टेशन के निकट कोई रेल दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी जांच की जा रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जांच का परिणाम क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां, २६–६–१९६१ को जबलपुर में दो इंजनों की टक्कर हो गई ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह दुर्घटना किसी मनुष्य की गलती के कारण हुई ?

उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण

†१८४८. { **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार के साथ बाढ़ नियन्त्रण की किन्हीं नई योजनाओं पर चर्चा की गयी है; और

(ख) उड़ीसा में बाढ़ नियन्त्रण के लिये तीसरी योजना में कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है और चालू वर्ष में कौनसी योजनायें ली गई हैं ।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) उड़ीसा की बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिये तीसरी योजना में २५०.० लाख रु० की व्यवस्था की गयी है । चालू वित्तीय वर्ष में कोई नई योजना शुरू नहीं की गयी है ।

स्टेशन का नव निर्माण

†१८४९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे की भटिंडा-हिन्दूमाल कोट लाइन के किसी स्टेशन के नव निर्माण (रीमोड-लिंग) की क्या कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो काम कब शुरू होगा और उस पर कितना धन खर्च होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). जी हां । ३१,१६५ रु० की धनराशि खर्च करके किलावाली में एक नई रेलवे इमारत बनाने का विचार है । प्राक्कलन स्वीकृत हो गया है और काम शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा ।

गाड़ियों का देर से आना-जाना

†१८५०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में दिल्ली जंक्शन स्टेशन से मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियां कितने दिनों देर से छूटीं ;

(ख) कम से कम और अधिक से अधिक कितनी देर से छूटीं; और

(ग) दिल्ली जंक्शन स्टेशन से ठीक समय पर गाड़ियां छोड़ने के लिये क्या उपाय किये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) १९६१–६२ में (१५–८–६१ तक) दिल्ली से बन कर चलने वाली ३३९६ मेल-एक्सप्रेस गाड़ियों में से ३९३ या ११.७ प्रतिशत गाड़ियां देर से छूटीं ।

(ख) कम से कम देरी — ७ मिनट; अधिक से अधिक देरी — ३२५ मिनट

(ग) दिल्ली जंक्शन स्टेशन से गाड़ियां (मेल/एक्सप्रेस) ठीक समय पर छूटें, इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन ध्यान दे रहा है । चूंकि दिल्ली मेन स्टेशन पर बहुत अधिक गाड़ियां आती-जाती हैं और उनके आने-जाने के लिये सीमित सुविधायें हैं, अतः यदा कदा किसी न किसी कारण से गाड़ियां देर से छूटती हैं । परन्तु महत्वपूर्ण गाड़ियां दिल्ली मेन स्टेशन से देर से न छूटें, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(१) बड़ी लाइन के कुछ और प्लेटफार्म बना दिये गये हैं ।

(२) गाड़ियों को ठहराने तथा छोड़ने के लिये और डिब्बों को खड़ा करने के लिये अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है और आशा है कि नवम्बर, १९६१ तक उनका उपयोग होने लगेगा ।

(३) (दिल्ली-गाजियाबाद सेक्शन पर मध्यवर्ती ब्लाक सिगनलों तथा दिल्ली-सब्जी मण्डी, दिल्ली-दिल्ली किशनगंज, तथा दिल्ली-नई दिल्ली पर ट्रैक सरकिट जैसे कुछ उपाय काम में लाये जाते हैं, जिससे गाड़ियों के रवाना होने में देर न होने पाये ।

फिरोज़पुर जंक्शन स्टेशन पर शिकायतें

†१८५१. सरदार इकबाल सिंह : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में फिरोजपुर जंक्शन स्टेशन पर शिकायत की किताब में कितनी शिकायतें तथा किस-किस प्रकार की शिकायतें दर्ज की गयीं; और

(ख) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री स० व० रामस्वामी) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध सख्या १०४]

सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति

†१८५२. सरदार इकबाल सिंह : क्या परिवहन तथा सचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति की किन्हीं सिफारिशों को अभी तक विभिन्न राज्य सरकारों ने कार्यान्वित किया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने किन सिफारिशों को कार्यान्वित किया है और किस सीमा तक ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) और (ख). मांगी गई जानकारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर तुरन्त सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में तापीय संयंत्र

†१८५३. सरदार इकबाल सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंजाब में तापीय संयंत्र बनाने के लिये आवश्यक वित्तीय स्वीकृति दे दी गयी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस तापीय संयंत्र के निर्माण कार्य के लिये १९६१-६२ में पंजाब सरकार को कितनी राशि स्वीकृत की गयी; और

(ग) क्या विदेशी फर्मों द्वारा भेजे गये टेंडरों पर अब तक विचार कर लिया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). पंजाब की तीसरी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित तापीय तथा डीजल संयंत्रों की योजनाओं का उपबन्ध है :

१. दिल्ली में तापीय बिजली स्टेशन (५०/६० मैगावाट)

२. फरीदाबाद में तापीय बिजली स्टेशन (१५ मैगावाट)

३. डीजल बिजली स्टेशन (१० मैगावाट)

किसी योजना के योजना आयोग द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उसकी वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। १९६१-६२ के आय-व्ययक में पंजाब में डीजल/स्टीम तापीय संयंत्र बनाने के लिये ४६ लाख रु० का और पंजाब की ओर से दिल्ली में स्टीम संयंत्र बनाने के लिये १३ लाख रु० का उपबन्ध किया गया है।

(ग) फरीदाबाद के तापीय बिजली स्टेशन (१५ मैगावाट) तथा १० मैगावाट के डीजल बिजली स्टेशन के टेंडरों की छानबीन की जा रही है। ५०/६० मैगावाट के तापीय संयंत्र के टर्बो-आलटरनेटरों की नाप अमरीका में भाव मांगने के लिये इण्डियन सप्लाई मिशन वाशिंगटन को भेज दी गयी है और बायलर भारत में मेसर्स ए० वी० बी० से लिये जायेंगे।

राज्यों में सड़क परिवहन सेवायें

†**१८५४. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में मार्च १९६१ तक कुल कितने मील में सड़क परिवहन सेवायें थी (राज्य-वार)

(ख) इन राज्यों में मार्च, १९६१ तक इन राज्यों में कुल कितने मील में राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन सेवा थी; और

(ग) १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन सेवाओं से प्रति वर्ष कितनी आय हुई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (ग). मांगी गयी जानकारी राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्रों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में बत्तख पालने की योजना

†**१८५५. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में बत्तख पालने की योजना से अब तक क्या परिणाम निकले ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक किये गये अध्ययन के आधार पर खाकी बत्तखों के अंडों की उर्वरता और योग्यता पंजाब की जलवायु में देसी बत्तखों के अंडों की उर्वरता और योग्यता की तुलना में कैसी है ; और

(ग) इस योजना के लिये भारत सरकार अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अब तक कुल कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) और (ख). पंजाब में बत्तखें अधिक बढ़ाने के क्षेत्र पर विचार करने की योजना मार्च १९६० से लागू हुई । उस की वार्षिक रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है । जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) पांच वर्ष की अवधि में जिस के लिये यह योजना स्वीकृत हुई है उस के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का अंश ३३,४७० रुपये होगा ।

पंजाब में चीनी के कारखाने

†१८५६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब (जिलेवार) में गैर-सरकारी तथा सहकारी चीनी के कारखाने कितने हैं और इस समय उन में प्रत्येक की गन्ना पेरने की क्षमता कितनी है ; और

(ख) वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में वास्तव में कितनी क्षमता का उपयोग किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) मांगी गई जानकारी का विवरण नीचे दिया जाता है :—

विवरण

क्रमांक	कारखाने का नाम	जिला	औसत क्षमता (१९६०-६१ के मौसम में प्रति २४ घंटे में पेरे गये गन्ने
क—गैर सरकारी कारखाने			(टनों में)
१	सरस्वती शुगर मिल्स, यमुनानगर . .	अम्बाला	३३७३
२	जगतजीत शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, फगवाड़ा . .	कपूरथला	९९९
३	मालवा शुगर मिल्स लिमिटेड, धूरी .	संगरूर	९३०
ख—सहकारी कारखाने			
४	दी हरयाना कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, रोहतक	रोहतक	११५६
५	दी जनता कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, भोगपुर	जलन्धर	११५१
६	दी पानीपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड, पानीपत	करनाल	१२२७

(ख) पूरी क्षमता का उपयोग किया गया था ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

†१८५७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार १९६१-६२ में पंजाब में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर कितना खर्च करना चाहती है ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस पर पंजाब में कुल कितनी रकम खर्च की गई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) १९६१-६२ में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा १९६१-६२ में मलेरिया निवारण पर १०९.११ लाख रुपये खर्च किये जाने की संभावना है।

(ख) २२९.२२ लाख रुपये ।

पंजाब में बीज फार्म

†१८५८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में पंजाब सरकार को बीज फार्म स्थापित करने के लिये कुल कितनी रकम दी गई ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: १९५८-५९ में आरम्भ की गई प्रक्रिया के अनुसार एक योजना नहीं बल्कि कृषि योजनाओं के समूह के लिये केन्द्रीय सहायता राज्य सरकारों को बताई जाती है और प्रत्येक समूह पर किये गये खर्च के अनुसार प्रति वर्ष रकम दी जाती है। अतः पंजाब सरकार को १९५९-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ के लिये पंजाब सरकार को बीज के फार्म खोलने के लिये दी गई रकम की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

पंजाब में छोटी सिंचाई परियोजनायें

†१८५९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के पास १९६१-६२ के लिये पंजाब सरकार से छोटी सिंचाई परियोजनाओं की कोई नई योजना आई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन के क्या नाम हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) नहीं । १९५८-५९ में आरम्भ की गई पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार अलग अलग योजनाओं का ब्यौरा राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार के पास नहीं भेजा जाता बल्कि उन की वार्षिक योजनाओं के मोटे मोटे योजनासमूह पेश किये जाते हैं और इन समूहों पर खर्च अधिकतम सीमा से आगे न बढ़े इसे ध्यान में रखते हुए यह काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है कि वे अलग अलग योजनाओं का विवरण तैयार कर लें ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब को दिये गये गेहूं का परिमाण

†१८६०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८, १९५९ और १९६० में केन्द्र द्वारा पंजाब को वर्षवार कितना गेहूं दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : १९५८, १९५९ और १९६० में केन्द्र द्वारा पंजाब को १२,६००, १,३९,७०० और ४९,२०० मीट्रिक टन गेहूं दिया गया।

धान और चावल का फालतू स्टाक

†१८६१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार खरीफ वर्ष १९६० के धान और चावल का फालतू स्टाक बेच रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितना स्टाक बेचा गया ; और

(ग) क्या यह स्टाक उत्तरी ज़ोन से बाहर के ख़रीदारों को बेचे गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग). पंगाब सरकार १९६० की फसल का कोई धान या चावल अपने खाते में नही खरीद रही है। वह भारत सरकार की ओर से खरीद रही है। अब तक १.६ लाख टन चावल खरीदे गये हैं और केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार उसे स्थानीय भण्डारों में रखा गया है या केन्द्रीय रिजर्व डिपो में भेजा गया है अथवा जिन राज्यों में कमी है वहां भेजा गया है।

उत्तर रेलवे पर स्टेशनों के नामों में परिवर्तन

१८६२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के कुछ स्टेशनों के नाम हाल ही में बदले गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन के नाम नये नामों सहित क्या हैं ?

†**रेलवे उपमत्री (श्री स० व० रामस्वामी)** : (क) हां, सिर्फ एक।

(ख) १९६१ में विनय नगर स्टेशन का नाम १-७-६१ से सरोजिनी नगर स्टेशन रखा गया।

पंजाब में ग्लाईडिंग क्लब

†१८६३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा सचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में एक ग्लाइडिंग क्लब आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) जी हां। चंडीगढ़ में ग्लाइडिंग क्लब बनाने का प्रस्ताव पंजाब सरकार के विचाराधीन है।

(ख) पंजाब सरकार को आर्थिक सहायता योजना की एक प्रति दी गई है जिस में बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार से अनदान लेने के योग्य बनने से पहले ग्लाइडिंग क्लब को क्या क्या बातें पूरी करनी होती हैं। राज्य सरकार ग्लाईडिंग के लिये विश्वविद्यालय क्षेत्र के पास स्थान चुनने की कार्यवाही कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में बाढ़

†१८६४. { **श्री जीन चन्द्रन :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री कुन्हन :
श्री वारियर : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही की बाढ़ में परियार बान्ध के शटरों को बिना पूर्व सूचना के बन्द करने के बारे में केरल सरकार ने मद्रास राज्य को जो शिकायत की क्या वह सरकार को विदित है ; और

(ख) इस बात को देखते हुए कि दक्षिण के राज्यों अर्थात्, केरल, मद्रास, और मैसूर में सभी नदियों में बहुत अधिक बाढ़ आई और ये नदियां इन सभी राज्यों में से गुजरती हैं सरकार ने भविष्य में राज्यों की गतिविधियों का समन्वय करने और बाढ़ों पर काबू पाने के लिये कोई संयुक्त व्यवस्था की है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) बाढ़ नियंत्रण योजनायें बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना सम्बन्धित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । यह सुनिश्चय करने के लिये किसी राज्य द्वारा किसी अन्तर्राज्यिक नदी के लिये बनाई गई बाढ़ नियंत्रण योजना दूसरे राज्य के लिये हानिकारक न हो भारत सरकार ने चार नदी आयोग स्थापित किये हैं । वर्तमान नदी आयोग इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त समझे जाते हैं ।

कबीनी नदी पर बांध

†१८६५. **श्री जीन चन्द्रन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनाद की सीमा के निकट कबीनी नदी पर मैसूर सरकार द्वारा बान्ध के निर्माण के बारे में सरकार को मालूम है ;

(ख) क्या इस योजना को स्वीकृत करने से पूर्व केरल सरकार से परामर्श किया गया था ; और

(ग) क्या केरल सरकार ने विनाद में इस नदी की एक सहायक नदी से बिजली पैदा करने की एक योजना भेजी है और यदि हां, तो यह प्रस्थापना इस समय किस अवस्था में है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) उत्तर नकारात्मक है ।

गोबिन्द सागर बांध में मछलियों सम्बन्धी योजना

†१८६६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गोविन्द सागर (भाखड़ा बांध) में मछलियों सम्बन्धी पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना स्वीकार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) भारत सरकार ने पंजाब सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंगस्वरूप गोविंद सागर (भाखड़ा बांध) में मीनक्षेत्र विकास की एक योजना स्वीकार की है ।

(ख) अनुमान है कि योजना पर २० लाख रुपया खर्च होगा और लगभग २५००० एकड़ क्षेत्र में भारतीय 'मेजर कार्पस'। 'मिटर कार्पस' और 'कामन कार्पस' की ५ करोड़ छोटी-छोटी मछलियां रखी जायेंगी। आशा है कि पूरी तरह विकास तथा विदोहन होने पर इस झील में प्रति वर्ष २५,००० मन मछली प्राप्त होगी ।

पंजाब में पीने के पानी सम्बन्धी योजनायें

†१८६७. श्री दलजीत सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई पीने के पानी सम्बन्धी कुल कितनी योजनायें अभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या नांगल उर्वरक कारखाने के स्थान से हटाये गये लोगों की बस्ती की पीने के पानी की योजना भी पंजाब सरकार ने प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सतरह ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खुर्दा रोड (उड़ीसा) में डिवीजनल हैडक्वार्टर्स

†१८६८. { श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने रेलवे मंत्रालय को एक बड़ा जोरदार अभ्यावेदन भेजा है कि डिवीजनल हैडक्वार्टर्स खुर्दा रोड में रखा जाये ;

(ख) यदि हां, तो यह अभ्यावेदन कब प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या सरकार इस अभ्यावेदन पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कबायली झूमियां लोग

†१८६९. श्री बांगशी ठाकुर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा के धर्मनगर के कंचनपुर और कमालपुर सब-डिवीजन के कुलई के झूमिया लोगों से यह सुझाव मिला है कि रक्षित वन की सीमा को स्थानीय गांवों की सीमा से लगभग दो मील दूर हटा दिया जाये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) यह संभव नहीं है क्यों कि यदि यह और इस प्रकार के अन्य अभ्यावेदन स्वीकार कर लिये जायें तो रक्षित वन ही नहीं बचेंगे क्यों कि त्रिपुरा की आबादियों में बीच-बीच में बन हैं ।

हीराकुद बांध

†१८७०. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने महानदी में हाल की भारी बाढ़ के अनुभवों को ध्यान में रखते हुये हीराकुद बांध की बाढ़-नियंत्रण क्षमता के बारे में कोई नया अध्ययन किया है ; और

(ख) क्या महानदी में भारी बाढ़ की आशंका को कम करने और बाढ़ के पानी पर नियंत्रण करने के लिये टिक्करपाड़ा और नाराज के दो सहायक बांधों को बनाने का विचार है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) उड़ीसा सरकार इसकी जांच कर रही है । बाढ़ जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अन्तिम निर्णय किया जायेगा ।

केरल सरकार द्वारा की गई शिकायतें

†१८७१. **श्री मणियंगाडन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने योजना आयोग से यह शिकायत की है कि उन्हें आवश्यक उपकरण और सामग्री खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा तथा आयात लाइसेंस प्राप्त करने में विलम्ब के कारण आयोजना की योजनाओं को कार्यान्वित करने में कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या विलम्ब के कारणों के बारे में कोई जांच की जा रही गई है ।

(ग) क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या आयात लाइसेंस और विदेशी मुद्रा के लिये राज्य सरकार के आवेदनपत्रों को शीघ्रता से मंजूर करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

†सिचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) केरल सरकार ने मार्च, १९६१ में अपनी आयोजना की परियोजनाओं के लिये विशेष रूप से (१) अर्थ कंडक्टर और पुर्जों के आयात (२) जस्ते के आयात और (३) प्लाइफ़ेज़ मीटरों के आयात के तीन मामलों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा और आयात लाइसेंस प्राप्त करने में कठिनाइयों का योजना आयोग से उल्लेख किया था ।

(ख) तीनों मामलों में विदेशी मुद्रा देने के लिये मंजूरी दे दी गयी है और इस में अनावश्यक लम्ब नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) विदेशी मुद्रा देने और आयात लाइसेंस जारी करने के लिये आवेदन-पत्रों को शीघ्रता से निपटाने के लिये निरन्तर सब सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं । परन्तु देश की विदेशी मुद्रा की अत्यधिक

†मूल अंग्रेजी में

कमी को देखते हुये इस बात का ध्यान रखने के लिये सब आवश्यक कार्यवाही की जाती है कि ऐसी वस्तुओं और उपकरणों का जिनका विदेशों से आयात करना अत्यावश्यक और अनिवार्य है, केवल उतना ही आयात करने दिया जाये जिससे उनकी कम से कम आवश्यकता पूरी हो सके ।

पंजाब सरकार के लिये हेलीकोप्टर

†१८७२. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार ने लाहौल और स्पिती के सीमावर्ती जिलों में भवन और सड़कों के निर्माण सम्बन्धी सामग्री को ले जाने के लिये एक हेलीकोप्टर खरीदने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

तीसरी योजना में उड़ीसा में बड़ी और मझली सिंचाई परियोजनायें

†१८७३. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की बड़ी और मझली सिंचाई परियोजनाओं को तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनके अलग अलग स्थूल प्राक्कलन क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर हां में है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **(देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या १०५)**

भोपाल को सीधी ट्रंक टेलीफोन लाइन

१८७५. **श्री जांगड़े** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल में दिल्ली और अन्य स्थानों से भेजे गये तार बहुत देर में मिलते हैं और स्थानीय टेलीफोनों के बारे मे बड़ी शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सीधे ट्रंक टेलीफोन लगाने के लिये और भोपाल को राज्य की अन्य कमिश्नरियों से टेलीग्राफ लाइनों द्वारा मिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सेवा का स्तर वही है जो देश के शेष भाग में प्राप्य है । रीवां और बिलासपुर के अलावा भोपाल मध्य प्रदेश की सभी कमिश्नरियों से सीधे ट्रंक परिपथों द्वारा जुड़ा हुआ है । भोपाल से रीवां और बिलासपुर के लिये इन स्थानों के बीच के मौजूदा ट्रंक परियात के आधार पर सीधे परिपथ लगाना न्यायसंगत नहीं है । भोपाल, इंदौर, रायपुर तथा जबलपुर से सीधी तार लाइनों से जुड़ा हुआ है । ग्वालियर, रीवां तथा बिलासपुर को भोपाल से जोड़ने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिला रायपुर में किसानों को तकावी ऋण

१८७४. **श्री जांगड़े** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के जिला रायपुर के किसानों को फोर्ड प्रतिष्ठान गहन खेती योजना के अन्तर्गत उपज बढ़ाने के लिये तकावी ऋण दिये जा रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें सिंचाई के लिये न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही सामूहिक रूप से तकावी ऋण दिये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जी नहीं । छोटी सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए किसानों को तकावी ऋण और अन्य मध्यम-अवधि ऋण दिये जा रहे हैं । रायपुर ज़िले में तमाम तकावी ऋण कोआपरेटिव संस्थाओं द्वारा दिये जाते हैं ।

पीपली–कोणार्क बारहमासी सड़क

†१८७६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपली से कोणार्क तक बारहमास चलने वाली सड़क कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जायेगी ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल की बाढ़ से इस सड़क को फिर क्षति पहुंची है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सड़क पर बहुत धीरे-धीरे काम हो रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी हां, भार्गवी नदी के पुल और नीमपाड़ा के स्थान पर उस भाग को छोड़ कर जहां सड़क दूसरी ओर मोड़ दी गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस काम को पूरा करने में कुछ अधिक समय लग गया है परन्तु अब काम में सन्तोष-जनक प्रगति हो रही है । पानी बहने के लिये अधिक बड़ा मार्ग छोड़ने की उड़ीसा बाढ़ समिति की हाल की सिफारिश के कारण भार्गवी नदी पर पुल बनाने में देर होने की सम्भावना है ।

तीसरा एशियाई रेलवे सम्मेलन

†१८७७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरा एशियाई रेलवे सम्मेलन भारत में होने जा रहा है और यह सम्मेलन तथा उसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि भारत के अतिथि होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) औपचारिक निमंत्रण-पत्र १९ देशों को भेज दिये गये हैं। इसकी बैठक १३, १४ और १५ नवम्बर, १९६१ को नई दिल्ली में होगी। इसके बाद महत्वपूर्ण रेल केन्द्रों का पर्यटन होगा । प्रतिनिधि २८ नवम्बर को अपने-अपने देशों को रवाना होंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

क्षय रोग संबंधी अनुसन्धान केन्द्र

†१८७८. **श्री कोडियान** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तीसरी योजना की अवधि में क्षय रोग सम्बन्धी स्थायी अनुसन्धान केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितने केन्द्र खोले जायेंगे ;

(ग) इस प्रस्ताव पर कितना खर्च आने का अनुमान है ; और

(घ) ये केन्द्र खोलने के लिये कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उड़ीसा में मृगवन[1]

†१८७९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रस्तावित मृगवन स्थापित करने में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार को इस कार्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) इस कार्य के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा को कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में 'वन्य पशु संरक्षण योजना' के लिए १३.५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । केन्द्रीय वित्तीय सहायता के ढांचे पर अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के लिये आवास सुविधायें

१८८०. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी ३ और श्रेणी ४ के कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए पश्चिम रेलवे की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न स्थानों पर कितनी-कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sanctuary.

(ख) १९६१–६२ के आंकड़े उपलब्ध हैं जो इस प्रकार हैं :—

	(लाख रुपयों में)
बम्बई क्षेत्र	१३.४६
बड़ौदा	०.८७
अहमदाबाद	१.९७
साबरमती	६.४६
दोहद	१.१८
रतलाम	६.६०
उज्जैन	८.६६
कोटा	८.२५
गांधीधाम	१.०१
जयपुर	४.९५
राजकोट	३.७५
मेहसाना	१.२
हापा	१.२
भावनगर	२.५
अन्य स्टेशन	२४.६४

आयोजना के अगले वर्षों का कार्यक्रम अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है।

अखिल भारतीय सामुदायिक विकास प्रशिक्षण संस्था, मसूरी

१८८१. श्री अमर सिंह डामर : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सामुदायिक विकास प्रशिक्षण संस्था, मसूरी में पदाधिकारियों तथा संसद और विधान सभा के सदस्यों को साथ-साथ प्रशिक्षण देने की परिपाटी आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से ;

(ग) वहां अब तक कितने संसद् तथा विधान सभा के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है;

(घ) उसमें भर्ती होने के लिये प्रशिक्षणार्थियों की कम से कम योग्यता कितनी होनी चाहिये; और

(ङ) इस प्रशिक्षण के लिये गैर-सरकारी लोगों को चुनने का क्या तरीका है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सु० मति) : (क) जी हां। संस्था का नाम "सामुदायिक विकास सम्बन्धी अध्ययन एवं अनुसंधान की केन्द्रीय संस्था, मसूरी" है।

(ख) ६ जून, १९५८ ।

(ग) संसद सदस्य ११.

विधान सभा के सदस्य १११.

(घ) कोई भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखी गई है। भाषण और चर्चायें प्रायः अंग्रेजी में होती हैं। काम चलाने योग्य अंग्रेजी का ज्ञान वांछनीय है।

(ङ) संसद सदस्यों की राय अनौपचारिक रूप से ली जाती है और जो रुचि दिखाते हैं उन्हें कोर्स में आमंत्रित किया जाता है। राज्यों में भी ऐसा ही तरीका अपनाया जाता है और सामुदायिक विकास कार्यक्रम में रुचि रखने वाले राज्य की अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति के सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा

†१८८२. **श्री बलराज मधोक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९६० मे हुई भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध सेवा परीक्षा में रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा को भी शामिल कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए कोई स्थान रिक्त था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को, जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के लिए उपयुक्त हैं, परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है तथा क्या ऐसे व्यक्तियों को, ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेने पर अन्य सेवाओं में नियुक्त करने की व्यवस्था नहीं है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). केवल दो स्थान भरे जाने थे और सामुदायिक प्रतिनिधित्व के अनुरूप इन रिक्त स्थानों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व कर लिया गया था। इन रिक्त स्थानों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के अभ्यर्थियों के न मिलने पर 'अनरिजर्वड' घोषित करने पर गृह-कार्य मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

नई दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की कमियां

†१८८३. { **श्री नार्गा रेड्डी ;**
श्री कुन्हन : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के सरकारी अस्पतालों जैसे विलिंगडन अस्पताल अथवा नर्सिंग होम की क्या कमियां हैं जिनके कारण राष्ट्रपति को उपचार के लिये डा० सैन के गैर-सरकारी नर्सिंग होम में ले जाना पड़ा ; और

(ख) सरकारी अस्पतालों तथा नर्सिंग होमों की कमियों को दूर करने तथा उनका स्तर बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) राष्ट्रपति को गैर-सरकारी नर्सिंग होम में इसलिये भर्ती किया गया था क्योंकि वह चाहते थे कि यदि आपरेशन किया जाये तो एक खास सर्जन ही वह आपरेशन करे। उस सर्जन ने आपरेशन अपने नर्सिंग होम में करना पसन्द किया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कलिंग एयरलाइन्स के विमान का लापता होना

†१८८४. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री क० भे० मालवीय : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश कम्पनी द्वारा किराये पर लिया गया कलिंग कम्पनी का

†मूल अंग्रेजी में

डी० सी० ३ विमान जिसमें १६ व्यक्ति थे १० जुलाई, १९६० को कटार की राजधानी दोहा तथा शरजा के युद्ध-विराम के तट के बीच लापता हो गया था और क्या इसको विध्वंशकर्ताओं ने नष्ट किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). कलिंग एयरलाइन्स, कलकत्ता की व्यवस्था के अधीन गल्फ एविएशन कम्पनी लिमिटेड, बहरीन द्वारा चलाया जाने वाला एक भारतीय रजिस्टर्ड डी०सी० ३ विमान, वीटी-डी जी एस दोहा होकर बहरीन से शरजा की अनुसूचित यात्री सेवा पर जब था तब दोहा/शरजा के बीच उड़ते हुए १० जुलाई, १९६० को अपने निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचा। विमान, जहाज द्वारा तथा भुमि पर बहुत खोज की गयी परन्तु विमान का पता नहीं लगा। १७ जुलाई, १९६० को खोज बन्द कर दी गयी। जांच भारतीय अधिकारियों द्वारा की गई थी। क्यों कि नष्ट विमान का पता नहीं लग पाया इसलिए दुर्घटना के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका।

खोवाई में सहकारी समितियां

†**१८८५. श्री दशरथ देब** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार से पुनर्वास सहायता प्राप्त करने के लिये अब तक त्रिपुरा के खोवाई सब-डिवीजन में कितनी सेवा सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुई हैं ; और

(ख) ऐसी समितियों के माध्यम के द्वारा इनके सदस्यों को पुनर्वास सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) तीन ।

(ख) इन समितियों के लिए चालू वर्ष १९६१-६२ में १८५ भूमिहीन आदिम जाति परिवारों को बसाने के लिये ५५,६०० रुपये की वित्तीय सहायता (प्रति परिवार ३०० रुपये) स्वीकार की गई है ।

त्रिपुरा में सिंचाई के बांध

†**१८८६. श्री दशरथ देब** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में त्रिपुरा में कितने सिंचाई बांधों का निर्माण किया गया है ।

(ख) अब तक पानी से कितने बांध नष्ट कर दिए गए हैं ;

(ग) क्या खोवाई सब-डिवीजन की सरबांग नदी तथा सदर सब-डिवीजन की चेर्चांवा नदी के बांधों के निर्माण में कोई अनियमितता पाई गई है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन दोनों बांधों की जांच कराने का है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)**: (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्य होने पर सभा पटल पटर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खोवाई नदी पर पुल

†१८८७. **श्री दशरथ देब** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छेबरी फेरी खोवाई में खोवाई नदी पर एक स्थायी पुल बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो काम कब आरंभ हो जाने की आशा है; और

(ग) इस पुल के निर्माण की प्राक्कलित लागत क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) योजना की जांच की जा रही है तथा अभी तक इस पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है ।

(ख) १९६३–६४ में ।

(ग) अभी प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए हैं परन्तु आशा है कि यह ८.०० लाख रुपये होंगे ।

बिलासपुर खंड के कर्मचारियों की पदोन्नतियां

†१८८८. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर खण्ड में तीसरी और चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारियों की गत चौदह वर्ष में कोई पदोन्नति नहीं की गई है ; और

(ख) चौथी श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनसे दस वर्ष से अधिक की सेवा के पश्चात भी दैनिक मजूरी (३५ रुपये मासिक) पर काम लिया जा रहा है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) तीसरी श्रेणी——६७८

चौथी श्रेणी——२४११ ।

(ख) कोई नहीं ।

शंकरपल्ली, हैदराबाद के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

†१८८९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २३ जुलाई, १९६१ को हैदराबाद के निकट शंकरपल्ली के पास ३३२ अप बम्बई जाने वाली यात्री गाड़ी के पांच डिब्बे पटरी से उतर जाने की जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां, परन्तु गाड़ी पटरी पर से २२ जुलाई १९६१ को उतरी थी तथा २३ जुलाई १९६१ को नहीं ।

(ख) रेलवे के सरकारी निरीक्षक के अनुसार गाड़ी यांत्रिक गड़बड़ी के कारण पटरी से उतरी थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे सिंचाई कार्य

†१८९०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान गया है जिसमें बताया गया है कि लघु सिंचाई कार्यों की सिंचाई सामर्थ्य का कम उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में इस सामर्थ्य का कम उपयोग किया गया है तथा कितनी मात्रा में ; और

(ग) उड़ीसा राज्य के बारे में क्या स्थिति है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा)**: (क) रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग). रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में नमूने के तौर पर की गई जांच से पता लगा है कि १९५९–६० में उपयोग में न लाये गये सामर्थ्य का अनुपात खरीफ की फसल का केरल में १०० प्रतिशत, राजस्थान में ९४ प्रतिशत, तथा मध्य प्रदेश में ८९ प्रतिशत था । बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में उपयोग न किये जाने की प्रतिशतता काफी कम थी । उड़ीसा समेत अन्य शेष राज्यों में उपयोग में न लाये जाने की प्रतिशतता ५० थी । रबी की फसल में उड़ीसा, आसाम, आंध्र प्रदेश तथा बिहार में उपयोग न लाई गई सामर्थ्य बहुत अधिक थी ।

क्योंकि संबंधित राज्यों के सीमित क्षेत्र में यह जांच की गई थी इसलिये इनको समस्त राज्य के आंकड़े नहीं माना जा सकता है ।

उड़ीसा में जलविद्युत् तथा सिंचाई योजनायें

†१८९१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाओं तथा बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, परियोजनावार बनाने के लिये १९६१–६२ में उड़ीसा को कितनी धनराशि केन्द्रीय ऋण के रूप में दी गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : हीराकुद जैसी बहुप्रयोजनीय नदी घाटी परियोजनाओं के अतिरिक्त पन-बिजली अथवा सिंचाई परियोजना के लिए कोई भी अलग से विशिष्ट ऋण सहायता नहीं दी गयी है । वार्षिक राज्य योजनाओं के लिये वित्त की व्यवस्था के लिए राज्यों को दी गई केन्द्रीय ऋण सहायता में इस परियोजना की सहायता शामिल करली गई है । इसलिये माननीय सदस्य द्वारा अपेक्षित जानकारी बताना संभव नहीं है । परन्तु चालू वर्ष में चिपलीमा बिजलीघर परियोजना (हीराकुद क्रम २) के लिए उड़ीसा सरकार को ५६.७५ लाख रुपये का ऋण दिया गया है ।

टेलीफोन विभाग, कटक का लेखा अनुभाग

†१८९२. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक डिवीजन के टेलीफोन विभाग का लेखा सैक्शन कलकत्ते से काम कर रहा है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इसको कटक में ले जाने की आशा है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) उड़ीसा सर्किल के टेलीफोन राजस्व लेखा कार्य इस समय पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा सर्किल, कलकत्ता में किए जाते हैं ।

(ख) और (ग). उड़ीसा सर्किल के टी० आर० ए० ओ० सैक्शन के स्थान को बदलने की जांच हो रही है ।

दूध का उत्पादन

१८९३. **श्री बाजपेयी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में दूध उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं और उनकी पूर्ति के लिये कितनी धन राशि निश्चित की गयी है ?

†**कृषि उप-मंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). जी हां । बहुत सी योजनायें चालू की गई हैं । महत्वपूर्ण योजनायें निम्न हैं :—

(१) अखिल भारतीय पशुग्राम योजना, जिसका उद्देश्य दूध के उत्पादन का चौमुखी सुधार करना है । इस के साथ ही चुने हुए विकास ब्लाकों में ढोरों और भैंसों के भार उठाने की क्षमता में सुधार करना है ।

(२) गोशाला विकास योजना, जिसका उद्देश्य चुनी हुई गोशालाओं को ढोर प्रजनन तथा दूध उत्पादन केन्द्रों में परिवर्तित करना है ।

(३) अस्थिर ढोर प्रजनक के पुनर्निवास तथा उनके द्वारा पाले हुए पशु-धन के संरक्षण और सुधार के लिए योजना ।

(४) राठी नसल का विकास और राजस्थान में ढोर प्रजनकों की व्यवस्था ।

(५) खाद्य और चारा विकास योजना जिसका उद्देश्य पशु-धन की आवश्यकताओं के लिए खाद्य और चारे के उत्पादन को बढ़ाना है ।

(६) हरियाना नसल के सांडों का उत्पादन बढ़ाने के लिये पशु-धन फार्म, हिसार का पुनर्संगठन करना ।

(७) आवारा और जंगली ढोरों को पकड़ने की योजना, जिसके अन्तर्गत अवर्णनीय क्षेत्रों में वास्तविक प्रजनकों को हरियाना नसल के अस्वामिक उत्पादित ढोर मुफ्त में अलाट किये जाते हैं, जिसका मुख्यतः उद्देश्य इन क्षेत्रों में दूध उत्पादन में सुधार करना है ।

(८) दूध उत्पादन प्रतियोगिता योजना, जिसका उद्देश्य ढोरों के मालिकों को उनके ढोरों के दूध उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना है ।

(९) ग्रामीण क्षेत्रों के दूध उत्पादकों को एक सुनिश्चित पणन देने के विचार से शहरी दुग्ध योजनायें चलाना और क्रीमरियों की स्थापना करना ।

(१०) पहाड़ी ढोरों के दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये उनके सुधार की योजना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(११) जरसी फार्म की स्थापना।

(१२) अच्छे उत्पादन के लिए ढोरों के जैनेटिक शरीर रचना को सुधारने के लिए प्रमाणित प्रजनक सांड को चुनने के विचार से संतति परीक्षण योजना।

(१३) खेती के साथ पशुधन के एकीकरण के लिये मिश्रित फार्मिंग योजना।

(१४) विशेष डेरी फार्मिंग, पहाड़ी और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढोरों के संकरण, देशी ढोरों का चुना प्रजनन और क्रम स्थापन करना, सिन्धी सांडों के साथ स्थानीय ढोरों का क्रमस्थापन और उनका जरसी सांडों के साथ संकरण, दूध की श्रेणी का सर्वे, भैंसों में प्रजनन मौसम का फैलाना, पहाड़ों के भीतरी क्षेत्रों में पशु प्रजनन-क्रिया का सर्वे इत्यादि अनेक अनुसन्धानात्मक योजनायें भी चालू की गई हैं।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में दूध उत्पादन का लक्ष्य २५३ लाख टन है। योजना में दूध उत्पादन के लिये कोई पृथक उपबन्ध नहीं हैं। फिर भी उम्मीद है कि पशु-पालन और डेरी योजनाओं के लिए ६०.५२ करोड़ रुपयों के कुल उपबन्ध का एक बड़ा भाग दूध उत्पादन की बढ़ौतरी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहायता देगा।

ग्राम्य जल संभरण योजनायें

†१८६४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में प्रत्येक राज्य के विभिन्न अभिकरणों द्वारा ग्राम्य जल संभरण योजनाओं के मामले में क्या प्रगति हुई है;

(ख) कमियां यदि हों, तो किन कारणों से हैं; और

(ग) ग्राम्य जल संभरण योजना के प्रभावोत्पादक रूप में क्रियान्विति के लिए प्रशासन को सुधारने के लिए क्या कोई निर्णय किया गया है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क). इस कार्यक्रम के अधीन प्रगति का निर्धारण करना संभव नहीं है क्योंकि कार्यक्रम में बहुत से अभिकरण लगे हुए हैं तथा उनके क्रियान्वयन पर एक नियंत्रण नहीं है। द्वितीय योजना में विभिन्न कार्यक्रम के अधीन हुई प्रगति दिखाने वाले कुछ आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

लक्ष्य

कार्यक्रम का नाम	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काम
१. स्वास्थ्य योजना के अधीन राष्ट्रीय जल-संभरण तथा सफाई (ग्राम्य)	लगभग ११,००० गांवों में पाइप द्वारा जल-संभरण।
२. पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित आदिम जाति के कार्यक्रम	३०,००० कूऐं बनाये गये। ३,००० कूओं की मरम्मत की गई।
३. स्थानीय विकास कार्य कार्यक्रम	७२,५२७ योजनायें [दूसरी योजना के पहले चार वर्षों तक। इसमें ५८–५९ तथा ५९–६० वर्षों के लिए मद्रास राज्य तथा ५९–६० के लिए राजस्थान राज्य की जानकारी शामिल नहीं है।]
४. सामुदायिक विकास कार्यक्रम . .	४,५३,००० कूऐं बनाये गये तथा मरम्मत की गई।

अलग अलग राज्यों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख). कार्यक्रम की जांच के लिए परियोजना सम्बन्धी समिति के अधीन स्थापित चुनी हुई भवन परियोजनाओं के दल द्वारा बनाई गई योजना की उचित तथा शीघ्र क्रियान्वि
लिखित बाधायें हैं :—

१. प्रत्येक वर्ष के आधार पर वित्तीय आबंटन का तरीका ही इस कार्यक्रम की प्रगति में बाधक है । जलसंभरण तथा सफाई योजनायें दीर्घकालीन योजनाओं तथा सामग्री को काफी समय पहले संगाने की आवश्यकता होती है ।

२. योजना के आरम्भ से, उसकी समाप्ति तक बहुत सी प्रक्रिया की कार्यवाही होती हैं और उनमें पर्याप्त समय लगता है ।

३. कार्यक्रम में राज्य स्तर पर संगठन की कई कमिया हैं ।

४. इस योजना को चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी कमी है ।

५. ग्राम्य जल संभरण योजनाओं का भार कई अभिकरणों पर है । राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम के अधीन जल संभरण योजनायें, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आदिम जाति कल्याण योजनायें तथा स्थानीय विकास कार्य विभिन्न अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित होते हैं । प्रायः योजनाओं को चलाने वाले कार्यक्रम के प्रभारी क्षेत्रीय अभिरकणों में पर्याप्त तथा सक्षम प्रविधिक कर्मचारी नहीं हैं ।

६. योजनाओं तथा प्राक्कलनों को बनाने के बारे में एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रक्रिया, व्यवस्था तथा प्रविधि में बहुत अन्तर है ।

७. अपर्याप्त जांच, अवास्तविक डिज़ायन कार्यों का ग़लत क्रम होने के कारण योजनाओं की लागत बढ़ गई थी ।

(ग) इसके बारे में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अध्याय ३२ के पैराग्राफ ७–१० की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है ।

हुगली नदी में तलकर्षण (ड्रेजिंग)

†१८९५. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी में हाइड्रोलोजी तथा ड्रैजिंग का अध्ययन करने में लगे हुए दो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रविधिक विशेषज्ञों ने कोई अन्तरिम अथवा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि नहीं, तो उनका अध्ययन कब तक चलेगा; और

(ग) क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी नहीं । परन्तु दोनों विशेषज्ञों ने पोर्ट कमिश्नरों, अपनी जांच के आधार पर समय समय पर सिफारिशें की हैं ।

(ख) और (ग). श्री जोवरनोवस्की जनवरी, १९६० में नियुक्त किये गये थे तथा डा० मैकडोवल मार्च १९६० में नियुक्त किये गये थे । श्री जोवरनोवस्की की अवधि ३१ दिसम्बर १९६१ तक की है जब कि डा० मैकडावेल की अवधि २० सितम्बर १९६१ तक की है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पंजाब में सिंचाई योजनायें

†१८९६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सिंचाई योजनाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं ?

सिंचाई और विद्युत उप-मंत्री (श्री हाथी) : (क) भारत सरकार ने विशेषज्ञों का कोई ऐसा दल नियुक्त नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत में नाइलान के अंडरवियरों का प्रयोग

†१८९७. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लन्दन का यह समाचार पढ़ा है कि नाइलान के अंडरवीयर तथा चमड़े के जूते पहनने वाली महिलाओं के २० मीटर चलने पर उन में ६०० वोल्ट की बिजली पाई गई;

(ख) क्या इस बात की जांच के लिए भारत में भी कोई प्रयोग करने का विचार है; और

(ग) भारत में नाइलान अंडरवीयरों का प्रयोग रोकने के लिए क्या सावधानी बरती जा रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) किसी भी केन्द्रीय सरकार के अस्पताल मे ऐसा प्रयोग करने का विचार नहीं है ।

(ग) अभी भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है । इसलिए सावधानी बरतने का विचार ही नहीं है ।

लघु सिंचाई योजानयें

†१८९८. **श्री बालकृष्णन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों से लघु सिंचाई योजनाओं का क्रमवार सर्वेक्षण करने तथा लघु सिंचाई कार्यों को पूरा करने का कार्यक्रम बनाने के लिये कहा गया है;

(ख) क्या राज्य लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण करने का कार्यक्रम लागू कर रहे हैं; और

(ग) लघु सिंचाई कार्यक्रम के ब्यौरे क्या हैं ?

†**कृषि उप-मंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) लघु सिंचाई कार्यक्रम में मुख्यतः निम्नलिखित बातें होती हैं :—

१. राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये तथा प्रबन्ध किये गये कार्य जैसे ट्यूब वैल, और टैंक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. व्यक्तियों द्वारा निर्मित तथा प्रबन्धित कार्य, जैसे नये कूएे, वर्तमान कूओं को गहरा करना तथा खोदना और पम्पिंग सैट तथा अन्य पानी उठाने के यंत्रों को लगाना ।

३. कई कृषकों द्वारा प्रबन्धित कार्य, जैसे बनधारा, अदारक, पनिस ।

पश्चिम बंगाल में चावल के मूल्य

†१८९९. **श्री प्रभात कार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून तथा जुलाई में पश्चिम बंगाल में चावल के क्या मूल्य प्रचलित थे ;

(ख) क्या यह मूल्य अप्रैल तथा मई के मूल्यों की तुलना में अधिक थे ;

(ग) यदि हां, तो इस आधिक्य के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस आधिक्य को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि उप-मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). अप्रैल, मई, जून और जुलाई १९६१ के महीनों में पश्चिम बंगाल के कुछ चुने हुए केन्द्रों में चावल के थोक के भाव दिखाने वाला विवरण सम्बद्ध है । [**देखिये परिशिष्ट २ अनुबंध संख्या १०६**] .

जून तथा जुलाई १९६१ में चावल के मूल्यों में कुछ मौसमी बढ़ोतरी हुई है परन्तु पिछले वर्ष की इसी अवधि के मूल्यों से इस वर्ष के मूल्य बहुत कम हैं ।

(ग) मूल्यों में मुख्यतः थोड़ी वृद्धि हुई है ।

(घ) राज्य सरकार चावल के वितरण के लिये उचित मूल्य की दुकानें खोल रही है परन्तु इन दुकानों से चावल अधिक मात्रा में नहीं खरीदा जा रहा है ।

आम हड़ताल से पूर्व मुअत्तिल डाक तथा तार पदाधिकारी

†१९००. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ११ और १२ जुलाई की प्रातः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पिछली हड़ताल में शामिल होने से पूर्व डाक तथा तार विभाग में मुअत्तिल किये गये पदाधिकारियों की क्या संख्या है ;

(ख) उनको क्या दण्ड दिया गया ; और

(ग) इस दण्ड के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

कानपुर में लोको वर्कशाप में चोरी

†१९०१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ११ जुलाई, १९६१ को कानपुर में लोको वर्कशाप में तांबे के ६० लाइनर के चोरी होने का पता लगा ;

(ख) क्या सील सही पाई गई ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह मामला पुलिस को सौंप दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या कोई विभागीय जांच की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). जी, हां । ११-७-६१ को जांच करने पर (६० नहीं) कानपुर लोको शेड के भण्डार कक्ष से ६३ तांबे के लाइनर कम पाये गये, कमरे की सील और ताले सही थे और इससे किसी अपराध का पता नहीं चला ।

(ग). और (घ). भारतीय प्रक्रिया संहिता की धारा ३७९ के अधीन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वे इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं ।

(ङ) जी, अभी नहीं ।

मनमाड में ऊपरी पुल

†**१९०२. श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनमाड में रेलवे ऊपरी पुल बनाने का कार्य फरवरी, १९६१ में पूरा होना था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय यह कार्य रुका हुआ है ;

(ग) कार्य के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) कार्य शीघ्र करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ङ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां । रेलवे ने पुल बना कर पूरा कर लिया है ।

(ख) से (घ). पुल तक ढलवां उपागन का कार्य, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया जा रहा है , प्रगति पर है । सरकार से उसे शीघ्र पूरा करने को कहा गया है ।

(ङ) यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है ।

नासिक महाराष्ट्र में बड़ी तथा बीच की सिंचाई योजनायें

†**१९०३. श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये नासिक जिले से जो बड़ी और बीच की सिंचाई परियोजनायें अनुमोदन के लिये भेजी हैं, उन के क्या नाम हैं; और

(ख) ये योजनायें कब आरम्भ की जावेंगी और इन परियोजनाओं के प्राक्कलन क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)**: (क) महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में योजना में शामिल करने के लिये गोदावरी परियोजना, भाग १, प्रावस्था १, (करंजवान बांध परियोजना) डिन्डोसी तालुक, जिला नासिक का प्रस्ताव किया ।

(ख) इस योजना पर ६५१ लाख रुपये के व्यय का अनुमान है । यह योजना आरम्भ करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि इसको महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृत सिंचाई योजना में स्थान नहीं मिल सका ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में रेलवे आउट एजेंसियां

†१९०४. **श्री ओंकार लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में अब तक राजस्थान में कितनी रेलवे आउट-एजेंसियां खोली गई हैं; और

(ख) वर्ष १९६१-६२ में और कितनी नई आउट-एजेंसियां खोली जायेंगी ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) एक ।

(ख) राजस्थान में १२ और स्थानों पर आउट-एजेंसियां खोलने की प्रस्थापना विचाराधीन है। परन्तु निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता इन १२ स्थानों पर आउट एजेंसियां वर्ष १९६१-६२ में ही खोली जायेगी या नहीं। यह भी संभव है कि इस वर्ष अन्य स्थानों पर भी आउट-एजेंसियां खोली जायें ।

कोटा में तृतीय श्रेणी की महिला यात्रियों के लिये प्रतीक्षा कक्ष

†१९०५. **श्री ओंकार लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा स्टेशन पर तृतीय श्रेणी की महिला यात्रियों के लिये पृथक प्रतीक्षा कक्ष की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). कोटा स्टेशन पर सभी श्रेणियों के टिकट वाली महिला यात्रियों के लिये एक प्रतीक्षा कक्ष है और इसलिये तृतीय श्रेणी के टिकटों वाली महिला यात्रियों के लिये एक पृथक प्रतीक्षा कक्ष बनाना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

सालपुरा स्टेशन पर पाइप लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षण

†१९०६. **श्री ओंकार लाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर सालपुरा स्टेशन पर कोटा से बीना तक सालपुरा स्टेशन पर अंधेरी नदी से एक पाइप लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है ;

(ख) क्या सालपुरा स्टेशन पर शुद्ध और स्वच्छ पीने के पानी की अनुपलब्धता के बारे में कोई शिकायत है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) जी, नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस समय स्टेशन पर पानी अंधेरी नदी से लाया जाता है और इसको संभरण करने से पहले साफ़ मलमल के कपड़े में छान लिया जाता है। हाथ से चलने वाले ४ इंच व्यास के एक नल-कूप लगाने की मंजूरी की जा चुकी है और इस के वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है । यदि यह नल-कूप सफल रहा तो फिर नदी से पानी लाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोटा में यात्री सुविधायें

†१६०७. **श्री ओंकार लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर कोटा स्टेशन पर प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षा कक्ष बहुत छोटे हैं और वहां पर अन्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में और क्या नये सुधार किये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राजस्थान को कृषि कार्यों के लिये आवंटित लोहा तथा इस्पात

†१६०८. **श्री ओंकार लाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने वर्ष १६६०-६१ में कृषि कार्यों के लिये लोहे तथा इस्पात की कितनी मात्रा की मांग की और उस को कितना आवंटन किया गया ; और

(ख) आवंटित अभ्यंश का संभरण करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**कृषि मन्त्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) वर्ष १६६०-६१ में कृषि कार्यों के लिये राजस्थान की रद्दी समेत लोहा तथा इस्पात की मांग और आवंटन क्रमशः ३६,१०८ टन और २३,७६२ टन है ।

(ख) राज्य सरकारें उनको आवंटित कृषि अभ्यंश का रजिस्टर्ड स्टाकिस्टों को वितरण करती हैं जो लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के पास इन्डेन्ट भेजते हैं । वह फिर उन इन्डेन्टों को विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को दी गई प्राथमिकता के अनुसार संभरण के लिये उत्पादकों के पास भेज देता है । संभरण शीघ्र करने की दृष्टि से कृषि कार्यों के लिये अपेक्षित लोहा तथा इस्पात को, जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों को छोड़ कर, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है ।

राजस्थान में भूमि को समतल बनाना

†१६०६. **श्री ओंकार लाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १६६०-६१ में कृषि कार्यों के लिये भूमि को समतल बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : वर्ष १६६०-६१ के राज्य विकास कार्यक्रम में भूमि को समतल बनाने की कोई योजना शामिल नहीं की गई है । कृषि विकास योजनाओं के लिये एक-मुश्त धनराशि दी जाती है और यदि राज्य सरकार किसी पृथक योजना पर भूमि को समतल बनाने के लिये कोई धन-राशि खर्च करती है तो वह भारत सरकार को नहीं बताया जाता ।

पश्चिम रेलवे पर डकैतियां

†१६१०. **श्री ओंकार लाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६६१ की प्रथम छमाही में पश्चिमी रेलवे पर कितनी डकैतियां हुईं ; और

(ख) कितने मामलों में अपराधियों का पता लगा लिया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) सात (रेलगाड़ियों में २ और स्टेशन की इमारतों में ५)

(ख) रेलगाड़ियों में डकैतियों के दोनों मामलों में अपराधी पकड़ लिये गए हैं।

राजस्थान में रेलवे हाई स्कूल

†१६११. **श्री ओंकार लाल** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में, जिला-वार, कितने रेलवे हाई स्कूल हैं; और

(ख) स्कूल कहा पर स्थित हैं और उनमें शिक्षा का माध्यम क्या है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). राजस्थान में तीन निम्न रेलवे हायर सेकेण्डरी/हाई स्कूल हैं :—

स्कूल का नाम	स्थान	शिक्षा का माध्यम
१. रेलवे मल्टी परपज हायर सेकेण्डरी स्कूल .	बांदीकुई	हिन्दी
२. रेलवे हायर सेकेन्डरी स्कल . .	आबू रोड	हिन्दी
३. रेलवे हाई स्कूल . .	गंगापुर सिटी	हिन्दी

राजस्थान में चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य योजनायें

†१६१२. **श्री ओंकार लाल** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये विभिन्न चिकित्सा और लोक-स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को अब तक किये गये आवंटन का क्या स्वरूप है;

(ख) वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ग) अभी तक प्रत्येक योजना पर कितनी धनराशि दी गयी है ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये राजस्थान राज्य की विभिन्न चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य योजनाओं के लिये किया गया उपबन्ध दिखाया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०७]**

(ग) केन्द्रीय सहायता देने की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, निधि राज्य सरकारों को एक-मुश्त मार्गोपाय अग्रिम धनराशि के रूप में दी जाती है। किसी वित्तीय वर्ष के लिये आवंटित केन्द्रीय सहायता का तीन-चौथाई भाग इस प्रकार नौ सममासिक किश्तों में दिया जाता है। अन्तिम भुगतान राज्य सरकार द्वारा दिये गये व्यय के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में किया जाता है।

राजस्थान में कृषि विकास योजनायें

†१६१३. **श्री ओंकार लाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल के लिये विभिन्न कृषि विकास योजनाओं के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान राज्य को अब तक किये गये आवंटन का क्या स्वरूप है;

(ख) वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये प्रत्येक योजना के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ग) अब तक योजना-वार कितनी धनराशि दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि उपमन्त्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगत वर्ष १६६१–६२ के लिये विभिन्न कृषि विकास योजनाओं के लिये आवंटन के बारे में बताया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया—देखिये संख्या एल० टी० ३१३६/६१]** वर्ष १६५८–५६ से चालू प्रक्रिया के अनुसार राज्यों को उनकी योजना में शामिल योजनाओं के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मंजूरी योजनावार नहीं की जाती। वित्तीय सहायता के लिये भुगतान की मंजूरी वित्त मन्त्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य को बतायी गयी विकास की विभिन्न मदों के लिये अधिकतम सीमा के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्त में दी जाती है। अभी चालू वर्ष के लिये अधिकतम सीमा नहीं बनायी गयी है।

राजस्थान को राष्ट्रीय जल सम्भरण योजना से सहायता

†**१६१४. श्री ओंकार लाल** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान राज्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में वर्ष वार कुएं खोदने के लिये केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय पीने के पानी की योजना से कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ?

†**स्वास्थ्य मन्त्री (श्री करमरकर)** : राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय जल सम्भरण और स्वच्छता (ग्राम्य) कार्यक्रम के अन्तगत स्वीकृत ग्राम्य जल सम्भरण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित अनुदान दिये गये :

वर्ष	धन राशि (लाख रुपयों में)
१६५६–५७	शून्य
१६५७–५८	२७.३०
१६५८–५६	११.०४
१६५६–६०	२६.६५
१६६०–६१	६.७५
	७२.०४

स्वीकृत योजनाओं में कुओं की योजनायें भी शामिल हैं।

राजस्थान में विद्युत् परियोजनायें

†**१६१५. श्री ओंकार लाल** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा शामिल की गयी विद्युत् परियोजनाओं के क्या नाम हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमन्त्री (श्री हाथी)** : एक विवरण संलग्न है।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

राजस्थान की तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी विद्युत् परियोजनाओं की सूची

चालू योजनायें—

१. भाखड़ा नंगल परियोजना
२. चम्बल परियोजना—प्रावस्था १
३. राणा प्रताप सागर परियोजना
४. जोधपुर बिजली घर का विस्तार
५. भीलवाड़ा-शाहपुरा और अजमेर से ब्यावर तक ३३ किलोवाट की लाइनें डालना
६. अजमेर क्षेत्र में ग्राम्य विद्युतीकरण

नई योजनायें—

७. भाखड़ा राइट बैंक परियोजना
८. कोटा बांध विद्युत् परियोजना
९. डीजल जनरेशन
१०. ट्रांसमिशन और वितरण
११. ग्राम्य विद्युतीकरण
१२. उपक्रमों का अधिग्रहण और लाइसेंसधारियों को ऋण
१३. परीक्षण प्रयोगशाला
१४. सर्वेक्षण और जांच
१५. चम्बल—पांचवां यूनिट
१६. व्यास परियोजना
१७. चम्बल क्षेत्र में तापीय केन्द्र
१८. भाखड़ा क्षेत्र में तापीय केन्द्र

राजस्थान में मुर्गी पालन केन्द्र

†१९१६. **श्री ओंकार लाल** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष १९६०–६१ में जिलावार कितने मुर्गीपालन केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) मुर्गी-पालन कार्य के लिये विकास खण्ड-वार कितनी मुर्गियां दी गयी हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख). राजस्थान सरकार से जानकारी मांगी गयी है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

होशियारपुर और कांगड़ा में किराये की इमारतों में डाक घर

†१९१७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के होशियारपुर और कांगड़ा जिलों में इस समय कितने डाक-घर किराये की इमारतों में चल रहे हैं; और

(ख) वर्ष १९६०–६१ में प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा कितना किराया दिया गया ?

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क)

होशियारपुर . . .	५४
कांगड़ा	३९
(ख) होशियारपुर . .	२२,११८·२ रुपये
कांगड़ा	१३,७९६·४२ रुपये

घाघराघाट पर रेलवे पुल

१९१८. श्री भ० दी० मिश्र : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले अनुमति लेने पर या रेलवे पासों पर मन्त्री, जिला मजिस्ट्रेट और संसद् तथा विधान सभा के सदस्य उस समय भी घाघराघाट के रेलवे पुल को अपनी मोटरों में पार कर सकते थे जब नदी में बाढ़ आने के कारण ऐसा करना खतरनाक होता था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के उस पुल पर से यह व्यवस्था समाप्त कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) पिछले विश्व युद्ध के समय अस्थायी रूप से केवल सैनिक यातायात के लिये इस पुल पर अस्फाल्ट की सड़क बनायी गयी थी । युद्ध समाप्त हो जाने के बाद यद्यपि प्रतिरक्षा मन्त्रालय को इस सड़क की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर उसी के खर्चे से असैनिक यातायात के सीमित उपयोग के लिये यह सड़क कायम रखी गयी ।

(ख) और (ग). इस पुल के गर्डर बदलने के सम्बन्ध में काम हो रहा है जिसकी वजह से अभी हाल में सड़क बन्द कर दी गयी है । पुल के गर्डर बदलने की योजना तैयार करने से पहले राज्य सरकार से पूछा गया था कि क्या वह नये गर्डरों वाले पुल पर सड़क-डेक बनवाना चाहेगी । लेकिन राज्य सरकार डेक की व्यवस्था के सम्बन्ध में राजी नहीं हुई । क्योंकि सड़क-डेक का उपयोग बहुत सीमित था, और इस पर खर्च बहुत अधिक आता था । इसके अलावा पुल बहुत लम्बा है (२०० से १७ स्पेन) और इस पर रेल यातायात भी काफी बढ़ गया है । इस दृष्टि से सड़क-डेक की व्यवस्था से रेल-यातायात पर बुरा असर पड़ेगा । यहां यह बताना भी असंगत न होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुल के पास जनता के लिये घाट-उतराई का प्रबन्ध कर दिया है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

किराये के मकानों में डाकघर

१९१९. श्री अमर सिंह डामर : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेण्ट्रल सर्कल (नागपुर) के कितने डाकघर इस समय किराये के मकानों में हैं;

(ख) सरकार किराये के मकानों में चलने वाले डाकघरों के लिये कितना किराया प्रतिमास देती रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या डाक विभाग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में उन डाकघरों के लिये विभाग के निजी मकान बनाने की कोई योजना रखी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : (क) ५१३।

(ख) २३६३७ रुपये।

(ग) जी हां, उपयुक्त स्थानों के उपलब्ध होने और प्राप्त राशियों की सीमा में, इस समय किराये के मकानों में चलने वाले ५६ डाकघरों के लिये विभागीय इमारतें बनाने की योजना है।

(घ) लगभग १५ लाख रुपये।

केन्द्रीय परिमण्डल के डाक-घरों में सेविंग बैंक

१९२०. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय परिमण्डल के ऐसे कितने डाक-घर हैं जहां सेविंग बैंक की सुविधा मौजूद है; और

(ख) ऐसे डाकघरों के सेविंग बैंक की चालू पूंजी इस समय कितनी है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्) : (क) २१३८।

(ख) ३१ मार्च, १९६० को सेण्ट्रल परिमण्डल में डाक घर बचत बैंक की इतिशेष रकम १६,६३,९६,७३० रुपये थी।

केन्द्रीय परिमण्डल में डाक तथा तार घर

१९२१. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय परिमण्डल में कितने डाक तथा तार-घर, सार्वजनिक टेलीफोन, दफ्तर और शाखा डाक-घर खोले जायेंगे ?

परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्) : केन्द्रीय परिमण्डल में जिन डाक, तार तथा सार्वजनिक टेलीफोन घरों को खोलने का प्रस्ताव है, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

डाकघर	१,५६७
तारघर	१७
सार्वजनिक टेलीफोन घर	४३

अधिकांश नए डाकघर शाखा डाकघर होंगे।

डाक-घरों में टेप रिकार्डिंग की मशीनें

१९२२. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय परिमण्डल के डाक विभाग के पास टेप रिकार्डिंग की मशीनें कितनी हैं ;

(ख) ये टेप रिकार्डिंग की मशीनें किन-किन शहरों में खास कर रखी हुई हैं ; और

(ग) क्या टेप रिकार्डिंग की मशीनों का कभी उपयोग भी किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्री (डॉ० प० सुब्बरायन्): (क) कुछ नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

फोनोग्राम सेवा

१९२३. श्री अमर सिंह डामर : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय परिमण्डल के किन-किन स्टेशनों पर फोनोग्राम सेसा की व्यवस्था की गई है; और

(ख) इस प्रगति से डाक तथा तार विभाग को क्या लाभ हो रहा है ?

परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्) : (क) तथा (ख). सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०८]

डाक तथा तार सलाहकार समितियां

१९२४. श्री अमर सिंह डामर : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश की राजस्व कमिश्नरियों में संसद् सदस्यों और विधान-सभा सदस्यों की उन सलाहकार समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं जिनकी बैठकें केन्द्रीय परिमण्डल में पोस्टमास्टर जनरल ने १ मई, १९६१ से अब तक कीं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा०प० सुब्बरायन्)**: स्पष्ट रूप से विभिन्न राजस्व मंडलों में परिमंडल-अध्यक्षों द्वारा कुछ संसद् सदस्यों और विधान-सभा सदस्यों के साथ की गई अनौपचारिक बैठकों की ओर संकेत किया गया है । केन्द्रीय परिमण्डल में डाक-तार महाध्यक्ष ने इंदौर में १ अगस्त, १९६१ और रीवां में ५ अगस्त, १९६१ को इस प्रकार की बैठकें की थीं । इन आमंत्रित व्यक्तियों में से केवल नौ इंदौर में तथा केवल आठ रीवां में हुई बैठक में उपस्थित थे । आमंत्रित सदस्यों और जो सदस्य कि बैठकों में उपस्थित थे, उनकी सूचियां संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० ३१४०/६१]

बलूरघाट और रायगंज के साथ रेल सम्पर्क

†**१९२५. श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदा से सिलीगुडी तक निर्माणाधीन बड़ी लाइन को पश्चिमी दीनाजपुर में बलूरघाट और रायगंज के साथ मिलाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या पग उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में यह प्रस्ताव शामिल नहीं है ।

माल डिब्बों का आवंटन

१९२६. श्री जगदीश अवस्थी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के झिंजर और रूड़ा स्टेशनों से तिलहन और खाद्यान्न के संभरण के लिये व्यापारियों को गत वर्ष के प्रत्येक मास में कितने माल डिब्बे दये गये ;

(ख) क्या व्यापारियों ने माल डिब्बों की कमी की शिकायत की है; और

(ग) यदि हां, तो कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अगस्त, ६० से जुलाई, १९६१ तक झींझक और रूरा स्टेशनों पर हर महीने जितने माल डिब्बों में तिलहन और अनाज का लदान हुआ उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	झींझक		रूरा	
	तिलहन	अनाज	तिलहन	अनाज
अगस्त, १९६०	१	१४	८	११
सितम्बर, १९६० .	३	८	२१	११
अक्टूबर, १९६०	३	१२	६	४
नवम्बर, १९६०	५	२०	१७	१
दिसम्बर, १९६० .	५	१८	१७	१३
जनवरी, १९६१	१	२३	१८	८
फरवरी, १९६१	—	२९	६	१६
मार्च, १९६१	५	१६	११	३१
अप्रैल, १९६१	८	२२	१४	२१
मई, १९६१	३६	३९	४७	२४
जून, १९६१	९	२८	३०	३६
जुलाई, १९६१ . .	१४	४२	२०	३३

(ख) पिछले साल कोई निश्चित शिकायत नहीं मिली।

(ग) सवाल नहीं उठता।

कानपुर-झांसी ब्रांच लाइन के बिनौर पर हाल्ट स्टेशन

१९२७. श्री जगदीश अवस्थी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे स्थित कानपुर-झांसी ब्रांच लाइन में बिनौर में ठेके पर एक हाल्ट स्टेशन खोलने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उक्त स्टेशन कब से चालू हो जायेगा ?

रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) हाल्ट स्टेशन का प्रबन्ध एक ठेकेदार के हाथ में देने का विचार है। टिकट बेचने और इकट्ठा करने का काम भी उसी ठेकेदार को दिया जायेगा।

(ग) अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हाल्ट स्टेशन किस तारीख को खुलेगा।

रेलवे में धोखा निरोधक निरीक्षक[1]

†**१९२८. श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज़ोनल रेलवे में धोखा-विरोधी इन्सपेक्टर नियुक्त किये गये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Anti-fraud Inspectors

(ख) क्या पुर्वोत्तर रेलवे को भी ये इन्सपेक्टर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां । कुछ रेलवे में विशेषत: टिकटों सम्बन्धी धोखे के मामलों के लिये ।

(ख) और (ग) .जी, नहीं । क्योंकि धोखे के मामलों के लिये पुर्वोत्तर रेलवे पर वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है ।

विमान सेवायें

†**१६२६. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता/जोरहाट/मोहनबाडी/जोरहाट/कलकत्ता मार्ग पर एक 'फ्रेन्डशिप' सेवा चालू की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब से ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस समय कलकत्ता/गौहाटी/मोहनबाडी सेवा को जोरहाट से मिलाने की कोई प्रस्थापना है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

नये डाक टिकट

१६३०. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, १६५८ से जुलाई, १६६१ तक कितने नये डाक-टिकट निकाले गये ;

(ख) प्रत्येक टिकट के डिज़ाइन बनाने में क्या खर्च हुआ ;

(ग) क्या इन नये डाक-टिकटों पर जिस मास व सन् में टिकट जारी किया जाता है वह उस पर लिखा जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्) : (क) एक विवरण-पत्र, जिसमें जनवरी १६५८ से जुलाई, १६६१ तक जारी किये गये नए डाक-टिकटो की संख्या दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०६]

(ख) केवल डिज़ाइन बनाने के बारे में सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि भारतीय सुरक्षा प्रैस, नासिक द्वारा प्रत्येक बार टिकट निकालने पर टिकटों के डिज़ाइन बनाने, उन्हें छापने और उनके विनरण आदि पर खर्च होने वाली समूची रकम को लागत मूल्य के रूप में इकट्ठा ही इस विभाग के नाम आकलित किया जाता है ।

(ग) जी नहीं, उन मामलों के अलावा जिनमें कि जारी किये जाने वाले टिकट का उस अवसर से सीधा संबंध हो जिसकी स्मृति में टिकट जारी किया गया हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) वह महीना और सन्, जिसमें टिकट जारी किया जाता है, इतने महत्व का नहीं होता बल्कि उस अवसर या व्यक्ति का महत्व होता है जिसकी स्मृति या सम्मान में वह जारी किया जाता है ।

कृष्णा नदी पर पुल का पुर्नानर्माण

†१९३१. { **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-रेलवे पर शोलापुर-हुबली सैक्शन में अलीमत्ती और सीथी-मणि के बीच कृष्णा नदी पुल का पुर्नानिर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र में कृष्णा नदी पर प्रस्तावित बांध को ध्यान में रखते हुये इस मामले में मैसूर राज्य सरकार से परामर्श लिया गया है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग) . जी, नहीं । प्रश्नाधीन रेलवे पुल पर नये गर्डर लगाये जाने वाले थे परन्तु यह कार्य इसलिये स्थगित कर दिया गया है क्योंकि मैसूर सरकार ने रेलवे पुल के निचली ओर कृष्णा नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव किया है । बांध से जो जलाशय बनेगा, उससे सीतीमणि स्टेशन पर पुल समेत रेलवे लाइन का एक भाग जलमग्न हो जायेगा इस से लगभग १३ मील लम्बी रेलवे लाइन का स्थान बदलना पड़ेगा और कृष्णा पर नया पुल बनाना पड़ेगा । इस मामले का योजना आयोग और सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के परामर्श से परीक्षण किया जा रहा है ।

पूना में टेलीफोन एक्सचेंज

†१९३२. { **श्री गु० के० जेधे :**
श्री पांगरकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना शहर में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) औद्योगिक बस्तियों में टेलीफोन कनेक्शनों की मांग को पूरा करने के लिये अब तक क्या पग उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : (क) जी, हां ।

(ख) दीर्घ-कालीन मांगों को पूरा करने के लिये पूना में लगभग ३,००० लाइनों वाला एक तीसरा एक्सचेंज खोला जायेगा। इस कार्य के लिये, टेलीफोन एक्सचेंज की एक नई इमारत बनानी पड़ेगी । उसके लिये भूमि लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है ।

(ग) पिम्परी और हदसपर औद्योगिक बस्तियों में ५० लाइन वाले वर्तमान एक्सचेंजों के स्थान पर २०० लाइन का एक्सचेंज बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिश प्लेटों का हटाया जाना

†१९३३. { **श्री मु० के० जैन :**
श्री पांगरकर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५ और ९ अगस्त १९६१ के बीच महाराष्ट्र राज्य में ईंगतपुरी और छोटी स्टेशनों के बीच फिश-लेटें हटाई गई थीं ।

(ख) यदि हा, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

(ग) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वमी)** : (क) और (ख). जी हां। ७ और ८ अगस्त के बीच रात्रि को ईंगतपुरी और छोटी स्टेशनों के बीच पुल की रक्षा के लिये तैनात किये गये एक चौकीदार ने एक डाउन एक्सप्रेस गाड़ी को रोका और यह गाड़ी ड्राइवर तथा पुलिस रक्षादल को यह सूचित किया कि कुछ शरारती लोगों द्वारा पटरी खराब कर दी गई थी। पटरी का निरीक्षण किये जाने के बाद, यह पाया गया कि २ रेलवे पटरियों की बायें हांथ की ओर की चाबियां हटा दी गई थीं। और दो जोड़ों से चिटकनी के साथ फिशप्लेटों के पूरे दो जोड़े और फिशप्लेट चिटकनी तथा तीसरे जोड़ से बाहर वाली फिशप्लेट हटा दी गयी थी। इस कारण गाड़ी को ६ घंटे २० मिनट तक रुकना पड़ा।

(ग) पुलिस ने भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा १२६ के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और चौकीदार तथा २ अन्य गैंग मैनों को गिरफ्तार कर लिया है जो इस अपराध में सहयोगी बताये जाते हैं।

सिलीगुड़ी और कटिहार के बीच डिब्बों में जल व्यवस्था

†१९३४. { **श्री भोलानाथ विश्वास :**
श्री प्र० गं० सेन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में सिलीगुड़ी और कटिहार के बीच डिब्बों में जगह की कमी होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है ?

†**रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

कटिहार में ऊपरी पुल

†१९३५. { **श्री भोलानाथ विश्वास :**
श्री प्र० गं० सेन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटिहार में ऊपरी पुल का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इस के कब पूर्ण होने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) आशा है कि काम का रेलवे का भाग अर्थात् खास पुल १९६२ की समाप्ति से पूर्व पूर्ण हो जायेगा ।

टेलीफोन लेने के लिये प्रक्रिया

†१९३६. { **डा० क० ब० मेनन :**
श्रीरामजी वर्मा :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य तथा शेष भारत में टेलीफोन लगवाने के तरीकों में कुछ अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या व्योरा है ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्री (डा० प० सुब्बरायन्) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर हाजीपुर के समीप गाड़ी की टक्कर

†१९३७. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, १९६१ के पहले सप्ताह में पूर्वोत्तर रेलवे के हाजीपुर रेलवे स्टेशन के समीप कुछ रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक यात्री गाड़ी और एक माल गाड़ी के बीच टक्कर हुई ; और

(ख) यदि हां, तो जान व माल की कितनी हानि हुई ?

†रेलवे उपमन्त्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ६-८-१९६१ को लगभग ४ बजकर ४७ मिनट पर ८१-अप यात्री गाड़ी और एक जी० सी० अप मालगाड़ी की टक्कर हाजीपुर जंक्शन स्टेशन पर हुई । दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है ।

(ख) कोई व्यक्ति मरा नहीं । एक यात्री तथा तीन रेलवे कर्मचारियों को हल्की चोटें आईं । रेलवे संम्पत्ति को हुई हानि का अनुमान १४,००० रुपये लगाया गया है ।

स्थगन प्रस्ताव

स्वामी रामेश्वरानन्द जी पर बम फेंकने की कथित घटना

†अध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने एक स्थगन प्रस्ताव की पूर्व-सूचना दी है । प्रस्ताव निम्नलिखित है :

"रविवार, २० अगस्त, १९६१ की शाम को स्वामी रामेश्वरानन्द जी पर एक बम फेंकने से उत्पन्न स्थिति ।"

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि पंजाब की एकता को सुरक्षित रखने के लिये स्वामी रामेस्वरानन्द जी महाराज ने दिल्ली के आर्य समाज दीवान हाल में आमरण व्रत

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

रखा हुआ है । कल दिल्ली में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में इस सम्बन्ध में एक दिवस मनाया गया । जब दिल्ली दीवान हाल में इस प्रकार की एक सभा हो रही थी तो दो आदमियों ने स्वामी रामेश्वरानन्द जी के ऊपर बम फेंका । सौभाग्य से बात ऐसी हुई कि वह बम फट नहीं पाया । उसी समय जो स्वयंसेवक वहां थे उन्होंने उस बम को अपने अधिकार में कर लिया और बाहर जो पुलिस खड़ी हुई थी उसके हाथों में उन्होंने फेंकने वालों को भी और बम को भी सौंप दिया ।

प्रातः काल मैंने डिप्टी कमिश्नर से टेलीफोन पर जानकारी लेनी चाही । उन्होंने कहा कि अभी तक हम इस बात का निर्णय नहीं कर सके है कि वह बम है या क्रैकर है क्यों कि आगरे से कोई स्पेशलिस्ट बुलाया गया है जो उसका निरीक्षण करेगा । लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी, इतनी बड़ी सभा में, जिसमें कोई ४०, ५० हजार की उपस्थिति थी, कोई उपदव किसी प्रकार का नहीं होने दिया गया । फिर भी इससे दिल्ली के अन्दर तनाव पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है । ऐसी ही एक घटना पंजाब में कल हो गई । आप ने 'स्टेट्समैन' में देखा होगा कि कल पटियाला में जब पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेजिडेंट, सरदार दरबारा सिंह, एक पंजाबी लेखक सम्मेलन में बोल रहे थे तो वहां के एक अकाली ने रिवाल्वर से फायर किया और "पंजाबी सूबा जिन्दाबाद" इस तरह के नारे लगाता रहा । ऐसी स्थिति में जब मास्टर तारासिंह के अनशन को लेकर आज तनाव पैदा किया जा रहा है और हिन्सात्मक वातावरण बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तब सुरक्षा के लिये क्या उपाय बरते जा रहे हैं, इसकी जानकारी के लिये आवश्यक है कि तमाम समस्यायों पर गम्भीरता से कोई निर्णय किया जाये ।

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : यह दिल्ली के बारे में है। यह तो बिल्कुल ही दूसरी चीज़ है ।

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य ने सभी तथ्य बता दिये हैं । इससे अधिक हमें कोई जानकारी नहीं । जांच चल रही है । वह बम जांच के लिये आगरा भेजा जा चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य की शिकायत है कि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ऐसी बात नहीं है ।

†**श्री दातार** : दिल्ली की घटना के सम्बन्ध में सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी है । विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और चार-पांच व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है । वह पटाखा था । सरकार यह पता लगा रही है कि वह आया कहां से था । सरकार ने तनाव कम करने के लिये उचित कार्यवाही की है । उपवास जहां चल रहा है उस दीवान हाल के आस पास २५ पुलिस मैन चौकसी के लिये रखे गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे देखते हुये अब स्थगन प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती ।

भारतीय गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित धावा

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री स० मो० बनर्जी ने एक इस स्थगन-प्रस्ताव की पूर्व-सूचना दी है :—

"१८ अगस्त, १९६१ को करीमगंज सीमा पर स्थित एक भारतीय गांव, अर्थात् शैलुद बाग पर सशस्त्र पाकिस्तानी राष्ट्र-जनों द्वारा धावा करने की खबर, जिसमें एक व्यक्ति मरा और कई को गम्भीर चोटें आईं, पर तुरन्त चर्चा करने की आवश्यकता ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हेम बरुआ ने भी इसी की पूर्व-सूचना दी है। क्या माननीय सदस्यों के पास समाचार पत्रों की सूचना के अतिरिक्त कोई और भी जानकारी है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : हिन्दुस्तान टाइम्स के समाचार के अनुसार, ३० पाकिस्तानी राष्ट्रजन नावों द्वारा भारतीय गांव में घुस कर कई व्यक्तियों को सख्त घायल कर गये हैं। जिनमें से एक की मृत्यु हो गई है। फिर प्रधान मंत्री कैसे कहते हैं कि सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की जा चुकी है ? इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या किया गया है ?

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : प्रधान मंत्री का दावा है कि नहरी पानी सन्धि के बाद से अब भारत-पाक सीमा पर शान्ति है। लेकिन यह घटना उनके दावे को ग़लत सिद्ध करती है। हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे इसे देखती क्यों रहती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चर्चा करने से पहले हमें सभी तथ्यों का पता लगा लेना चाहिये। इस तरह अखबारों की खबरों पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। हमें इस घटना की कोई जानकारी नहीं। हम पाकिस्तान सरकार से पूछेंगे। हो सकता है कि यह आम तौर पर होने वाली डकैतियों में से ही एक हो। बिना पूरी जानकारी के चर्चा करना व्यर्थ है।

†**श्री हेम बरुआ** : आसाम सरकार ने अभी तक भारत सरकार को इसकी सूचना नहीं भेजी— इसी से पता चलता है कि राज्य की क्या हालत है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रधान मंत्री ने कहा है कि इसकी जांच की जा रही है और सचाई का पता लगाने की कोशिश हो रही है। इसलिये मैं इस स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वित्त उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिनहा)**: मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(एक) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ५ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १००१।

(ख) दिनांक ५ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १००२।

(दो) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ५ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १००३ की एक प्रति, जिसमें दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७२ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

(तीन) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९९७ ।

(ख) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९९८ ।

(ग) दिनांक ५ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १००४ ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ३१२४/६१ एल० टी० ३१२५/६१ और एल० टी० ३१२६/६१]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव :** (१) मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प तथा कोर्ट फीस विधियां) विधेयक, १९६१ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(२) कि लोक-सभा द्वारा ९ अगस्त, १९६१ को पारित खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक को राज्य सभा ने अपनी १७ अगस्त, १९६१ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(३) कि लोक-सभा द्वारा १० अगस्त, १९६१ की बैठक में किये गये इस संशोधन को राज्य-सभा ने अपनी १७ अगस्त, १९६१ की बैठक में स्वीकार कर लिया है :

Clause 2—

That at page 2—

for lines 6 to 14, *substitute* —

"(2A) Where in respect of an industrial dispute relating to the rates of wages payable to any of the employees employed in a scheduled employment, any proceeding is pending before a Tribunal or National Tribunal under the Industrial Disputes Act, 1947 or before any like authority under any other law for the time being in force, or an award made by any Tribunal, National Tribunal or such authority is 'in operation, and a notification fixing or revising the minimum rates of wages in respect of the scheduled employment is issued during the pendency of such proceedings or the operation of the award, then, notwithstanding anything contained in this Act, the minimum rates of wages so fixed or so revised shall not apply to those employees during the period in which the proceeding is pending and the award made therein is in operation or, as the case may be, where the notification is issued during the period of operation of an award, during that period; and where such proceeding or award relates to the rates of wages payable to all the employees in the scheduled employment, no minimum rates of wages shall be fixed or revised in respect of that employment during the said period.' "

---

†मूल अंग्रेजी में

[खण्ड २—

पृष्ठ २ पंक्तियां ६ से १४ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

["(एक) किसी अनुसूचित रोजगार में काम करने वाले किसी कर्मचारी को देय मजूरी की दरों से सम्बन्धित किसी औद्योगिक विवाद का मामला हो और उसकी कोई कार्यवाही औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अधीन किसी न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सामने विचाराधीन हो, या उक्त समय पर प्रचलित किसी कानून के अधीन बनाये गये किसी प्राधिकार जैसी संस्था या किसी न्याया-धिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण या किसी विद्यमान ऐसे प्राधिकार के किसी संचार के अधीन ऐसी कार्यवाही के विचाराधीन समय में या ऐसे पंचाट के चालू रहते समय में अनुसूचित रोजगार के सम्बन्ध में मजूरी की न्यूनतम दरों को निश्चित करने या उनमें संशोधन करने की कोई अधिसूचना जारी की जाय तो इस अधिनियम में उल्लिखित बातें के होते हुए भी मामले के विचाराधीन रहने की अवधि में या पंचाट के लागू रहने की अवधि जैसा भी मामला हो संशोधित या पुनरीक्षित मजूरी की न्यूनतम दरें, उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगी चाहे उस पंचाट के प्रवर्तन काल में कोई अधिसूचना निकाली गई हो और ऐसे मामलों में जिनमें कार्यवाही या पंचाट उस अनुसूचित रोजगार में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को देय मजूरी की दरों से सम्बद्ध हो, उक्त अवधि में मजूरी की कोई भी न्यूनतम दरें न तो निर्धारित की जायेगी और न उसका संशोधन किया जायेगा।"]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व-सूचना के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री ब्रजराज सिंह ने अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के एक प्रस्ताव की सूचना दी थी, लेकिन वह सभा में उपस्थित नहीं हैं। इसलिये उसे नहीं लिया जायेगा ।

समिति के लिये निर्वाचन

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

†**खाद्य और कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा के सदस्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों के नियम ६ (६) के साथ पठित, उक्त परिषद् के नियम २(६) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, श्री संगण्णा के स्थान पर जिन्होंने लोक-सभा से त्याग-पत्र दे दिया है, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिये, अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक-सभा के सदस्य भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के नियमों के नियम ६(६) के साथ पठित, उक्त परिषद् के नियम २(६) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसे

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

३० अध्यक्ष निदेश दें, श्री संगण्णा के स्थान पर जिन्होंने लोक-सभा से त्याग-पत्र दे दिया है, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सदस्य के रूप में काम करने के लिये, अपने में से एक सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तृतीय पंच वर्षीय योजना पर, जो ७ अगस्त, १९६१ को सभा-पटल पर रखी गई थी, विचार किया जाये ।"

मैंने आज से ठीक एक वर्ष पहले, २२ अगस्त, १९६० को तृतीय योजना की प्रारूपित रूपरेखा पर विचार करने का प्रस्ताव रखा था । सभा ने उसका अनुमोदन किया था । मैंने ही प्रथम पंच-वर्षीय योजना दिसम्बर, १९५२ और द्वितीय योजना मई, १९५६ में सभा के सामने रखी थी ।

मैं योजना आयोग का सभापति हूं, परन्तु मैं इसे योजना आयोग की ओर से पेश नहीं कर रहा हूं, इसलिये कि यह योजना सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, मुख्य मंत्रियों, अन्य संगठनों और विशेषज्ञों तथा पंचायतों के सम्मिलित प्रयास का फल है । इसकी विभिन्न अवस्थाओं पर, संसद्-सदस्यों ने भी इसकी तैयारी में योग दिया है । इसके प्रकाशन के बाद से अब तक अधिकांश लोगों की प्रतिक्रिया इसके पक्ष में ही रही है । थोड़ी आलोचना भी हुई है । कुल मिला कर इसका स्वागत ही हुआ है ।

यह सही है कि सत्तारूढ़ दल इस योजना का पूरा-पूरा समर्थन करता है, इसलिये कि यह योजना उन सिद्धान्तों की प्रतीक है जो पिछले ३२ वर्ष से उसके अपने रहे हैं ।

१९२९ से ही कांग्रेस के दो ही उद्देश्य रहे हैं : लोकतंत्र और समाजवाद । कांग्रेस के संकल्पों में जहां तहां समाजवाद का जिक्र आता रहा है । उसका विचार और उसकी धारणा का विकास क्रमशः होता रहा है । बल्कि १९२९ से पहले भी कांग्रेस में ऐसे लोग रहे हैं जो इन उद्देश्यों में विश्वास करते थे ।

इसीलिये मैं कहता हूं कि इस तृतीय योजना को दलगत भाव से नहीं, राष्ट्रीय भाव से स्वीकार किया जाना चाहिये । इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये । जाहिर है कि आलोचना और सुधारों की गुंजाइश तो रहनी ही चाहिये । मुझे गर्व है इस बात पर कि इस योजना में जिस व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण को रखा गया है, उस पर कांग्रेस ने शुरू से जोर दिया है ।

और, देश स्वतंत्र होने के बाद, हमने इस सामाजिक दृष्टिकोण को अमल में लाने का प्रयास किया है पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा । धीरे-धीरे योजनीकरण का यह विचार जनता के सोचने का तरीका बनता जा रहा है । जनता अब इनको अधिक समझने और इनका अनुमोदन करने लगी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछले कुछ गत वर्षों से, शायद दस अथवा कुछ अधिक वर्षों से हम योजना बना रहे हैं और निश्चय ही यह आश्चर्य की बात है कि इस योजना ने विदेशों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और यह बात गौरव की भी है। हमारी योजनाओं ने उन देशों का ध्यान भी आकर्षित किया है जिनकी अर्थ व्यवस्था हमारी अर्थ व्यवस्था से भिन्न है। मैं यह तो नहीं कहता कि हमने जो कुछ कहा है अथवा जो कुछ करने का हमारा इरादा है उससे वे पूर्णतः सहमत हैं लेकिन उन्होंने इस बात को अधिक महत्व दिया है कि भारतीय अत्यधिक परिश्रम कर रहे हैं। उन्होंने योजना के मूल सिद्धान्तों को स्वीकार किया है। योजना के सामान्य ढांचे को भी उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अपने देश में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो उन बातों को भी नहीं समझते हैं जिनकी महानता को विदेशियो ने समझा है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मैं आलोचना पसन्द नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आलोचना की जाये।

मैं कहूंगा कि हमारी योजना, यदि इसके स्थूल रूप को तथा इसके विभिन्न पहलुओं को लिया जाये तो, एक ऐसी योजना है जो वर्तमान परिस्थितियों में हमारे ऊपर थोप दी गई है। और ऐसे देशों द्वारा बहुत पसन्द की जा रही है जो कि इसके लिये कुछ करना चाहते हैं। वे देश हमारे देश की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील हैं। वे विभिन्न कारणों के आधार पर इस योजना में एवं हमारी प्रगति में रुचि रखते हैं।

सर्वप्रथम मैं उन लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस योजना को तैयार किया है। विशेष रूप से मैं श्री वी० टी० कृष्णमाचारी के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने योजना आयोग में दस वर्ष तक कार्य किया। उनके परिश्रम एवं उनकी कार्यसंचालन गति एवं उन्होंने योजना के कार्य में जो सहायता दी है उस के आधार पर मैं कह सकता कि वह योजना की आधार भित्ति हैं। हालांकि अब वह योजना आयोग में नहीं हैं किन्तु अब वह राज्य सभा के सदस्य हैं और उनका परामर्श एवं उनका पथ प्रदर्शन अब भी हमें मिल सकता है। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष के प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्हों ने अकथ उत्साह एवं परिश्रम से कार्य किया है। जिस सामाजिक उद्देश्य को सामने रख कर उन्होंने यह योजना तैयार की है निसन्देह वह सराहनीय है। पहली, दूसरी योजनाओं में इस उद्देश्य की झलक मिलती है और तीसरी योजना में इसकी आभा अधिक से अधिक दिखाई पड़तीहै। यह बात सत्य है कि एक उद्देश्य की पूर्ति करते समय विभिन्न प्रकार की अन्य कठिनाइयां भी हमारे सामने आया करती हैं।

यह योजना हमारे सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल है। इस योजना में सामाजिक पहलुओं पर अधिक से अधिक बल दिया गया है।

पिछले दस वर्षों की योजना अवधि में हमने देखा है कि हमारी प्रगति जो कि रुकी थी उस को आगे बढ़ाया है।

पहली दो योजनाओं के दौरान में राष्ट्रीय आय में ४२ प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस दौरान में जनसंख्या में ७७० लाख की वृद्धि हुई है लेकिन इस के बावजूद भी प्रति व्यक्ति की आय २८४ रु० बढ़ कर ३३० रुपये हो गई है। सभी क्षेत्रों में हुई वृद्धि ही इस वृद्धि का कारण है। इस दौरान में कृषि में, औद्योगिक उत्पादन में, तथा विद्युत् शक्ति के उत्पादन में क्रमशः ४१, ६४ और १४८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यातायात के आवागमन में वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। प्रविधिक शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। शिक्षा के क्षेत्र की यह वृद्धि काफी महत्वपूर्ण है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बढ़ती हुई शिक्षा के कारण एक प्रकार से सामाजिक क्रान्ति हुई है। जहां कभी बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वहां वे अब स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। वह बात दूसरी है कि शिक्षा की

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

किस्म अच्छी नहीं है । शिक्षा के क्षेत्र में इस बात की आवश्यकता है कि बच्चों के लिये दुपहर के खाने की व्यवस्था की जाये । मद्रास सरकार ने इस बारे में पग उठाया है और आशा है कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे ।

इन वर्षों का एक उल्लेखनीय पहलू वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्र में की गई प्रगति है । इस प्रगति को और तीव्रगामी बनाने के लिये हम ने आधार तैयार कर दिये हैं । इन वर्षों में जीवन निर्वाह की दशा में सुधार के फलस्वरूप देश के लोगों की औसत आयु ३२ से बढ़ कर ४७.५ हो गई है । यह वृद्धि बहुत ही प्रशंसनीय है ।

इन दस वर्षों के दौरान में विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के सम्बन्ध में हमारे सामने बहुत सी कठिनाइयां आईं । ९० लाख व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आये ।

इस अवधि मे हमारे सामने दो सामाजिक उद्देश्य थे । (१) लोकतंत्रीय आधार पर तीव्रता के साथ विस्तार और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था की स्थापना, (२) सामाजिक न्याय के आधार पर सामाजिक ढाँचा तैयार करना एवं प्रत्येक नागरिक को समान अवसर देना । इन उद्देश्यों को सदैव ही ध्यान में रखा तथा रखना होगा वर्ना सारा उद्देश्य ही निष्फल हो जायेगा । हमारी योजनाओं के सामाजिक लक्ष्य अपने सामने रखने के लिये हमें पंचवर्षीय योजना ही नहीं वरन् एक ऐसी योजना बनानी चाहिये जिस से लाभ दीर्घकाल तक प्राप्त होते रहें । हमारा यही करने का इरादा है। योजना आयोग का एक मुख्य कार्य होगा पन्द्रह वर्षीय योजना तैयार करना ।

राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई है । १९६०-६१ में यह आय १४,५०० करोड़ रुपये होगी और १९७५-७६ में यह आय बढ़ कर ३३-३४,००० करोड़ रुपये हो जायेगी । ऐसी आशा है कि प्रति व्यक्ति की आय भी जो अब ३३० रुपये है १९७५-७६ में बढ़ कर ५३० रुपये हो जायेगी । पहली योजना में ३,३६० करोड़ रुपये, दूसरी में ६,७५० करोड़, तीसरी में १०,५०० और चौथी तथा पांचवीं योजनाओं में क्रमश: १७,००० और २५,००० करोड़ रुपये लगाये जायेंगे । अस्थायी तौर पर हम ने चौथी योजना के लिये लक्ष्य भी तैयार कर लिये हैं कि किस किस वस्तु का कितना उत्पादन होगा और उन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रख कर हमें पन्द्रह वर्षीय योजना तैयार करनी होगी । हर योजना के दो पहलू हुआ करते हैं । एक पहलू तो उसका काम होता है अर्थात् कितना कार्य उस योजना के दौरान में किया जायेगा और दूसरा पहलू होता है कि उस योजना को क्रियान्वित करने के लिये हमारे पास कितना धन है ।

योजना के लिये बाहरी सहायता एवं विदेशी मुद्रा की काफी आवश्यकता है । यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें कुछ मित्र राष्ट्रों से सहायता मिली भी है । और इसके लिये हम उन के आभारी हैं । यह बात स्मरणीय है कि हमें चाहे जो कुछ सहायता मिले वास्तव में भार तो हमारी जनता पर है क्योंकि हमें वह सहायता व्याज सहित लौटानी पड़ेगी । कुछ लोगों का (विशेषत: पाकिस्तान का कहना है कि हम जो यह सहायता ले रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से तो असैनिक कार्यों के लिये है किन्तु वस्तुत: यह प्रतिरक्षा के लिये है । मैं कहूंगा कि उन का ऐसा सोचना ग़लत है । क्योंकि विदेशों से हमें जो सहायता मिलती है उसके फलस्वरूप हमारे अपने संसाधन प्रतिरक्षा के लिये नहीं बचे रहते जैसाकि कुछ लोगों ने कहा है । किन्तु यह दूसरी बात है कि बढ़ते हुए औद्योगीकरण के साथ हमारी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ती है ।

यदि विदेशी मुद्रा हमें न मिले तो शायद हम योजना को क्रियान्वित न कर सकें। लेकिन साथ ही यह भी ठीक है कि विदेशी मुद्रा का हमारे ऊपर अतिरिक्त भार है। गत दस वर्षों में बहुत से उपक्रमों की स्थापना हुई है। आज हमारे यहां लोकोमोटिव, गाड़ी के डिब्बे, वैगन, मशीनी औजार बनाने वाले बहुत से कारखाने हैं। इनके अतिरिक्त हम और भी कारखानों की स्थापना कर रहे हैं। अन्ततोगत्वा इससे हमारा लाभ ही होगा। तीसरी योजना के दौरान में हम कृषि उत्पादन में ३० प्रतिशत, खाद्यान्न में ३२ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में ७० प्रतिशत, इस्पात इगनोट में १६३ प्रतिशत, अल्मूनियम में ३३२ प्रतिशत, मशीनी औजार में ४४५ प्रतिशत और विद्युत् मे १२३ प्रतिशत की वृद्धि करना चाहते हैं।

निर्यात पर अधिक महत्व दिया गया है। यह ठीक भी है क्योंकि निर्यात के द्वारा ही इन बड़े बड़े ऋणों की अदायगी हो सकती है। अतः निर्यात बढ़ाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आजकल निर्यात के लिये जो बाजार है हम चाहते हैं कि उन के अतिरिक्त और भी बाज़ार हो। इस क्षेत्र के लिये हमें प्रयत्न करना होगा।

यह तीसरी योजना प्रतिरक्षा के लिये कुछ नहीं करती। गत दस वर्षों के दौरान में प्रतिरक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। सिद्धान्ततः यह बात है कि प्रतिरक्षा की उन्नति औद्योगिक उन्नति पर निर्भर करती है। प्रतिरक्षा सम्बन्धी कुछ चीजें हम ने अपने यहां तैयार की हैं। ये चीजें उतनी बढ़िया तो नहीं हैं जितनी कि होनी चाहियें लेकिन हम ने इस क्षेत्र में भी प्रगति की है। यह सत्य अवश्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी विज्ञान में हम ने काफ़ी उन्नति की है। साथ ही यह भी ठीक है कि कोई भी विज्ञान उस समय तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक वैज्ञानिकों को पूर्ण स्वतंत्रता न हो। चाहे सरकारी क्षेत्र हो अथवा गैरसरकारी क्षेत्र लेकिन तब तक उन्नति नही हो सकती जब तक कि जोखम न उठाया जाये।

यह बात भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार कार्य करते हैं। हमने विकेन्द्रीकरण की ओर कदम उठाया है। यह सत्य है कि प्रशासकों की बड़ी आवश्यकता है तथा उन्हें महत्व देने की भी ज़रूरत है लेकिन देखने में यह आया है कि आज वैज्ञानिक एवं प्रविधिक ही समाज का नियंत्रण कर रहे हैं। अतः इनको उचित सुविधायें एवं अवसर देने की आवश्यकता है। ताकि वे अच्छी तरह उन्नति कर सकें। हमें आज नये विश्व का, नये भारत का निर्माण करना है। सभी देश प्रगति पथ पर हैं वहां वैज्ञानिकों एवं प्रविधिज्ञों को उन्नति करने के लिये उचित अवसर एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम ने भी इस सिलसिले में एक योजना तैयार की थी और उस योजना पर पूर्ण रूप से तो नहीं किन्तु आंशिक रूप में उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है।

कृषि के सम्बन्ध में एक विचित्र कठिनाई है। वस्तुतः कृषि कालेजों में ऐसे ही मलोंग भरती होते हैं जिन्हें कहीं भी स्थान नहीं मिल सकता है। अर्थात् कृषि प्रशिक्षण में सर्वोत्त विद्यार्थी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। भले ही हम यह कहते रहें कि कृषि को पूर्ववर्तिता दी जाती है। क्या इस का कारण यह है कि कृषि स्नातक का भविष्य उतना उज्जवल नहीं समझा जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस ओर विचार किया जाये और उन के लिये अधिक अच्छे भविष्य की संभावनायें प्रस्तुत की जायें।

सामान्य दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि हमे प्रत्येक काम को वस्तुगत दृष्टिकोण रख कर करना चाहिये। हमें केवल अपना ही कार्य नहीं करना चाहिये अपितु अपने काम को जटिल कार्य का एक अंग समझना चाहिये। प्रत्येक संस्था या विभाग का दृष्टिकोण यही होना चाहिये केवल अपनी फाइलें निपटाना नहीं। जहां लोग ऐसा करते हैं वहां लोग अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। यद्यपि

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस दृष्टिकोण के अभाव में सफलता भी मिली है तथापि इतनी नहीं कि जितनी अन्यथा मिल सकती थी।

सभा को यह स्मरण होगा कि हमने कुछ समय पूर्व, देश की अतिरिक्त आय का कैसे और कहां विभाजन होता है, तथा किस सीमा तक देश की आय का केन्द्रीयकरण हो रहा है, इत्यादि विषयों पर एक समिति नियुक्त की थी। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक है। मैं समिति के कुछ सदस्यों से मिला भी, उन्हों ने कहा कि वे इस पर कार्य कर रहे हैं और वस्तुतः यह प्रश्न उनकी कल्पना से अधिक जटिल निकला है। ऐसे जटिल विषय को आप मोटे सिद्धान्तों का रूप दे कर टाल नहीं सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि समिति कुछ ठोस सिफारिशें करेगी जिन्हें हम स्वीकार कर सकते हैं।

सभा को इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना है। तथापि यह तथ्य है कि आर्थिक विकास और सामाजिक विकास कुछ बुनयादी तथ्यों पर आधारित हैं। बुनियादी बात यह है कि भारत और विश्व में शांति रहनी चाहिये। यदि विश्व में महायुद्ध हो जाये तो हमारी योजना की धज्जियां उड़ जायेंगी। इसी प्रकार यदि हम भारत में धर्म, जाति या भाषा के नाम पर इस प्रकार लड़ते रहेंगे तो इस से योजना के कार्य पर आघात होगा फलस्वरूप इस से भारत के भविष्य को चोट पहुंचेगी।

यहां मैं पंजाब की अशांत स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं। यद्यपि इसका योजना से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है तथापि इससे यह स्पष्ट है कि जनता दलगत और जातिगत दलबन्दियों में उलझी हुई है तथा उन्हें भारतीयता अथवा आधुनिक भारत के संबंध में कोई जिज्ञासा या प्रेम नहीं है। वे ऐसे विषयों में उलझे रहते हैं जो अपेक्षाकृत तुच्छ हैं तथा जिन्हें यदि आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो निपटाया जा सकता है। पंजाब अपने शौर्य के लिये प्रसिद्ध है तथा पंजाब के लोग अपनी वीरता के लिये विख्यात हैं दुख की बात है कि आन्तरिक विवादों के लिये उनकी वीरता का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि इस दलदल से मुक्ति का कोई मार्ग निकल आयेगा।

यद्यपि यह प्रश्न भाषा से उत्पन्न हुआ है तथापि अब भाषा का कोई प्रश्न इस मामले में अन्तर्ग्रस्त नहीं है। यह प्रश्न अब भाषा से हट कर दूर जा खड़ा हुआ है क्योंकि बुनियादी रूप से भी यह भाषा का प्रश्न नहीं था। वस्तुतः यह एक साम्प्रदायिक प्रश्न है जिसे भाषा का लिबास पहिना दिया गया है। जहां तक भाषा का प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंजाबी पंजाब की एक व्यापक भाषा है। यद्यपि पंजाब के कुछ भागों में हिन्दी की भी प्रधानता है। तथापि पंजाबी वहां की मुख्य भाषा है और वह काफी बड़ी संख्या में उस भाग में भी बोली और समझी जाती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पंजाबी बोल या समझ नहीं सकते हैं। हरियाना में भारत विभाजन के बाद से पंजाबी बोलने वाले काफी लोग बस चुके हैं। पंजाब का आप भले ही किसी प्रकार विभाजन करें, लोगों की काफी बड़ी संख्या असंतुष्ट रह जायेगी और वही समस्यायें और गम्भीर रूप में पैदा हो जायेंगी। अतः इस तनाव और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से जो कुछ भी किया जायेगा उसके परिणाम अशुभ होंगे।

भाषा के प्रश्न पर दस या बारह दिन पहिले मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। हमने तीन दिनों तक देश में भाषा की स्थिति पर चर्चा की। हम कुछ नतीजों

पर पहुंचे उनमें से अधिकांश पहिले के नतीजों से ही उत्पन्न होते हैं । तथापि कुछ परिवर्तन भी किये गये जिनका परिणाम मेरे विचार से अच्छा होगा । मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों के सम्मेलन में जो निर्णय किये गये उनका भारत में सर्वत्र स्वागत हुआ है । मेरे विचार से वे भविष्य के लिये अच्छे आधार का काम देंगे ।

भाषा के संबंध में हमारी सरकार या संविधान ने जो नीति अपनायी है वह कदाचित अत्यधिक उदार नीति है । भाषा के संबंध में कई देशों को काफी आपत्ति सहनी पड़ी है । उदाहरणार्थ श्री लंका में इस संबंध में काफी गड़बड़ी पैदा हुई । तथापि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में उदार नीति बरती है और हमारे संविधान में १३ या १४ राष्ट्रीय भाषाओं की सूची दी गयी है । इसके अतिरिक्त मातृ भाषाओं तथा अल्पसंख्यक भाषाओं की सुरक्षा का भी उपबंध किया गया है । इन बातों के क्रियान्वित करने पर भारत में विवाद का कोई कारण खड़ा हो ही नहीं सकता है ।

भाषा के प्रश्न को राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं अपितु शिक्षा के स्तर से देखना चाहिये । उसे राजनैतिक संतुलन को बदलने का साधन नहीं बनाना चाहिये । अतः इन बातों को भाषा के प्रश्न से नहीं मिलाना चाहिये ।

जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मुख्य मंत्री सम्मेलन में राष्ट्रीय एकीकरण और भाषा के प्रश्न पर विचार किया । उन्होंने अन्य विषयों पर भी विचार किया तथा उन पर विचार चलता रहेगा । क्योंकि यह प्रश्न एक जाग्रत प्रश्न है । इसके पश्चात् हमने निश्चय किया कि अधिक व्यापक पहल लेकर एक बड़ा सम्मेलन किया जाये, जिसमें सभा के तथा सभा के बाहर के सभी दलों के प्रतिनिधि रहेंगे । यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार करना होगा न कि दलगत दष्टिकोण से । यह सम्मेलन कदाचित २८ से ३० सितम्बर तक दिल्ली में होगा । संसद के सभी पक्षों के नेता इसमें भाग लेंगे और इसमें सहायता करेंगे । वस्तुतः यदि हमें अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना है तो राष्ट्रीयएकीकरण का यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ।

समाप्त करने के पूर्व में उस प्रतिवेदन से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं । आयोजित विकास के परिच्छेद के अंत में पृष्ठ १९ में यह लिखा गया है :

> "वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सतत प्रयत्न का नाम योजना है । सरकारी विभागों (एजेंसियों) को सभी महत्वपूर्ण निर्णय इन सामाजिक प्रयोजनों को ध्यान में रख कर करने चाहिये ।"

यदि विभिन्न एजेंसियां विरोधी दिशाओं में खींचेंगी तो योजना टूट जायेगी । अतः वे प्रमुख एजेंसियां जो योजना को क्रियान्वित करती हैं और इसका निश्चय करती हैं उनको यह आधार प्रयोजन ध्यान में रखना चाहिये ।

"पांच वर्ष की अवधि के लिये विचार करते हुए भी हमें आगामी दीर्घकालीन योजना पर भी विचार करना है । वस्तुतः आगे आने वाले समय के लिये योजना बनाना आयोजन का मुख्य तत्व है । जैसे जैसे इस प्रक्रिया का विकास होता जाता है जनता के विकास में एक गति आ जाती है । उनमें उपक्रम एवं प्रगति की भावना आ जाती है । वे जीवन के उद्देश्यों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और उनमें यह भावना आ जाती है कि वे इतिहास का निर्माण कर रहे हैं । अन्ततोगत्वा व्यक्ति का विकास ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है । भारत की जनता अपने समस्त भार और समस्याओं के साथ नये युग के द्वार पर खड़ी है । इस के पार जाने के लिये उन्हें साहस, उपक्रम, सहनशीलता, श्रम और भविष्य के प्रति उदात्त चेतना की आवश्यकता है ।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

इस प्रस्ताव पर कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव भी रखे गये हैं ।

मूल प्रस्ताव पर निम्नलिखित स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :--

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	स्थानापन्न प्रस्ताव का विषय
१	श्री नरसिंहन .	यह सभा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो ७ अगस्त, १९६१ को सभा पटल पर रखी गयी थी, विचार करने के पश्चात् योजना में रखे गये लक्ष्यों, पूर्व-वर्तिताओं और योजनाओं के प्रति अपनी सामान्य स्वीकृति और सहमति प्रगट करती है तथा राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत की जनता से यह अनुरोध करती है कि वे इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वीकार करें, दृढ़ता से इसे क्रियान्वित करें तथा इसके लक्ष्यों की प्राप्ति करें ।
२	श्री रंगा	यह सभा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो ७ अगस्त १९६१ को सभा पटल पर रखी गयी थी, से असहमति प्रगट करती है क्योंकि-- (क) अव्यवहारिक और अदूरदर्शी है । (ख) अतिरिक्त करों की संभावना, निरंतर घाटे की अर्थव्यवस्था का आश्रय ; तथा संसाधनों और व्यय के बीच गहरे अंतर से कीमतों में वृद्धि होगी ; इससे मुद्रास्फीति में वद्धि होगी । फलस्वरूप जनता की वास्तविक कम आय पर और अधिक भार पड़ेगा जिससे बचाने और पूंजी लगाने की ओर उन्हें प्रेरणा नहीं मिलेगी । इस मंहगी अर्थव्यवस्था का यह फल होगा कि भारत द्वारा निर्यात की गयी वस्तुएं, विश्व के बाजार में दूसरे देशों का मुकाबला नहीं कर पायेंगी ; (ग) विदेशों से अपने खतरे पर आने वाली समन्याय पूंजी को प्रोत्साहन देने की वांछनीयता की उपेक्षा की जा रही है जब कि विदेशों से लिये गये ऋण पर हम बहुत भरोसा कर रहे हैं फलस्वरूप देश का भविष्य उनके हाथों में बन्धक हो चुका है ।

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	स्थानापन्न प्रस्ताव का विषय
		(घ) भारी उद्योगों पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है जो कि दस वर्षों के भीतर पूर्ण निर्भरता प्राप्त करने के भयावह स्वप्न का परिणाम है जब कि कृषि एवं उपभोक्ता वस्तुओं को अपेक्षाकृत उपेक्षा से जनता के कष्ट एंव दुखों में वद्धि हो रही है तथा अधिकतम रोजगार की संभावनायें कम हो रही हैं ।
		(ङ) सरकारी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के प्रति पक्षपात किया जा रहा है तथा जनता की बचत उस ओर लगाने से संतुलन जनता के प्रतियोगी उपक्रमों तथा खुद काम करने वालों की अर्थव्यवस्था के विरुद्ध होकर नियंत्रण, कोटा प्रतिषेध और राज्य एकाधिकार तथा गैर-सरकारी एकाधिकारिताओं में व्यक्त होता है जहां वितरण में पक्षपात किया जाता है इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संकट में पड़ गयी है और राष्ट्रीय उत्पादन तथा आय को आघात हुआ है ।
		(च) क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने और अविकसित क्षेत्रों को विकसित करने का योजना में कोई प्रयत्न दृष्टिगोचर नहीं होता है ।
		(छ) बिना उपयुक्त अंकुश के संघ द्वारा राज्यों तथा राज्यों द्वारा स्थानीय संगठनों को सरकारी धन की बड़ी बड़ी रकमों के वितरण की व्यवस्था से प्रशासनिक व्यवस्था में राजनैतिक दबाव पड़ने की पूर्ण संभावना है जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार और अपव्यय होता है ।
		(ज) यह योजना भारतीय जनता के हितों के विरुद्ध है क्योंकि इससे वर्तमान पीढ़ी का जीवन स्तर गिरेगा, कुछ थोड़े लोगों के हाथों में राजनैतिक तथा आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो जायेगी जिससे नौकरशाही के हाथ मजबूत होंगे, अत्यधिक केन्द्रीकरण होगा, राज्यों के अधिकारों में वृद्धि हो जायेगी । श्रमिकों के सामूहिक समझौता करने तथा हड़ताल करने के अधिकारों पर कुठाराघात होगा जिसका यह नतीजा होगा कि देश से संसदीय लोकतंत्र और

स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	स्थानापन्न प्रस्ताव का विषय
		संविधान में उल्लिखित नागरिकों के बुनियादी अधिकार समाप्त हो जायेंगे ।
३	श्री इन्द्रजीत गुप्त	सभा तीसरी पंचवर्षीय योजना पर, जो ७ अगस्त १६६१ को सभा पटल पर रखी गयी थी दुख प्रगट करती है क्योंकि इसमें आर्थिक विकास का भार कम आय वाले वर्गों पर डाला गया है ।

†**श्री अशोक मेहता** (मुज्जफरपुर) : हमें यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिये कि पहिली योजनाओं में हम आशानुरूप सफलता प्राप्त नहीं कर सके । यदि हम अपनी प्रगति की तुलना अन्य देशों से करें तो यह ज्ञात होगा कि हमारी गति ईराक और थाईलैंड जैसे छोटे देशों से भी धीमी है । इस प्रकार हम समाजवाद और लोकतंत्रवाद की सफलता का एक अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सके हैं । पिछले दस वर्षों में हमारी प्रगति की गति केवल साढ़े तीन प्रति शत रही है जब कि न्यूनतम प्रगति ५ प्रतिशत होनी चाहिये थी ।

वर्तमान योजना में मुद्रास्फीति की संभावना बहुत अधिक है । इस खतरे की संभावना से तभी मुक्ति मिल सकती है जब कि हम सभी क्षेत्रों में अपने उत्पादक कार्यों को अधिक कुशलता-पूर्वक करें । यह केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं है अपितु स्वतंत्रता के पश्चात् यह पहिला गम्भीर उद्बोधन है ।

भारत की अर्थव्यवस्था को अपने ही प्रयत्नों से बनाना होगा इसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद पूंजीगत उद्योगों पर खड़ी करें । यह कहा गया है कि १६७० तक मशीनी उद्योग में लगने वाली पूंजी १६० करोड़ से बढ़ कर १६०० करोड़ हो जायेगी । सभा को इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये कि क्या वस्तुतः हम में इतनी पूंजी लगाने की क्षमता है । इसके अतिरिक्त यदि हम अर्थव्यवस्था की दुर्बलताओं की उपेक्षा करके ऐसा करते हैं तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर आघात होता है । तथापि यदि हम उनकी ओर उचित ध्यान देकर आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं । वस्तुतः यह प्रश्न दलगत राजनीति का नहीं है ।

एक अनिवार्य शर्त यह है कि सरकारी क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिये । यदि कोई इसकी उपेक्षा करता है तो इससे विकास की गति पर आघात पहुंचेगा फलस्वरूप विकास में गड़बड़ी पैदा हो जायेगी । ये प्रश्न बहुत व्यावहारिक और महत्वपूर्ण हैं ।

जहां तक योजना का सम्बन्ध है योजना ने आर्थिक विकास का एक बहुमूल्य उपचार बताया है वस्तुतः विश्व के अनेक देशों में इस प्रश्न पर बहुत विचार हो चुका है । जिस प्रश्न पर हमें विचार करना है वह यह है कि इससे जो प्रतिक्रिया होगी वह उपयोगी सिद्ध होगी अथवा घातक । वस्तुतः इसके सामाजिक और राजनैतिक पहलू पर सभा ने विचार करना है ।

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी योजना में हमारी असफलताओं के सम्बन्ध में तीसरी योजना में भी चर्चा की जानी चाहिये थी। वस्तुतः हमारी मुख्य असफलता कृषि क्षेत्र में हुई है। इस पर भी खाद्य तथा कृषि मंत्री ने यह कहा है कि हम निर्यात करने की स्थिति में हैं। वस्तुतः तथ्य यह है कि कृषि क्षेत्र में हम पर्याप्त खाद्यान्न और पर्याप्त कच्चा माल तैयार नहीं कर सके हैं। अतः कीमतों की सारी अस्थिरता कृषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। तदुपरांत इसका संक्रमण अन्य क्षेत्रों में हुआ है। हमने तीसरी योजना के लिये १० करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। जबकि इस समय हम केवल ८ करोड़ टन का उत्पादन कर रहे हैं।

तीसरी योजना में हमारा लक्ष्य १००० टन है और आज अभी तक हम ८०० टन भी उत्पादन नहीं कर पा रहे। अभी हाल ही में कृषि मंत्री महोदय ने तो यहां तक कह दिया था कि हम काफी खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं और इस अवस्था में भी हैं कि उसका निर्यात भी हो सकता है। अभी तक तो बाहर से अनाज मंगा कर हम अपनी भूख मिटाते रहे हैं परन्तु आज यह कहना कि हम निर्यात के योग्य हैं, वास्तविक स्थिति से आंखें मूदने वाली बात है। कहा गया है कि इस दिशा में सहकारी संस्थाओं तथा सामुदायिक विकास द्वारा काफी प्रगति हो जाने की आशा है। परन्तु इस बारे में जो भी रिपोर्टें आज तक मिली हैं उसके अनुसार तो स्थिति यही है कि इन आन्दोलनों से गरीब जनता को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि गत दो योजनाओं के दस वर्षों में भूलें करके जो अनुभव हमें प्राप्त हुआ है उसका हमने कोई लाभ नहीं उठाया। न ही भूल सुधार की ओर ही पग उठाया है। आज दशा यह है कि हम न औद्योगिक क्षेत्रों के और न ही कृषि क्षेत्रों के अपने साधनों का उपयोग कर रहे हैं। हमारी बहुत सी क्षमता बेकार पड़ी है और उसे प्रयोग करने की ओर किसी का ध्यान ही नहीं।

रोजगार की दिशा में मुझे प्रसन्नता है अब निर्माण परियोजनाओं को चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया है। इसके द्वारा तीसरी योजना के आरम्भ में एक लाख और योजना के अन्त तक २५ लाख लोगों को काम मिल सकेगा। इस कार्यक्रम में १५० करोड़ खर्च होगा और इसके आधार पर हम अपना आर्थिक विकास कर सकेंगे। परन्तु फिर भी यह आवश्यक है कि हम इस दिशा में कुछ अनुभव लाभ करें। इस कार्यक्रम को प्राथमिकता देकर यह देखें कि देहाती क्षेत्रों में किस प्रकार रोजगार के अवसरों का निर्माण करना सम्भव है। इसके साथ ही हमारी शहरी आबादी भी बढ़ रही है और आवास की समस्या बड़ी जटिल हो रही है। इस दिशा में आवश्यकता १०० प्रतिशत बढ़ गयी है। तीसरी योजना के अन्तर्गत इस कार्य के लिए ११२५ करोड़ रुपया रखा गया है। आशा करनी चाहिए कि इस दिशा में विकास की नीति को उचित प्रकार से कार्यान्वित किया जायेगा। प्रयत्न किया जाना चाहिए कि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिलें, अधिक से अधिक शिक्षा का प्रसार हो और हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो। इससे खाद्यान्नों और कपड़े की खपत में १० प्रतिशत की ही वृद्धि होगी। हम ने गत पांच वर्षों में केवल इतनी ही प्रगति की है कि १००० छोटे कारखाने लगवाय हैं, क्या यह काफी है? खेद की बात है कि तीसरी योजना में हमारी दूसरी योजना की असफलताओं का अध्याय नहीं रखा गया। हमें बेरोजगारी, आवास और परिवहन की समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देना है।

एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक विकसित हो रही अर्थ व्यवस्था में सामाजिक तनाव तो रहते ही हैं और रहेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि आर्थिक विकास के लाभ अधिकतर आधुनिक क्षेत्र को ही प्राप्त होते हैं और पिछड़े तथा अर्द्ध विकसित क्षेत्र मुंह ही देखते रह जाते हैं, उन्हें इतना लाभ नहीं हो पाता। इसके लिए तीसरी योजना के अन्तर्गत हमें व्यवस्था

[श्री अशोक मेहता]

करनी होगी । यदि हम ने इस दिशा की ओर ध्यान न दिया तो सामाजिक तनाव हमें नष्ट कर देंगे । इन पर काबू पाना ही होगा और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सूझ बूझ कार्य-प्रति लगन और कर्तव्यनिष्ठा कितनी है । शिक्षा के क्षेत्र में भी हम अन्य देशों के मुकाबले में काफी पिछड़े हुए हैं और राष्ट्रीय आय का बहुत कम भाग उस पर खर्च हो रहा है । हमें अपने उपलब्ध हो सकने वाले साधनों का उपयोग करना ही चाहिए ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसमें राजनीति का प्रश्न भी है और मेरा मत यह है कि योजना की सफलता के लक्ष्य के लिए उचित राजनीतिक वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए । यह बात तो स्पष्ट करने की नहीं समझने की है कि हमेशा आर्थिक परिवर्तन से पूर्व ही राजनीतिक परिवर्तन होगा । मेरा यह निश्चित मत है कि जब तक वियोजन जारी रहेगा तब तक विलयन और निर्माण की दिशा में जो प्रयत्न हो रहे हैं उन से कुछ लाभदायक परिणाम निकलने की आशा कम ही रहेगी । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस दिशा की सब से आवश्यक बात यह है कि हम अपना दृष्टिकोण बदलें । यदि हम ने अपने समक्ष ५ प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा है तो हमें अपने जीवन लक्ष में और कार्य की गति में परिवर्तन लाना होगा । यदि ऐसा न किया गया तो योजना से लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक सम्भावना हो जायेगी । ऐसा नहीं होना चाहिए ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड) : गत दस वर्षों में हमने जो अनुभव प्राप्त किया है उस की पृष्ठ भूमि को ध्यान में रख कर ही हम तीसरी योजना पर विचार कर रहे हैं । दो पंचवर्षीय योजनायें कार्यान्वित हो चुकी हैं और अपनी नीतियों, प्रयत्नों तथा उपक्रमों का परीक्षण करने के बहुत से अवसर भी आये हैं । मुझे यह आशा करनी चाहिए कि इन वर्षों में प्राप्त अनुभव के आधार पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम अपने दृष्टिकोण में उचित परिवर्तन करेंगे । अनुभव तो यही है कि सफलतायें आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत ही कम रही हैं । तुलनात्मक दृष्टि से इसके लिए बलिदान भी बहुत अधिक हुआ है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि औद्योगीकरण हुआ है परन्तु इस्पात, कोयला, सीमेंट तथा मशीनों के निर्माण का कोई भी निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो सका । कीमतें भी बढ़ी हैं और प्रति व्यक्ति आय के निर्धारित लक्ष्य भी पूरे नहीं हुए । बेरोजगारी भी काफी बढ़ रही है । साथ ही आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण बड़ी तीव्र गति से हो रहा है । सब बातों का व्यापक अध्ययन करने से पता चलता है कि दूसरी योजना के अन्तर्गत जो नीति अपनाई गयी, उसमें कोई मौलिक दोष था । खेद की बात यह है कि इन दोषों की ओर अब भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है । और बिना किसी सोच विचार के अब भी उसी मार्ग को अपनाया जा रहा है और अब तीसरी योजना में भी स्थिति पूर्ववत ही है । मैं योजना के दो महत्वपूर्ण अंगों पर ही चर्चा करूंगा ।

ये दो अध्याय जिन पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, आर्थिक कार्यक्रम तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास से सम्बन्ध रखते हैं । भूमि सुधार के बारे में तो पृष्ठ २२१ पर स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रभाव आशानुकूल नहीं हुआ । सहकारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के निर्माण की दिशा में भी कोई प्रगति नहीं हुई । कृषि विकास बहुत ही महत्व का मद है परन्तु इस क्षेत्र में न तो कोई प्रगति हुई है और न होने की आशा है । लगान, जोत की अधिकतम सीमा और खेती को सुरक्षा आदि के बारे में भी इसी प्रकार की स्थिति पाई जाती है । यदि स्थिति ऐसी है तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों पुरानी

†मूल अंग्रेजी में

नीति पर चलने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है ? क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि यह सब कुछ होते हुए भी तीसरी योजना में नई नीति क्यों नहीं अपनायी गयी ?

सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि भूमि सुधारों का वास्तविक लक्ष्य तो यही होता है कि भूमिहीन लोगों में अधिक से अधिक भूमि बांटने के लिये व्यवस्था की जाय। परन्तु स्थिति यह है कि हजारों लोगों को भूमि से बेदखल किया जा रहा है। बहुत छूट देने के कारण इस दिशा का लक्ष्य भी विफल हो गया है। जहां कानून बनाये गये हैं वहां भी भूमि के स्वामी जोत की अधिकतम सीमा से बच रहे हैं। परिणाम यह हो रहा है कि भूमिहीनों को देने के लिये बहुत ही कम भूमि उपलब्ध हो रही है। जब तक कोई कानून न हो कि सरकार के अथवा अन्य लोगों के नियन्त्रण के अन्तर्गत कृषि योग्य बंजर भूमि किसानों को दी जा सकेगी तब तक हम अपने कृषि क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राज्यों में जो कानून लागू है उनमें बहुत कमियां हैं जिसके परिणामस्वरूप किसानों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केरल में दशा यह है कि यदि इन प्रचलित त्रुटियों को दूर न किया गया तो बहुत से किसान अपनी भूमि के स्वामित्व से हाथ धो बैठेंगे।

इसी प्रकार कृषि श्रमिकों की कहानी है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उन्हें कोई सुविधायें प्राप्त नहीं हुईं। भूमि सुधार कानून से उनकी स्थिति सुधरने के स्थान पर बिगड़ गयी है। कृषि श्रमिकों की संस्था हमारे किसान वर्ग का एक बड़ा भाग है। उनकी बेरोजगारी बढ़ रही है और मजदूरी कम हो रही है। इसके विपरीत हमारी सरकार कहती है कि वह समाजवादी समाज का निर्माण कर रही है और राष्ट्रीय आय में बराबर वृद्धि हो रही है। दूसरी खेतिहर मजदूर जांच समिति का जो प्रतिवेदन है उसमें भी यही प्रतीत होता है कि इन लोगों की आर्थिक दशा वास्तव में खराब ही होती चली गयी। कितने आश्चर्य की बात है कि जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं परन्तु कृषि उत्पादन का मूल्य कम किया जाना चाहिये। कानून ने भी इन बेचारे खेतिहर मजदूरों की कोई सहायता नहीं की यद्यपि उत्पादन तो कृषि क्षेत्र का भी बढ़ा है और औद्योगिक क्षेत्र का भी बढ़ा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कम से कम मूल्यों में कुछ समानता तो होनी चाहिये। साथ ही मेरा यह भी आग्रह है कि कराधान के ढांचे में भी कुछ परिवर्तन लाये जाने चाहियें। घाटे की अर्थ-व्यवस्था केन्द्र और राज्य के कराधान के क्षेत्र बढ़ रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गये हैं। यदि यही अवस्था रही तो मुझे भय है कि हम तीसरी योजना का लक्ष्य प्राप्त करने में नितान्त असफल रहेंगे। आर्थिक विकास का यहां तक सम्बन्ध है विभिन्न प्रदेशों के बीच असमानता के उन्मूलन के लिये तीसरी योजना के अन्तर्गत काफी व्यवस्था नहीं की गयी है। सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की दिशा में यह बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है।

केरल की जनसंख्या बढ़ रही है। वहां के उद्योगों का समुचित विकास हो नहीं रहा कई लोग बेकार हो रहे हैं। औद्योगीकरण के सम्बन्ध में राज्य की सरकार और जनता कई बार कह चुकी है कि हमारे साथ बराबर अन्याय हो रहा है। प्रथम और दूसरी योजना में भी हमारे हितों की उपेक्षा की गयी है और अब भी की जा रही है। तीसरी योजना के अन्तर्गत भी केरल के प्रति नीति में कोई तबदीली नहीं की गयी। गत दस वर्षों में वहां रोजगार और विकास की सम्भावनायें कम ही हुई हैं बढ़ी नहीं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कोचीन में जहाज निर्माण का दूसरा कारखाना स्थापित नहीं किया गया है। दूसरी योजना में सिक्योरिटी प्रेस की स्थापना का आश्वासन दिया गया था जो पूरा नहीं किया गया। कपड़ा मिलें, बिजली के सामान बनाने के संयंत्र, मत्स्यपालन संस्था आदि की स्थापना भी इसी प्रकार टाल दी गयी है। वहां कपड़ा मिलों की स्थापना का काम भी खटाई में पड़ा हुआ है। केरल सरकार को छोटी रेलों के डिब्बे बनाने का लाइसेंस भी नहीं दिया गया।

[श्री अ० क० गोपालन]

जब यह प्रस्ताव किया गया था कि इस देश में एक भारी विद्युत् संयंत्र स्थापित किया जाये, तो यह आश्वासन दिया गया था कि यह केरल में होगा किन्तु अभी तक यह केरल को नहीं दिया गया।

भारत का ८५ प्रतिशत रबड़ केरल में पैदा होता है किन्तु वहां रबड़ का केवल एक कारखाना है, शेष सब राज्य के बाहर हैं। जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों का सम्बन्ध है, मछली उद्योग केरल के सारे तट के साथ साथ विकसित किया जा सकता है। इसी तरह वन उद्योग और चीनी मिट्टी के उद्योग विकसित किये जा सकते हैं। तीसरी योजना के समय में उन लोगों की समस्या भी हल करनी चाहिये जिन्हें विभिन्न परियोजनाओं के कारण अपनी भूमि से विस्थापित होना पड़ता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में भी केरल में लोगों को लाइसेंस आदि देने के मामले में प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। त्रिचूर में एक औद्योगिक फर्म ने प्रतिमास ८०० टन टीन की चादरें बनाने के लिये लाइसेंस मांगा था किन्तु यह नहीं दिया गया। यदि यह दे दिया गया होता तो हजारों लोगों को रोजगार मिल जाता।

सरकार को यह देखना चाहिये कि सभी जगह सन्तुलित विकास हो। केरल और कुछ अन्य राज्यों के साथ औद्योगीकरण के मामले में न्याय नहीं किया गया। यदि देश के कुछ भागों को सुविधाओं और अधिकारों से वंचित रखा गया, तो देश में सच्ची एकता नहीं हो सकेगी।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारासात) : इस बात के बावजूद कि किसी विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था में मूल्यों में वृद्धि अनिवार्य है, ऐसे कई अवसर आये हैं, जबकि सरकारी कार्यवाही से मूल्यों पर कुछ नियन्त्रण किया जा सकता था। अनुचित मुनाफाखोरी और सट्टेबाजी अब भी हो रही है। प्रत्येक राज्य में चीनी विक्रेताओं को लाइसेंस देने की प्रणाली से चीनी के दाम बहुत बढ़ गये हैं। ऐसे मामलों में सरकार कुछ प्रशासनिक कदम उठा कर यह वृद्धि रोक सकती थी।

पहली दो योजनाओं में सरकारी क्षेत्र में व्यय केवल ६५६० करोड़ रुपये था, जबकि तीसरी योजना में यह ७५०० करोड़ रुपये होगा। इसके लिये प्रशासनिक कार्यक्षमता की आवश्यकता है। क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि इतने बड़े विकास कार्य के लिये अपेक्षित प्रशासनिक कार्य-क्षमता है ?

हम देख रहे हैं कि प्रशासन की त्रुटियों के कारण सरकारी क्षेत्र में कारखानों की संस्थापित क्षमता का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा। फौलाद के तीन कारखानों में उत्पादन लक्ष्य का ५० प्रतिशत है और उत्पादन व्यय ५० प्रतिशत अधिक है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रशासन को इस महान् कार्य के प्रति प्रयत्नशील किया जाये और कार्यक्रम को पूरा करने में अधिक कार्य-कुशलता, लगन और तेजी लाई जाये।

सदन को शिक्षित बेरोजगार लोगों की समस्या पर, विशेषकर कलकत्ता में विशेष ध्यान देना चाहिये :

हमारी योजना और विशेषकर सामुदायिक योजना तथा अन्य योजनाओं के द्वारा जो सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं, उन्हें बनाये रखने के लिये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के पास पर्याप्त आर्थिक शक्ति नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों को उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिये सुविधाएं देनी चाहियें। उनके लिये छोटे पैमाने के उद्योग अत्यावश्यक हैं। यदि सरकार वास्तव में

†मूल अंग्रेजी में

चाहती है कि आर्थिक और संवर्द्धन निकाय बनें और लघु उद्योगों के लिये कुछ करें, तो इन निकायों के संचालक मण्डलों को पुनः गठित करना चाहिये ।

तीसरी योजना के आरम्भ में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या ९० लाख होगी । यह भी हो सकता है कि इस संख्या में आगामी योजनाओं के साथ और भी वृद्धि होती जाये । जब तक सरकार इस समस्या के हल के लिये कदम नहीं उठाती तब तक विकास कार्यों के बावजूद लोगों का जीवनयापन-स्तर उन्नत न हो सकेगा ।

सरकार को स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये कि सरकारी क्षेत्र में वह अपनी पूंजी पर कितना लाभ कमाना चाहती है और प्रत्येक उद्योग से कितना लाभ प्राप्त करने की आशा रखती है ।

अब मैं निर्यात को लेता हूं । चाय और पटसन हमारी दो मुख्य निर्यात की जाने वाली वस्तुयें हैं और इन दोनों उद्योगों की स्थिति अच्छी नहीं है । विदेशी मंडियों में हमारी चाय की खपत नहीं बढ़ी । इस के लिये सरकार और चाय बोर्ड दोनों की आलोचना की जा सकती है । अन्य देश जैसाकि लंका अपनी चाय की निर्यात बढ़ा रहे हैं और हमारी चाय का निर्यात उतना ही है, जितना पहले था। ।

जब तक सरकार कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित न करे, पटसन का उत्पादन घटता जायेगा और इस की निर्यात मंडी अपने हाथ में नहीं रहेगी । सरकार ने इस सम्बन्ध में अपने सारे अधिकार इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन को दे दिये हैं । सरकार को चाहिये कि पटसन के मूल्य ऐसे स्तर पर रखे जोकि उत्पादकों के लिये लाभदायक हो ।

सड़कों के द्वारा पहुंचाये गये कोयले के लिये कलकत्ता और बिहार के उद्योगों को भी सहायता दी जाये ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़): हमारा सामाजिक ढांचा हमारी आर्थिक प्रगति के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है और यही कारण है कि अन्य सभी प्रकार के लाभ होते हुए भी हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा है। हमारा सामाजिक ढांचा आधुनिक सामाजिक और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता ।

†**सामुदायिक विकास और सहकार उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: मुझे इस बात पर आपत्ति है ।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** : हमारे देश में संयुक्त परिवार प्रणाली चल रही है और हम काम न करते हुए भी परिवार की सहायता पर निर्भर रह सकते हैं । इस के अतिरिक्त हमें अपने निर्वाह-स्तर को ऊंचा करने की अभिलाषा नहीं है । यही कारण है कि लोगों को कठिन परिश्रम के लिये कोई प्रेरणा नहीं मिलती । आर्थिक विकास के लिये सब से प्रथम बात यह है कि परिश्रम के लिये प्रेरणा पैदा की जाये । हमारे चाहे कितने ही संसाधन या मशीनरी हों, जब तक लोगों से घोर परिश्रम न कराया जाये, कोई योजना सफल नहीं हो सकती । मूलभूत प्रश्न यह है "कि क्या श्रमिक पहले से अधिक काम करने के लिये तैयार हैं या नहीं" ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

देश की जनसंख्या में २.५ प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसी निर्वाह-स्तर को कायम रखने के लिये कम से कम प्रतिशत राष्ट्रीय आय का पुनः विनियोजन किया जाना आवश्यक है । रुपया

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित कृ० चं० शर्मा]

कराधान से मिलेगा और इस के लिये ऐसा वातावरण पैदा करना आवश्यक है जिस में कर देना पवित्र समझा जाये और करापवंचन को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाये।

किसी भी नियोजित आर्थिक विकास में कुछ मुद्रास्फीति अनिवार्य है। इस लिये मूल्यों का कुछ बढ़ जाना भी स्वाभाविक है।

लोगों के प्रशिक्षण के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाये। प्रत्येक फार्म में एक प्रौद्योगिकीय संस्था, प्रत्येक गांव में एक कृषि स्कूल और प्रत्येक राज्य में एक कृषि प्रयोग-शाला एवं कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिये।

†श्री दासानी (जालोर) : योजना आयोग बधाई का पात्र है, जिस ने इतने परिश्रम के बाद यह तीसरी योजना तैयार की है। उस ने सब राज्यों के साथ न्याय किया है और अविकसित राज्यों को सहायता देने का प्रयत्न किया है।

मुझे यह कहने में बहुत हर्ष है कि योजना का प्रारम्भ बहुत उत्साहजनक है। पहले साल में खाद्यान्न का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। पहले दो वर्षों में विदेशी मुद्रा के अपेक्षित साधन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

अनुमान लगाया गया है कि सरकारी क्षेत्र उद्योगों से पांच वर्षों में ४५० करोड़ रुपये की आय होगी। मेरे विचार में इस से अधिक आय की आशा की जा सकती है।

छोटी बचतों से ६०० करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी।

उधार से भी १०० करोड़ रुपये की अधिक राशि प्राप्त की जा सकती है।

यदि सरकार मूल्यों को स्थिर रखना चाहती है, तो अप्रत्यक्ष करों को कम करना चाहिये। यदि इस सम्बन्ध में लक्ष्य २१० करोड़ रुपये कम कर दिया जाये, तो बहुत अच्छा रहेगा।

मैं अनुभव करता हूं कि योजना में दिये हुए निर्यात के आंकड़े कुछ अधिक मालूम होते हैं। जब तक कोई कठोर कदम न उठाये जायेंगे, इन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिये उन उद्योगों के लिये जो आयात किया हुआ कच्चा माल प्रयोग करते हैं निर्यात अनिवार्य होना चाहिये।

कपड़े के उत्पादन के सम्बन्ध में, यदि उद्योग के संगठित भाग को उचित संयंत्र और मशीनरी दी जाय, तो यह अपना उत्पादन ५,००० लाख और बढ़ा सकता है।

२५,००० स्वचालित हथकरघों को अनुज्ञप्तियां देने का विचार है। तीसरी योजना के दौरान में ४० लाख तकुए बढ़ाने का विचार है। लेकिन मुझे इस बात में संशय है कि तकुओं की वर्तमान क्षमता हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर भी सकेगी अथवा नहीं। इस पर भी विचार करना चाहिये। वर्तमान मशीनों का आधुनिकीकरण करने के लिये कार्यकारी दल के अनुसार १८० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। एन० आई० डी० सी० से ऋण लेने में काफी सफल समय लगता है अतः ऐसे उपाय करने चाहियें जिस से कि धन जल्दी मिलने लगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछले पांच वर्षों में छोटे पैमाने के उद्योगों ने अच्छा कार्य किया है । लेकिन इन के संगठन तथा प्रबन्ध में अच्छे व्यक्तियों की कमी के कारण कुछ कठिनाइयां भी हैं । यदि इस क्षेत्र में सुधार किया जा सके तो उत्पादन बढ़ सकता है । इसी प्रकार की अन्य कठिनाइयां भी हैं, जैसे, ऋण लेने में देरी, पूरा कोटा न मिलना आदि ।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि हमें योजना निर्माण के कार्य को वार्षिक आधार पर करना चाहिये ताकि अगले वर्ष की योजना पर विचार करते समय पूर्व वर्ष की सफलता का पुनरावलोकन हो सके । यदि यह योजना चालू कर दी गई तो इस का परिणाम अच्छा होगा ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : द्वितीय योजना में हमें कितनी सफलता अथवा असफलता मिली इसी आधार पर हम तीसरी योजना की चर्चा करेंगे । तीसरी योजना में जो कुछ भी होगा वह अभी तक हमारे सामने एक आश्वासन के रूप में ही है । सब से पहले हमें यह देखना होगा कि योजना से अभिप्राय क्या है? योजना एक निर्धारित लक्ष्य एवं समन्वित उद्देश्यों की द्योतक होती है । योजना का अर्थ दूरदर्शिता है । लेकिन अपनी दोनों योजनाओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारी योजनायें इन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करतीं । पहली दो योजनाओं का अनुभव यह बताता है कि हम किसी योजना की वैज्ञानिक परिभाषा को क्रियान्वित नहीं कर सके हैं । लक्ष्यों तथा सफलताओं के बीच अन्तर प्रत्याशित सीमा से अधिक है । योजना-निर्माताओं ने दूरदर्शिता का प्रमाण नहीं दिया है जैसाकि वांछनीय था, हमारे योजना निर्माण सम्बन्धी प्रयत्न ठीक दिशा में नहीं हुए हैं । ऐसी परिस्थिति में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इन योजनाओं पर व्यर्थ में ही धन व्यय हो रहा है ।

बहुत सी प्रमुख योजनाओं का व्यय अनुमान से अधिक बढ़ गया है । भाखड़ा बांध को ही लीजिये इस का अनुमानित व्यय ११ करोड़ से ले कर ३७ करोड़ हो गया है । दामोदर घाटी का व्यय अनुमानित व्यय ७४ करोड़ से बढ़ कर १६६ करोड़ रुपये हो गया है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अब हमें यह देखना है कि इन योजनाओं के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे वे पूरे हो गये हैं । सफलता की दृष्टि से इन के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं । इस्पात संयंत्र, सिंदरी उर्वरक कारखाना आदि भी लक्ष्य के अनुसार उत्पादन करने में असफल रहे हैं । यह बात योजना आयोग द्वारा जारी किये गये पैम्फलैट से बहुत स्पष्ट है । इस सब का मतलब यह है कि ये कमियां तीसरी योजना की प्रगति में रुकावट डालेंगी । योजना-निर्माताओं ने जो बहुत गलतियां की हैं, उन में विदेशी संसाधनों का त्रुटिपूर्ण ढंग से लाभ उठाना तथा मुख्य और छोटे सिचाई के कामों द्वारा पैदा की गई सुविधाओं का पूरा प्रयोग कर सकने में असमर्थता है । तीसरी भूल उन्हों ने यह की है कि कोयले तथा परिवहन के सवाल को अच्छी तरह से नहीं सुलझाया । इस कारण जो हानि हुई है उन्हें विभिन्न विभागों में समुचित संतुलन तथा सहयोग द्वारा घटाया जा सकता है । लेकिन हम देखते हैं कि प्रत्येक भूल के लिये किसी को उत्तरदायी न ठहरा कर परमात्मा की देन कह कर छोड़ दिया गया है ।

वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य को भी नहीं रोका गया है । बल्कि यह कहा गया है कि वस्तुओं बढ़ते हुए मूल्य देश के विकसित होने की निशानी है । लेकिन जब हम संसार के अन्य विकसित देशों इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यह बात ठीक नहीं है ।

इन असफलताओं एवं कमियों को ध्यान में रखते हुए हमें तीसरी योजना पर विचार करना है । यह संदेहजनक है कि तीसरी योजना में जन साधारण का सहयोग मिलेगा । इस बात की दुह

---

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपलानी]

दी गई है कि इस योजना की सफलता के लिये जन साधारण के सहयोग की आवश्यकता है । इस योजना में बड़ी रंगीन तस्वीर दिखाई गई हैं । लेकिन पिछले अनुभव को सामने रखते हुए इस योजना में दिये गये वायदों की पूर्ति एक अनिश्चित सी बात है । इस योजना में इस बात का आश्वासन दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष के काम का पुनर्विलोकन किया जायेगा । दूसरी योजना के शुरू में भी यह बता कही गई थी । लेकिन यह देखना है कि क्रियान्वयन कितना हुआ है ।

योजना निर्माताओं ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि यदि आगामी कुछ वर्षों में वस्तुओं के मूल्य स्थिर एवं उचित नहीं रहे तो योजना को सफलता नहीं मिलेगी। पहली और दूसरी योजनाओं में भी यही बात कही गई थी लेकिन मूल्यों में वृद्धि हुई ; उस वृद्धि को रोकने के लिये प्रयत्न भी किये गये लेकिन सफलता नहीं मिली । वे मुद्रास्फीति के दबाव से क्षति पहुंचाने वाले समाज के कुछ अंगों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ रहे हैं । मूल्यों को स्थिर रखने के लिये भी इस योजना में किन्ही उपायों का वर्णन नहीं किया गया है ।

जहां तक कि निर्यात में होने वाली आय का प्रश्न है वह बढ़ने के बजाय घट रही है। उदाहरण के लिये १९४८ में हमारी आय १३,६३० लाख डालर थी तो १९५८ में घटकर १२,१६० लाख डालर रह गई । दूसरी ओर जब हम इजराइल तथा मैक्सिकों की आय पर निगाह डालते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि उनकी आय बढ़ रही है । असलियत यह है कि किस्म एवं मूल्य की दृष्टि से हमारी वस्तुयें पश्चिमी देशों तथा जापान की बनी हुई वस्तुओं के मुकाबले में नहीं ठहरतीं । लेकिन फिर भी यह एक सन्तोषकी बात होगी अगर हम तीसरी योजना के दौरान में वर्तमान स्तर को स्थिर रख सकें ।

यह भी तो निश्चित नहीं है कि योजना के लिये हमें आवश्यक मुद्रा मिल सकेगी । आवश्यक मुद्रा न मिलने का परिणाम यह होगा कि हमें कुछ परियोजनायें छोड़नी पड़ेंगी ।

यह भी संदेहजनक है कि हम परोक्ष कर को योजना में निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रख सकेंगे । गत योजनाओं के अनुभव से स्पष्ट है कि मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण न रह सकेगा ।

योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि धनी और निर्धन के बीच की खाई को दूर किया जा सके । लेकिन पहली दो योजनाओं में अमीर और निर्धन का अन्तर बढ़ता गया है । धनी लोगों ने पहली दो योजनाओं में बहुत लाभ कमाया है और निर्धन लोगों के लिये भविष्य में भी लाभ कमाने की कोई संभावना नजर नहीं आती । योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादन, राष्ट्रीय आय तथा व्यक्तिगत औसत आय बढ़ाना ही नहीं है बल्कि जनता की गरीबी, बीमारी, अज्ञानता तथा बेरोज़गारी को दूर करना है ।

हम देखते हैं कि भूमिहीन कृषकों की संख्या २१ प्रतिशत है उन्हे कम काम तथा कम वेतन मिलता है । निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की दशा बड़ी शोचनीय एवं दयनीय है शिक्षित वर्ग में बेरोज़गारी बढ़ रही है । उनमें इस कारण बढ़ता हुआ असंतोष देश के लिये घातक है । अशिक्षित व्यक्तियों में भी काफी बेरोज़गारी है । हर योजना के अन्त में बेरोज़गारी बढ़ी है और यही बात तीसरी योजना के अंत में भी होगी । यदि वह शिक्षितों की बढ़ती हुई संख्या को रोज़गार नहीं दे सकती तो यह योजना की असफलता है ।

देश में बढ़ती हुई बेकारी को रोकने तथा जनशक्ति का सदुपयोग करने के लिये महात्मा गांधी ने खादी एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की । उनका विचार था कि इससे जो कुछ भी आय होगी उससे राष्ट्र की आय बढ़ेगी । लेकिन सरकार खादी तथा ग्रामोद्योगों को केवल नाममात्र सहायता ही दे सकी है । ये उद्योग सुसंगटित तथा विकेन्द्रीकृत उद्योगों के बीच मूल्यों को एक समान रखने में

असमर्थ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि विकेन्द्रीकृत उद्योग को सुसंगठित उद्योग के सदृश ही संरक्षण मिलना चाहिये। इन उद्योगों को अधिक वैज्ञानिक संयंत्र तथा सस्ती बिजली की शक्ति दी जानी चाहिये।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : योजना में जनता की स्थिति को सुधारने पर जोर नहीं दिया गया है। इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं। इस सिलसिले में मैंने एक संशोधन भी रखा है। मैं इस योजना को राष्ट्र की योजना के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। यह योजना गांधीयन योजना भी नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये क्यों कि यह यथार्थता से परे एवं अदूरदर्शी है। अधिक से अधिक इसे शासक दल की पूर्व-निर्वाचन चाल कहा जा सकता है। हो सकता है कि वह दल इसका निर्वाचन कार्यक्रम के रूप में प्रयोग करे यह धारणा करना गलत है कि स्वतंत्र दल इस योजना के पक्ष में नहीं है। हम सब योजना निर्माण के पक्ष में हैं परन्तु सरकार द्वारा अपनाई गई पद्धतियों के विरुद्ध हैं।

हम चाहते हैं कि जनता की गरीबी दूर हो, एक ऐसे समाज की स्थापना हो जिस में सब को समान अधिकार मिलें। हम ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। हम जीवन स्तर ऊंचा उठाना चाहते हैं। हम उपलब्ध जन शक्ति का उपयोग करना चाहते। हम समाजवादी ढांचे का समाज बनाना चाहते हैं।

मैं देखता हूं कि इस योजना में दूरदर्शिता का अभाव है। सरकार गांधी जी के आदर्शों से दूर जा रही है। वह बहुत से ऐसे उपायों का विचार कर रही है जिनके गांधी जी विरुद्ध थे यह योजना यथार्थता पर आभारित नहीं है। और हमारी अर्थ-व्यवस्था का मजाक उड़ाती है। भारी उद्योगों का चलाना ठीक ही है परन्तु सरकारी क्षेत्र में जिस प्रकार धन का व्यर्थ अपव्यय हो रहा है उससे बचना चाहिये। सरकार के विभिन्न विभागों में सहकारिता होनी चाहिये। तथा पूरी सफलता का प्रयोग होना चाहिये। आज हमारे यहां ७५ प्रतिशत लोग ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। दूसरी ओर उद्योगों में धन का काफी अपव्यय हो रहा है। ग्रामीण लोग आज उन्नति पथ पर हैं। वे प्रगति कर रहे हैं वे क्रांतिकारी प्रगति की ओर प्रयत्नशील हैं। लेकिन कमी इस बात की है कि सरकार योजनाओं को ठीक ढंग से तैयार नहीं कर रही है। सरकार का कहना है कि सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। लेकिन मेरा निवेदन है कि सहकारी खेती से किसान की स्वतन्त्रता का हनन होता है। वह सामाजिक सिद्धांतों के विपरीत है।

सरकार सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारिता के लिये बड़ी-बड़ी राशियां खर्च कर रही है। सभी बड़ी अच्छी चीजें हैं लेकिन फिर भी जनता को उनके समर्थन में जगाने में असमर्थ रही है। और कभी यह हाल था कि हम जो भी करते थे, जनता उसके समर्थन के लिये दौड़ पड़ती थी।

इसीलिये कि सरकार आज जो भी अच्छा बुरा काम करती है, जो भी संस्थायें बनाती है, उन सब का राजनीतिक लाभ उठाने के लिये प्रयत्नशील रहती है। यह जनता के धन का दुरुपयोग है।

देश में मुद्रा-स्फीति बढ़ती जा रही है और उसके फलस्वरूप जनता की गरीबी बढ़ती जा रही है। सरकार कम से कम मूल्यों में स्थायित्व तो रख सकती है। श्री अशोक मेहता जैसे व्यक्ति भी कभी-कभी मुद्रा-स्फीति को अनिवार्य बता कर सरकार का समर्थन कर देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

प्रधान मंत्री कहते हैं कि जनता को विकास के हेतु त्याग और बलिदान के लिये तैयार रहना चाहिये। वह भी ऐसा विकास कि हमारे बांध उद्घाटन समारोह से पहले ही नष्ट हो जाते हैं, और सरकारी फैक्टरियां पूरी क्षमता से नहीं चल पातीं।

जनता को अपने पैरों पर खड़ी होने, अपने उद्यमों का विकास करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। तभी वह पहल कदमी कर सकेगी। इस योजना में जनता को, निजी उद्यमों को प्रोत्साहित नहीं किया गया है। इस लिये मैं इसे जनता की योजना या राष्ट्रीय योजना नहीं मानता।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्ण गिरि) : कालिदास के रघुवंश में एक श्लोक है :

'प्रजानां विनयादानात् रक्षणात् भरणात् चैव सपिता
पितरस्तासां केवल जन्महेतवः।'

अर्थात्, राजा प्रजा की शिक्षा, रक्षा और भरण-पोषण द्वारा पिता का पार्ट अदा करता है। कालिदास ने कल्याणकारी राज्य का यह आदर्श आज से शताब्दियों पहले रखा था। अब आधुनिक काल में राजा का स्थान राज्य ने ले लिया है। इसलिये राज्य को पिता की भांति प्रजा का शिक्षण, रक्षण और पोषण करना चाहिये। आप उसे किसी भी वाद की संज्ञा दे सकते हैं, परन्तु है तो वह प्राचीन विचारधारा का दूसरा रूप।

हमारे सामाज ने एक सीमा तक प्रगति कर ली है। लेकिन अब एक स्थान पर खड़े रहने के लिये भी जरूरी है कि हम निरंतर आगे बढ़ते जायें। आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे ढकेल दिये जायेंगे।

परम्परायें और परिपाटियां हमें पीछे की ओर खींचती हैं, बाधा बनती है; लेकिन हमें अपने आप को नये युग के सांचे में ढालना ही पड़ेगा। और उसके लिये योजना बना कर चलना जरूरी है। यही हम कर रहे हैं।

योजनाकारों की, योजना बनाने वालों की, आलोचना तो की जा सकती है, लेकिन योजना की आलोचना करना ग़लत होगा। आर्थिक योजना की रूपरेखा में रहते हुये, भावात्मक एकता की उप-योजनायें भी हमें तैयार करनी पड़ेंगी।

योजना में प्राथमिक शिक्षा लागू करने का प्रस्ताव है। यह भी एक सामाजिक समस्या है इसलिये कि उन बच्चों के माता-पिता तो अशिक्षित ही हैं। बच्चे जब शिक्षित होते हैं, तब उन पर शिक्षकों का प्रभाव पड़ता है, माता-पिता का नहीं। वे अपने शिक्षकों को आदर्श मान कर चलते हैं।

इसलिये अध्यापकों के चुनाव में सावधानी की आवश्यकता है। पाठय-विषयों ही नहीं, चरित्र-निर्माण की ओर भी पर्याप्त ध्यान देना चाहिये।

मद्रास राज्य में कावेरी नदी का ९८ प्रतिशत जल सिंचाई के काम आता है। लेकि इस बार घनघोर वर्षा के कारण कावेरी की बाढ़ का पानी मेत्तुर और कृष्णार्जुन सागर बांध से भी नहीं रुक सका।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसलिये योजना में ऐसी भी एक व्यवस्था होनी चाहिये कि इस बरसाती पानी का भी कोई उपयोग किया जा सके। योजनाकारों को इसके लिए कावेरी नदी का का जल पास की नदी पेन्नर में पहुंचाने की व्यवस्था पर विचार करना चाहिये।

मद्रास और मैसूर में नई रेलवे लाइनों की आवश्यकता है। रेलवे मंत्री ने अपने आय-व्ययक भाषण में आश्वासन दिया था कि दक्षिण की आवश्यकताओं पर विचार किया जायेगा। योजना में कहा गया है कि उन पर विचार हो रहा है। निराशा की बात तो यह है कि इतने वर्षों बाद भी अभी उन पर विचार ही हो रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इसका संतोषजनक उत्तर दें।

औद्योगीकरण के लिये हमें पिछड़े हुए क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये। इससे जनता का मनोबल बढ़ेगा और तब औद्योगीकरण और भी तेजी से हो सकेगा।

आशा है कि सभा मेरे स्थानापन्न प्रस्ताव को स्वीकृत करेगी।

ब्लिट्ज के संपादक के नाम समन जारी करने के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे एक घोषणा करनी है। मैंने सभा के १९ अगस्त, १९६१ के निर्णय के अनुसरण में, ब्लिट्ज़, बम्बई के सम्पादक श्री आर० के० करांजिया को समन जारी कर दिया है कि वह मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१ को सवा बारह बजे सभा के न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर सभा की भर्त्सना सुनें। मैंने ब्लिट्ज़ के नई दिल्ली के सम्वाददाता श्री ए० राघवन का लोक सभा प्रेस गैलरी कार्ड और केन्द्रीय हॉल का प्रवेश-पत्र भी रद्द कर दिया है।

मैं सभा के न्यायालय की सीमा निर्धारित कर दूंगा, जिसके आगे श्री करांजिया नहीं आ सकते। वह उस सीमा तक आयेंगे और, जैसा सभा ने निदेश दिया है, मैं उनको बता दूंगा कि सभा ने उनकी भर्त्सना की है। बस इतना ही।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव

†**श्री नि० बि० माईति** (घाटल) : प्रोफेसर रंगा ने इस योजना को नेहरू योजना और कांग्रेस योजना का नाम दिया है। श्री रंगा ने गांधीवादी दर्शन और कार्यक्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। लेकिन अब उनके मुख से यह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह तो गांधी जी के ही जीवन-काल में उससे भटक गये थे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : एक औचित्य प्रश्न है। माननीय सदस्य को यह नहीं कहना चाहिये कि श्री रंगा भटक गये थे।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह शब्द संसदीय शिष्टाचार के विरुद्ध नहीं है।

†**श्री नि० बि० माईति :** कांग्रेस ने ही स्वतंत्रता-संग्राम में देश का नेतृत्व किया था। इसलिये स्वाभाविक है कि कांग्रेस ही देश के पुनर्निर्माण की योजना सामने रखे और देश की जनता का आह्वान करे। श्री रंगा को यह नहीं भूलना चाहिये कि सभा में उनका आगमन योजना के कारण ही हुआ है। वह कांग्रेस टिकट पर ही सभा में आये थे।

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री नि० बि० माईति]

योजना तो देश की बाइबिल मानी जानी चाहिये । और, सब से बड़ी बात यह कि उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिये । असल चीज़ कार्यान्विति ही है । लेकिन कार्यान्विति कैसे हो ?

पिछली दो योजनाओं में देश ने प्रगति की है । यह सही है कि जापान और जर्मनी जैसी प्रगति नहीं की, लेकिन वे तो पहले से भी काफी विकसित देश थे । दूसरे देशों के साथ तुलना करते वक्त हमें सभी चीज़ों को देख कर चलना चाहिये ।

योजना की कार्यान्विति के सम्बन्ध में श्री अशोक मेहता ने कुछ सुझाव दिया है । लेकिन जनता में उत्साह कैसे पैदा किया जाये ?

योजना की सारी कार्यान्विति का दारोमदार हमारे अधिकारियों पर है । हर चीज़ अधिकारियों के जरिये ही कराई जाती है । नतीजा यह है कि सामाजिक कार्यकर्त्ताओं के पास कोई काम नहीं रह जाता । सब से बड़ी आवश्यकता यही है कि योजना की कार्यान्विति का भार संसद्-सदस्यों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को भी सौंपा जाये ।

अधिकारियों द्वारा प्रणीत योजनाओं से जनता में उत्साह पैदा नहीं किया जा सकता । इसलिये योजना आयोग को इस पर विचार करना चाहिये ।

मैं इसके लिये योजनाकारों को बधाई देता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : योजनाकारों ने इस योजना को तैयार करने में बड़ी मेहनत की है, लेकिन उन्होंने कई बड़ी-बड़ी ग़लतियां भी इसमें की हैं ।

इस योजना में मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपाय नहीं बताये गये, जब कि सभी जानते हैं कि सरकार मुद्रा-स्फीति को रोकने में असमर्थ रही है । मूल्य-स्तर कहीं-कहीं २० प्रतिशत तक बढ़ गया है ।

योजना का अनुमित व्यय ७,५०० करोड़ रुपये है । यदि इस योजना के दौरान मूल्य-स्तर में २० प्रतिशत वृद्धि और हो जायेगी तो हमारी योजना का हिसाब १,५०० करोड़ रुपये से ग़लत हो जायेगा । यह कोई छोटी-मोटी भूल नहीं है ।

हमारा अनुभव यह है कि योजना की कार्यान्विति के दौरान व्यय सम्बन्धी हमारे अनुमान हमेशा ही ५० से १०० प्रतिशत तक कम पड़ जाते हैं । आचार्य कृपालानी ने बताया है कि भाखरा परियोजना का अनुमित व्यय ११ करोड़ रुपये था, जो १९५९ तक बढ़ कर ३९ करोड़ रुपये हो गया था । दामोदर घाटी परियोजना का अनुमित व्यय ७४ करोड़ से बढ़ कर १६९ करोड़ रुपये, और हीराकुण्ड का ४८ करोड़ से बढ़ कर ७१ करोड़ रुपये हो गया था । इसी प्रकार रिहान्द का अनुमित व्यय १६ करोड़ से ४६ करोड़ रुपये हो गया था । दूसरी ओर तुंगभद्रा परियोजना से ६.२ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की आशा थी, जो केवल १.२९ लाख एकड़ तक ही रही ।

अनुमित व्यय और निष्पादन में एक बड़ी चौड़ी खाई मौजूद है । हमारे तीनों इस्पात कारखाने इतने अर्से बाद भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं । हमारे इस्पात कारखाने प्रति दिन के लक्ष्य पूरे नहीं कर पाते ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इसलिये प्रत्येक परियोजना में अनुमित व्यय का हिसाब लगाने समय २० या ३० प्रतिशत वृद्धि की गुंजाइश रखनी चाहिये। योजनाकारों ने ऐसा नहीं किया है। इसलिये यह योजना यथार्थ से मेल नहीं खाती।

दूसरी ओर हम अपनी विदेशी मुद्रा की देयताओं को भी पूरा नहीं कर सके हैं।

यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि द्वितीय योजना के लिये हम आस्थगित भुगतान वाले विदेशी ऋणों से ही धन उपलब्ध किया था। अब १९६२ के बाद उनकी अदायगी शुरू हो जायेगी। तब हम तृतीय योजना के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा कहां से जुटायेंगे ?

सही है कि हमें १,००० करोड़ रुपये तक की विदेशी सहायता का वचन मिल चुका है। लेकिन यह भी है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय बन जाने से अब हमारे निर्यातों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और तब हमें विदेशी मुद्रा मिलने में कठिनाई होगी। फिर योजना का क्या होगा ?

यदि हमारी अर्थ-व्यवस्था साथ ही साथ अपने संसाधनों का स्वयं निर्माण करती नहीं चलती, तो योजना बेमतलब हो जाती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मेरा अपना मत है कि तृतीय योजना के लक्ष्य पूरे करना देश की सामर्थ्य से बाहर है।

कुछ लक्ष्य तो पूरे किये जा सकते हैं, जैसे अतिरिक्त कराधान, घरेलू ऋण और अल्प बचत, लेकिन सभी नहीं। योजनाकारों ने घाटे की अर्थ-व्यवस्था का पूरा महत्व नहीं समझा है। देश में मूल्य-वृद्धि और मुद्रा-स्फीति के कारण ही सट्टा बाजार ज़ोरों पर चल रहा है।

एक त्रटि यह भी है कि योजना में विद्युत् सम्बन्धी विकास के लिये पर्याप्त व्यवस्था तो की गई है, पर उसका कृषकों को कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी दरें बड़ी ऊंची पड़ती हैं कृषि मंत्री अभी कह चके हैं कि कृषक लोग प्रति यूनिट नौ नये पैसे से अधिक नहीं दे सकते।

बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं से सिंचाई की सुविधायें कृषक तभी ले सकेंगे, जब उसकी दर में किसानों को छूट देने के लिये अलग राशि की व्यवस्था की जाये।

अच्छे बीज़ों और खादों के समय पर पर्याप्त सम्भरण के लिये, और सस्ते मिट्टी के तैल तथा कृषीय औजारों के लिये भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

हमें छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं पर ज़ोर देना चाहिये। कृषीय उत्पादों का निम्नतम मूल्य निर्धारित कर दिया जाना चाहिये।

कृषीय बीमा योजनाओं, सड़क निर्माण, इत्यादि की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये।

हमारे प्रधान मन्त्री ने यह तो बताया है कि राष्ट्रीय आय में क्रमशः किस प्रकार वृद्धि होती रही है, पर वह बताना भूल गये कि मूल्य देशनांक भी क्रमशः कितने बढ़ते रहे हैं। जनसंख्या की वृद्धि के कारण आप देखेंगे कि दस वर्ष में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ेगी नहीं, घट जायेगी।

क्या योजना आयोग कोंकण रेलवे को इस योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार करेगा? पाचोरा-जामनेर रेलवे लाइन को भी बड़ी लाइन में बदला जाना चाहिये। जलगांव औरंगा-बाद-उस्मानाबाद रेलवे को ज़ोड़ा जाना चाहिये; और हाटनुर बहु-प्रयोजनीय योजना को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिये।

फिर भी, हम इस योजना को सफल बनाने के लिये अपना भरपूर योग देंगे। अच्छा होता कि इसके लक्ष्य यथार्थ के अधिक निकट होते।

†**डा० मेलकोटे** : (रायचूर) : हमारे देश को स्वतन्त्र हुए १५ वर्ष हो चुके हैं।

हमने १६५२ में २१०० करोड़ रुपये के व्यय की योजना बनाई थी, जो बाद में २३०० करोड़ रुपये की कर दी गई थी। लेकिन फिर भी वास्तविक व्यय ४०० करोड़ रुपये बढ़ गया था। १६५४ तक हमें पता ही नहीं था कि आगे चल कर क्या होगा।

१६५५ में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। हम अब तक निजी और सरकारी क्षेत्र पर ७००० करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं। अब तृतीय योजना में हम ११,००० करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं।

सरकार और योजना आयोग ने योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये काफी मेहनत की है।

मैं योजनाकारों को बधाई देता हूं। अब हम एक और भी बड़ी योजना देश के सामने रख रहे हैं।

१६४७ में हमारे शिक्षा संस्थानों और इंजीनियरिंग कालेजों में ५,००० विद्यार्थी ही आ पाते थे, लेकिन अब उनमें ४०,००० विद्यार्थी आते हैं, और १६६५ तक ६५,००० आने लगेंगे। देश के विकास के लिये इंजीनियरों की बड़ी आवश्यकता है। अब हम अपनी समस्याओं पर यथार्थ दृष्टि से विचार और व्यवहार करने की स्थिति में आ गये हैं।

फिर भी, इसमें कुछ त्रुटियां रही हैं। व्यय काफी अधिक बढ़ता रहा है। श्री भरूचा ने इसके कई उदाहरण दिये हैं। तुंगभद्रा परियोजना पर ६५ करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी, उससे केवल १,२५,००० एकड़ भूमि की ही सिंचाई हो पायी है। लेकिन वह सारा धन सिंचाई परियोजना पर ही नहीं, विद्युत् उत्पादन पर भी व्यय किया गया था।

देश में मुद्रा-स्फीति बढ़ रही है और रहन-सहन का स्तर उठता जा रहा है। रुपये का वास्तविक मूल्य काफी गिर गया है। महत्वाकांक्षी योजनाओं और कार्यक्रमों के बावजूद हम रोजगार की सम्भावनायें पैदा नहीं कर सके हैं। तृतीय योजना में इसकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्रमिकों ने भी योजना को सफल बनाने में पर्याप्त योगदान किया है। श्रम मन्त्री ने मालिकों और मजदूरों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये बड़ा परिश्रम किया है।

फिर भी अभी मजदूरों को कुछ अधिक सुविधायें दी जानी चाहियें। भविष्य निधि, पेन्शन और अन्य योजनायें लागू की जानी चाहिये।

हमारे तीनों इस्पात कारखाने अपना उत्पादन-लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये हैं, लेकिन लगभग सभी विकासशील देशों में ऐसा हुआ है। हमें अनुचित आलोचना नहीं करनी चाहिये।

सरकार और जनता के बीच परस्पर अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये छोटी-छोटी चीजों का महत्व कहीं अधिक होता है। जनता तो सरकार के बारे में अपनी राय उन सरकारी अधिकारियों को देख कर ही बनाती है जिनसे उसे काम पड़ता है। इसमें सुधार किये बिना, जनता में योजना के प्रति उत्साह पैदा करना असम्भव होगा।

ग्राम स्तर पर काम तो हो रहा है, पर हम अभी गांव में उतने नहीं पैठ पाये हैं जितना कि चाहिये। इसके लिये हमारे अधिकारियों को सही ढंग से आचरण करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २२ अगस्त, १६६१/३१ श्रावण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, २१ अगस्त, १९६१
३० श्रावण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१७९९–१८२२
तारांकित प्रश्न संख्या		
७२८	दामोदर घाटी निगम के मुख्य कार्यालय को मैथान ले जाना .	१७९९–१८००
७३०	प्लास्टिक का बना रेल डिब्बा	१८००
७३१	पाक जलडमरूमध्य को गहरा बनाना	१८०१–०२
७३२	दामोदर घाटी निगम का सिंचाई राजस्व	१८०२–०३
७३३	दिल्ली के लिये नेत्र बैंक .	१८०३–०४
७३४	दक्षिण पूर्व रेलवे में ठेकेदारों को किया गया अधिक भुगतान	१८०४–०६
७३५	डाक तथा तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारी .	१८०६–०७
७३६	सेलम-बंगलौर रेलवे लाइन .	१८०७–०८
७३७	चंडीगढ़ लुधियाना रेलवे लाइन	१८०८–०९
७३८	आन्ध्र प्रदेश में बालपक्षाघात	१८०९–१०
७३९	भारत में बनाये गये जहाजों की कीमत	१८१०–१२
७४०	रेलवे के डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट	१८१२–१४
७४१	दक्षिण रेलवे में गाड़ियों में अत्यधिक भीड़	१८१४–१५
७४२	रेलवे इंजन डिब्बों आदि का निर्यात	१८१५–१६
७४४	कुष्ठ नियंत्रण के लिये विधान	१८१६–१७
७४५	सेवा निवृत्त वैज्ञानिकों को अनुसन्धान कार्य जारी रखने के लिये भत्ता	१८१७–२०
७४६	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं के अतिरिक्त भण्डार की बिक्री	१८२०–२१
७४९	केरल में विमान पट्टी	१८२१–२२
७५१	बिजली के उत्पादन के लिये अखिल भारतीय सुपरग्रिड	१८२२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	१८२३–१८२६
तारांकित प्रश्न संख्या	
७२७ इंडियन नेवीगेटर में आग के बारे में जांच	१८२३
७२६ एयर-इंडिया इन्टरनेशनल के लिये रडार उपकरण	१८२३
७४३ अमरीकी हेलीकोप्टर	१८२३–२४
७४७ कावेरी के पानी का उपयोग	१८२४
७४८ मध्य रेलवे लोको शेड में दुर्घटना	१८२४
७५० नागार्जुन सागर परियोजना	१८२४–२५
७५२ होटलों का वर्गीकरण	१८२५
७५३ डाक-तार अवकाश-गृह	१८२५–२६
७५४ कोचीन में मत्स्यपालन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की संस्था	१८२६
७५५ दक्षिण पूर्व रेलवे में अत्यधिक भीड़	१८२६–२७
७५६ पूना के डाक तार कर्मचारियों को सहायता	१८२७
७५७ कोचीन बन्दरगाह में पोर्ट लाइटर में आग	१८२७–२८
७५८ डाकतार कर्मचारियों के पेन्शनक्रम	१८२८
७५९ घी की मिलावट को रोकना	१८२८–२९
७६० हीराकुद जलाशय में मिट्टी का जमा होना	१८२९
७६१ अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम	१८२९
७६२ दक्षिण रेलवे में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की पदोन्नतियां	१८२९–३०
७६३ हुगली में जल की गहराई	१८३०
७६४ कोचीन हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना	१८३०–३१
७६५ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐस्केलेटर	१८३१
७६६ मंगलौर और तूतीकोरन पत्तन	१८३१–३२
७६७ अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था का अस्पताल, नई दिल्ली	१८३२
७६८ उर्वरक वितरण सम्बन्धी जांच समिति	१८३२
७६९ भारत-भूटान सड़क	१८३२–३३
७७० इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये नये विमान	१८३३
७७१ भाखड़ा-नंगल बांध की ऊंचाई	१८३३
७७२ बम्बई पत्तन में चोरियां	१८३३–३४

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

७७३	चांवल ढोने के लिये आन्ध्र प्रदेश को माल डिब्बों की सप्लाई में कमी	१८३४–३५
७७४	वायु अनुकूलित बसें	१८३५
७७५	मदुरै तथा मद्रास शटल सेवा	१८३५
७७६	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की अनुसूचित सेवाओं का समय	१८३६
७७७	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में भर्ती	१८३६–३७
७७८	दिल्ली प्रशासन द्वारा पंजाब सरकार को बकाया रकम का भुगतान	१८३७
७७९	कोयले पर स्थान शुल्क	१८३७–३८
७८०	टेलीप्रिंटर फैक्टरी	१८३८
७८१	पूर्वोत्तर रेलवे के दो इंजन ड्राइवरों की मृत्यु	१८३८–३९
७८२	भारत-लंका विमान सेवाएं	१८३९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७२५	जोरबाग आदि (नई दिल्ली) में तिमंजिले मकान	१८३९
१७२६	अन्तर्देशीय जल परिवहन के सम्बन्ध में गोखले समिति	१८३९–४०
१७२७	नगर आयोजन सम्बन्धी आदर्श विधान	१८४०
१७२८	देश में कृषि योग्य बेकार भूमि	१८४०–४१
१७२९	नारनौल चरखी-दादरी टेलीफोन लिंक	१८४१
१७३०	पंजाब में कृषि विश्वविद्यालय	१८४१
१७३१	दिल-फेफड़े मशीन का निर्माण	१८४२
१७३२	केन्द्रीयित यातायात नियंत्रण	१८४२
१७३४	रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिये हायर सेकेन्डरी स्कूल	१८४२–४३
१७३५	मध्य रेलवे पर तीर्थ यात्रियों के लिये विशेष गाड़ियां	१८४३
१७३६	हिमाचल प्रदेश में छोटे सिंचाई कार्य	१८४३
१७३७	महाराष्ट्र में फलों की पैदावार	१८४३–४४
१७३८	महाराष्ट्र में रेलवे आउट एजेंसियां	१८४४
१७३९	मध्य रेलवे पर सहकारी समितियां	१८४४
१७४०	मनमद जंक्शन के लिये मास्टर प्लान	१८४४
१७४१	१९६०–६१ में ग्राम्य जल संभरण के लिये महाराष्ट्र को केन्द्रीय सहायता	१८४४–४५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१७४२	महाराष्ट्र में परिवार नियोजन कार्यक्रम	१८४५
१७४३	मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	१८४६
१७४४	जमशेदपुर में सिटी बुकिंग आफिस	१८४६
१७४५	फरक्का बांध	१८४६
१७४६	रेलवे कर्मचारियों और सम्पत्ति पर लोगों की भीड़ द्वारा हमले	१८४६
१७४७	उत्तर रेलवे में डाके	१८४७
१७४८	पंजाब में दूसरी योजना के दौरान तपेदिक निरोधक	१८४७–४८
१७४९	पंजाब में भूसंरक्षण	१८४८
१७५०	रोपड़-नांगल बांध सेक्शन में यात्री सुविधायें	१८४८
१७५१	रिचति घाटी में डाक सुविधायें	१८४९
१७५२	लाहौल घाटी में डाक सुविधायें	१८४९–५०
१७५३	गंगा पानी प्राप्त करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान का दावा	१८५०–५१
१७५४	दिल्ली शहर में चलने वाली रेलगाड़ियां	१८५१
१७५५	रासायनिक तन्तुओं से कपड़े का निर्माण	१८५१–५२
१७५६	रेलवे में खोमचे लगाने के लाइसेंस	१८५२
१७५७	रेलवे कर्मचारियों की सेवाओं की समाप्ति	१८५२–५३
१७५८	पंजाब में कृषि विकास	१८५३
१७५९	ग्रामदान कार्य	१८५३–५४
१७६०	मध्य प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन	१८५४
१७६१	राजस्थान में परिवार नियोजन केन्द्र	१८५४
१७६२	राजस्थान में डाक तथा तार कर्मचारी	१८५४
१७६३	राजस्थान डाक तथा तार सर्किल में शिकायतें और सुझाव	१८५४–५५
१७६४	पश्चिम रेलवे में भ्रष्टाचार निरोधक संगठन	१८५५–५६
१७६५	तुंगभद्रा एवं नागार्जुन सागर परियोजनायें	१८५६
१७६६	उत्तर रेलवे द्वारा सम्पत्ति का क्रय	१८५६
१७६७	ग्राम्य ऋण	१८५७
१७६८	प्रजातंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण	१८५७–५८
१७६९	सहकारिता प्रशिक्षण	१८५८
१७७०	मेंढकों का निर्यात	१८५९
१७७१	बाल पक्षाघात	१८५९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७७२	घग्गर नदी	१८५९–६०
१७७३	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४	१८६०–६१
१७७४	रेलवे सुरक्षा दल	१८६१
१७७५	भाखड़ा बांध	१८६१
१७७६	होम्योपैथी	१८६२
१७७७	अन्तर्देशीय पर्यटन प्रचार पर व्यय	१८६२
१७७८	कुष्ठ रोग	१८६२–६३
१७७९	होमियोपैथी का विकास	१८६३
१७८०	रेलवे में बिजली के सिग्नल	१८६३–६४
१७८१	वातानुकूलित डिब्बों से यात्रा	१८६४
१७८२	खेतरी तक रेलवे लाइन	१८६४–६५
१७८३	हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कालेज	१८६५
१७८४	जन्म निरोध के लिये औषधि	१८६५
१७८५	वन अनुसन्धान संस्था, देहरादून	१८६५–६६
१७८६	पंजाब में गेहूं खरीदने के लिये मिलों पर निर्बन्धन	१८६६
१७८७	गोविन्दसागर पर कोन्दरा पुल	१८६६
१७८८	फर्रुखाबाद स्टेशन पर कोयले का गायब हो जाना	१८६६–६७
१७८९	रेवाडी स्टेशन	१८६७
१७९०	दोषपूर्ण वाइकाउन्ट विमानों की मरम्मत	१८६७
१७९१	असम में टेलीफोन कनेक्शन्स	१८६७–६८
१७९२	पर्वतीय क्षेत्रों में कम शक्ति वाले बिजली पैदा करने के टर्बाइन	१८६८
१७९३	मच्छरों का नष्ट किया जाना	१८६८–६९
१७९४	ग्राम समुदाय के दुर्बल अंग	१८६९
१७९५	आगरा और कलकत्ता में क्षय रोग प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र	१८६९
१७९६	तीसरी योजना में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के अनुसन्धान कार्य	१८७०
१७९७	पंजाब में ऊपरी पुल	१८७०–७१
१७९८	दिल्ली में एक रेल कर्मचारी की मृत्यु की जांच	१८७१
१७९९	पदच्युत किये गये रेलवे कर्मचारियों के मामले	१८७१–७२
१८००	टी० टी० ई० का चुनाव	१८७२

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८०१	सोने की व्यवस्था वाले डिब्बे	१८७३
१८०२	सूखा टीका तैयार करना	१८७३
१८०३	सहायक खाद्य उत्पाद	१८७३–७४
१८०४	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमानों के स्थान पर चलाये जाने वाले विमान	१८७४
१८०५	कोचीन पत्तन में वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति	१८७४–७५
१८०६	अमेरिका से खाद्यान्नों का आयात	१८७५
१८०७	पटना में किराये के मकानों में डाकघर	१८७५–७६
१८०८	मोतिया खान, दिल्ली के व्यापारियों का स्थानान्तरण	१८७६
१८०९	गोहाटी और गारो पहाड़ियों की कोयला खानों के बीच रेलवे लाइन	१८७६–७७
१८१०	देहरादून की वन अनुसन्धान संस्था	१८७७
१८११	रेलवे स्टेशनों पर सरकारी समितियों को ठेका देना	१८७७
१८१२	बंदरा स्टेशन पर रेलवे का ऊपरी पुल	१८७८
१८१३	महाराष्ट्र में डाक कर्मचारी तथा डाकखानों की शाखाएं	१८७८
१८१४	जापानी कुष्ठ विशेषज्ञ	१८७९
१८१५	आम हड़ताल में भाग लेने के कारण रेलवे के निलम्बित कर्मचारी	१८७९
१८१६	जलगांव स्टेशन में गाड़ियों की टक्कर	१८८०
१८१७	लू का इलाज	१८८०
१८१८	पूर्वोत्तर रेलवे में स्थानग्राही कर्मचारियों की कमी	१८८०
१८१९	तीसरी योजना में केरल के लिये बाढ़ नियंत्रण योजनायें	१८८१
१८२०	पठानकोट से धर्मनगर तक रेलवे लाइन	१८८१
१८२१	धर्मनगर और खवाई में डाकघर	१८८१
१८२२	मनीपुर में मत्स्यपालन का विकास	१८८१–८२
१८२३	मनीपुर में छोटी मछलियां	१८८२
१८२४	मनीपुर के सब डिवीज़नों में अकाल	१८८२–८३
१८२५	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान	१८८३
१८२६	इंजन डिब्बों आदि की मांग	१८८३–८४
१८२७	नागार्जुन सागर परियोजना के लिये सीमेंट	१८८४
१८२८	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक्सरे संयंत्र	१८८४–८५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८२९	कांगड़ा घाटी रेलवे सेक्शन में अधिक भीड़भाड़	१८८५
१८३०	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	१८८५
१८३१	हिन्दी में तार	१८८६
१८३२	पोरबन्दर-राजकोट राष्ट्रीय राज-मार्ग	१८८६–८७
१८३३	कृषि और पशुपालन बोर्ड	१८८७
१८३४	मालियों का पाठ्यक्रम	१८८८
१८३५	वन अनुसन्धान संस्था देहरादून	१८८८–८९
१८३६	खाद्यान्नों का व्यापार	१८८९
१८३७	दिल्ली में नजफगढ़ झील	१८८९–९०
१८३८	दिल्ली रेलवे स्टेशन में सुधार के लिये सुझाव	१८९०
१८३९	दिल्ली में बागवानी	१८९०
१८४०	दिल्ली में फल परिरक्षण	१८९१
१८४१	दिल्ली में परिवार नियोजन	१८९१
१८४२	ब्रिटिश और भारतीय डाक्टरों के बीच क्षय रोग पर चर्चा	१८९१–९२
१८४३	भुवनेश्वर में डाक-तार विभाग की बस्ती	१८९२
१८४४	पठानकोट रेलवे स्टेशन	१८९२–९३
१८४५	कल्याण से बम्बई को जाने वाली लोकल गाड़ियां	१८९३
१८४६	उड़ीसा में नाराज तथा टीकरपाड़ा बांध	१८९३
१८४७	जबलपुर के निकट गाड़ियों की टक्कर	१८९३–९४
१८४८	उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण	१८९४
१८४९	स्टेशन का नव निर्माण	१८९४
१८५०	गाड़ियों का देर से आना-जाना	१८९४–९५
१८५१	फिरोजपुर जंक्शन स्टेशन पर शिकायतें	१८९५
१८५२	सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति	१८९५
१८५३	पंजाब में तापीय संयंत्र	१८९५–९६
१८५४	राज्यों में सड़क परिवहन सेवायें	१८९६
१८५५	पंजाब में बत्तख पालने की योजना	१८९६–९७
१८५६	पंजाब में चीनी के कारखाने	१८९७
१८५७	पंजाब में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	१८९८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८५८	पंजाब में बीज फार्म	१८९८
१८५९	पंजाब में छोटी सिंचाई परियोजनायें	१८९८
१८६०	पंजाब को दिये गये गेहूं का परिमाण	१८९८–९९
१८६१	धान और चावल का फालतू स्टाक	१८९९
१८६२	उत्तर रेलवे पर स्टेशनों के नामों में परिवर्तन	१८९९
१८६३	पंजाब में ग्लाइडिंग क्लब	१८९९
१८६४	केरल में बाढ़	१९००
१८६५	कबीनी नदी पर बांध	१९००
१८६६	गोबिन्द सागर बांध में मछलियों सम्बन्धी योजना	१९००–०१
१८६७	पंजाब में पीने के पानी सम्बन्धी योजनायें	१९०१
१८६८	खुर्दा रोड (उड़ीसा) में डिवीज़नल हैडक्वार्टर्स	१९०१
१८६९	कबायली झूमिया लोग	१९०१–०२
१८७०	हीराकुद बांध	१९०२
१८७१	केरल सरकार द्वारा की गई शिकायतें	१९०२–०३
१८७२	पंजाब सरकार के लिये हैलीकोप्टर	१९०३
१८७३	तीसरी योजना में उड़ीसा में बड़ी और मझली सिंचाई परियोजनायें	१९०३
१८७४	जिला रायपुर में किसानों को तकावी ऋण	१९०४
१८७५	भोपाल की सीधी ट्रंक टेलीफोन लाइन	१९०३
१८७६	पीपली-कोणार्क बारहमासी सड़क	१९०४
१८७७	तीसरा एशियाई रेलवे सम्मेलन	१९०४
१८७८	क्षय रोग सम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्र	१९०५
१८७९	उड़ीसा में मृगवन	१९०५
१८८०	पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के लिये आवास सुविधायें	१९०५–०६
१८८१	अखिल भारतीय सामुदायिक विकास प्रशिक्षण संस्था, मसूरी	१९०६–०७
१८८२	रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा	१९०७
१८८३	नई दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की कमियां	१९०७
१८८४	कलिंग एयरलाइन्स के विमान का लापता होना	१९०७–०८
१८८५	खोवाई में सहकारी समितियां	१९०८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८८६	त्रिपुरा में सिंचाई के बांध	१९०८
१८८७	खोवाई नदी पर पुल	१९०९
१८८८	बिलासपुर खंड के कर्मचारियों की पदोन्नतियां	१९०९
१८८९	शंकर पल्ली, हैदराबाद, के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	१९०९
१८९०	छोटे सिंचाई कार्य	१९१०
१८९१	उड़ीसा में जलविद्युत् तथा सिंचाई योजनायें	१९१०
१८९२	टेलीफोन विभाग, कटक का लेखा अनुभाग	१९१०–११
१८९३	दूध का उत्पादन	१९११–१२
१८९४	ग्राम्य जल संभरण योजनायें	१९१२–१३
१८९५	हुगली नदी में तलकर्षण (ड्रेजिंग)	१९१३
१८९६	पंजाब में सिंचाई योजनायें	१९१४
१८९७	भारत में नाइलन के अंडरवीयरों का प्रयोग	१९१४
१८९८	लघु सिंचाई योजनायें	१९१४–१५
१८९९	पश्चिम बंगाल में चावल के मूल्य	१९१५
१९००	आम हड़ताल से पूर्व मुअत्तिल डाक तथा तार पदाधिकारी	१९१५
१९०१	कानपुर में लोको वर्कशाप में चोरी	१९१५–१६
१९०२	मनमाड में ऊपरी पुल	१९१६
१९०३	नासिक, महाराष्ट्र में बड़ी तथा बीच की सिंचाई योजनायें	१९१६
१९०४	राजस्थान में रेलवे आउट एजेंसियां	१९१७
१९०५	कोटा में तृतीय श्रेणी की महिला यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय	१९१७
१९०६	सालपुरा स्टेशन पर पाइप लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षण	१९१७
१९०७	कोटा में यात्री सुविधायें	१९१८
१९०८	राजस्थान को कृषि कार्यों के लिये आवंटित लोहा तथा इस्पात	१९१८
१९०९	राजस्थान में भूमि को समतल बनाना	१९१८
१९१०	पश्चिम रेलवे पर डकैतियां	१९१८–१९
१९११	राजस्थान में रेलवे हाई स्कूल	१९१९
१९१२	राजस्थान में चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य योजनायें	१९१९
१९१३	राजस्थान में कृषि विकास योजनायें	१९१९–२०
१९१४	राजस्थान को राष्ट्रीय जल संभरण योजना से सहायता	१९२०

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—**क्रमशः**

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९१५	राजस्थान में विद्युत परियोजनायें	१९२०–२१
१९१६	राजस्थान में मुर्गीपालन केन्द्र . . .	१९२१
१९१७	होशियारपुर और कांगड़ा में किराये की इमारतों में डाक घर	१९२१–२२
१९१८	घाघरा घाट पर रेलवे पुल	१९२२
१९१९	किराये के मकानों में डाकघर .	१९२२–२३
१९२०	केन्द्रीय परिमण्डल के डाकघरों में सेविंग बैंक	१९२३
१९२१	केन्द्रीय परिमण्डल में डाक तथा तार घर .	१९२३
१९२२	डाक घरों में टेप रिकार्डिंग की मशीनें	१९२३
१९२३	फोनोग्राम सेवा .	१९२४
१९२४	डाक तथा तार सलाहकार समितियां .	१९२४
१९२५	बलूरघाट यौर रायगंज के साथ रेल सम्पर्क	१९२४
१९२६	माल-डिब्बों का आवंटन . .	१९२४–२५
१९२७	कानपुर-झांसी ब्रांच लाइन के बिनौर पर हाल्ट स्टेशन	१९२५
१९२८	रेलवे में धोखा निरोधक निरीक्षक	१९२५–२६
१९२९	विमान सेवायें	१९२६
१९३०	नये डाक-टिकट	१९२६–२७
१९३१	कृष्ण नदी पर पुल का पुर्ननिर्माण	१९२७
१९३२	पूना में टेलीफोन एक्सचेंज	१९२७
१९३३	फिश प्लेटों का हटाया जाना . .	१९२८
१९३४	सिलीगुड़ी और कटिहार के बीच डिब्बों में जल व्यवस्था	१९२८
१९३५	कटिहार में ऊपरी पुल	१९२८–२९
१९३६	टेलीफोन लेने के लिये प्रक्रिया .	१९२९
१९३७	पूर्वोत्तर रेलवे पर हाजीपुर के समीप गाड़ी की टक्कर	१९२९

स्थगन प्रस्ताव १९२९—३१

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना प्रत्येक के सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) २० अगस्त, १९६१ को सायंकाल स्वामी रामेश्वरानन्दजी पर एक बम का फेंका जाना। — श्री प्रकाशवीर शास्त्री

स्थगन प्रस्ताव—क्रमशः | विषय | पृष्ठ

(२) करीमगंज के निकट असम की सीमा पर स्थित एक भारतीय गांव पर १८ अगस्त, १९६१ को सशस्त्र पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा कथित धावा। — सर्वश्री स० मो० बनर्जी, तंगामणि और हेम बरुआ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११३१–३२

(एक) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ५ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १००१।

(ख) दिनांक ५ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १००२।

(दो) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक ५ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १००३ की एक प्रति, जिसमें दिनांक ८ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८७२ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(तीन) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं नाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९६७।

(ख) दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या ९६८।

(ग) दिनांक ५ अगस्त, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १००४।

राज्य सभा से सन्देश १९३२–३३

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा १० अगस्त, १९६१ को पारित किये गये संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प तथा कोर्ट फीस विधियां) विधेयक, १९६१ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा १७ अगस्त, १९६१ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा ९ अगस्त, १९६१ को पारित किये गये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६१ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—क्रमशः	
(तीन) कि राज्य सभा १७ अगस्त, १९६१ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा १० अगस्त, १९६१ को न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १९६१ में किये गये संशोधन से सहमत हो गई है।	
समिति के लिये निर्वाचन	१९३३–३४
खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये लोक-सभा अपने में से एक सदस्य चुने। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।	
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	१९३४—५६
प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना पर, जो ७ अगस्त, १९६१ को सभा पटल पर रखी गई थी, विचार किया जाये। श्री नरसिंहन, श्री रंगा तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने तीन स्थानापन्न प्रस्ताव रखे। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	

मंगलवार, २२ अगस्त, १९६१/३१ श्रावण, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

तृतीय पंचवर्षीय योजन के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा

GMGIPND—LSII1—1165 (Ai) LS—21-9-61—125